खण्ड-153, अंक-2
मंगलवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1877
(29 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 153 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—o—

मंगलवार, २९ मार्च, १९५५

—o—

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़जलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधार कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मदतकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामवरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
बीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामावरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री

सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २९ मार्च, १९५५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

कैराना से तहसील को शामली लाने की आवश्यकता

**१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—विधान सभा के २१ मार्च सन् ५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या माननीय माल मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील को कैराना से शामली लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जैसा २१ मार्च, सन् १९५५ को बताया जा चुका है, सरकार ने तहसील कैराना से शामली लाने का कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। अतः इस सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी या नहीं।

सरकार के पास इस प्रस्ताव को लाने के निम्नलिखित कारण बताये गये हैं: —

(१) शामली शुरू में इस तहसील का सदर मुकाम था, किन्तु शामली में मलेरिया का प्रभाव होने के कारण १८८६ में वहां से सदर मुकाम हटा कर कैराना में कर दिया गया था। अब शामली की जलवायु के बारे में वैसी कोई शिकायत नहीं है।

(२) कैराना की अपेक्षा शामली जिले के सदर मुकाम से ७ मील नजदीक है।

(३) कैराना तहसील के दक्षिणी पश्चिमी कोने में स्थित है।

(४) शामली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान है और वहां पर अनेक अच्छी सड़कें मिलती हैं।

(५) शाहदरा-सहारनपुर रोड, जो आजकल बनायी जा रही है, शामली के बहुत पास से होकर निकलेगी और इस तरह से इस कस्बे के आवागमन के साधन और अच्छे हो जायेंगे।

(६) शामली शहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के मार्ग पर स्थित है।

**२—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या इसका विरोध करते हुए कोई रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मन्त्री या माल मन्त्री से मिला था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। रिप्रेजेन्टेशन आये हैं।

**३—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माल मन्त्री कैराना और शामली की वर्तमान आबादी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५१ ई० की जन गणना की रिपोर्ट के अनुसार दोनों कस्बों की आबादी निम्नलिखित है :—

कैराना	२३,१६३
शामली	१७,९८६

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय माल मन्त्री बतलायेंगे कि जो माननीय माल मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री के समक्ष रिपोर्ट आयी हैं, उनमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय माल मन्त्री बतलायेंगे कि कैराना से शामली हेडक्वार्टर लाने का आन्दोलन किस प्रकार से शुरू हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका कोई आन्दोलन है, ऐसी बात नहीं है। इसका रिप्रेजेन्टेशन था। पिछले दिनों जब वहां एक मीटिंग हुई और पशुओं का एक मेला लगा तो उसमें माननीय माल मन्त्री जी गये थे, तो उनको बहुत सी दरख्वास्तें दी गयीं और उस पर कंसीडरेशन शुरू हुआ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मन्त्री को मालूम है कि तहसील हेडक्वार्टर का कैराना से शामली हटाने का एक कारण यह भी है कि कैराना ईस्ट पंजाब के बार्डर पर पड़ता है और वह हालत अब भी मौजूद है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा तो कोई कारण मुझे नहीं मालूम। हां, यह जरूर है कि यह कैराना जमुना नदी के पास है और वहां से जमुना के उस पार ईस्ट पंजाब लगा हुआ है।

तारांकित प्रश्न

पकरी ताल पम्प नहर के निर्माण का कार्य

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९५४) के तारीख १२-१०-५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७, ८ और ९ के उत्तरों के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पम्प नहर में जो जमीन ली गयी है, उसका मुआविजा किस रेट से, कब तक दिया जायगा ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—पकरी ताल पम्प नहर के निर्माण के हेतु जो भूमि ली गयी है, उसके मुआविजे की दर का निर्धारण और वितरण स्पेशल लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर द्वारा भूमि अधिकृत करने की कार्यवाही पूरी होने पर किया जायगा।

*२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस नहर के निर्माण का कार्य क्या ठेके पर कराया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि भूमि अधिकृत करने की कार्यवाही खत्म हो गयी अथवा नहीं। यदि नहीं, तो कब तक खत्म हो जाने की आशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—भूमि तो अधिकृत हो गयी है। उसका मुआविजा देने की कार्यवाही हो रही है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह ठेका किसको दिया गया था और कितने पर?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो नोटिस मिले तो बताया जा सकता है। ठेका देने का काम वहां के एक्जीक्युटिव इञ्जीनियर व असिस्टेंट इञ्जीनियर का होता है। अगर नोटिस मिले तो सूचना मंगायी जाय।

*३-५—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[स्थगित किये गये।]

झांसी म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों की मरम्मत के लिये अनुदान

*६—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने झांसी म्युनिसिपल बोर्ड को गत वर्ष सड़कों की मरम्मत के लिए कितना रुपया दिया था?

स्वशासन उप मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—सन् १९५३-५४ में ७५,००० रुपये का अनुदान दिया गया था।

*७—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार को पता है कि सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं हुई और उनकी हालत बहुत दिनों से खराब है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या यह बात ठीक है कि बोर्ड ने उक्त रकम दूसरे कार्यों में खर्च कर दी है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इतने लम्बे अरसे में भी सड़क की मरम्मत न हो सकने का क्या कारण है?

श्री कैलाश प्रकाश—यह जो रुपया दिया गया था, यह मार्च, १९५६ तक खत्म होने के लिए दिया गया था और मरम्मत अब हो रही है।

सिंचाई विभाग की मोटर गाड़ियां

*९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—सिंचाई विभाग में सरकार के पास कुल कितनी मोटर गाड़ियां हैं? क्या सरकार उनको कम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

सिंचाई उप मंत्री (श्री राममूर्ति)—ऐग्रीकल्चरल इञ्जीनियरिंग सरकिल की १११ मोटर गाड़ियों को मिला कर सिंचाई विभाग में मोटर गाड़ियों की कुल संख्या ५६१ है, जिनमें से ५७ गाड़ियां काम करने के योग्य नहीं हैं। मोटर गाड़ियों की संख्या में कमी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गाड़ियों पर वार्षिक व्यय कितना पड़ता है?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उठता नहीं। आपने मूल में व्यय का प्रश्न नहीं पूछा था।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गाड़ियों से कौन कौन से काम लिये जाते हैं ?

श्री राममूर्ति---इन गाड़ियों से सवारी का काम लिया जाता है और कुछ सामान ढोने का भी काम लिया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि विभागीय कर्मचारी हेड क्वार्टर से ५ मील के भीतर इन गाड़ियों का उपयोग करके मार्ग व्यय और भत्ता लेते हैं ?

श्री राममूर्ति---सरकारी गाड़ियों पर ऐसा होना मुमकिन नहीं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो ५७ गाड़ियां काम करने योग्य नहीं हैं वह बिलकुल काम करने के योग्य नहीं हैं या उनकी मरम्मत हो रही है ?

श्री राममूर्ति---इस समय तो बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं है और यह खयाल किया जा रहा है कि उनको डिस्पोज आफ कर दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार को मालूम है कि एस्टीमेट्स कमेटी ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि सरकार अपनी स्वयं गाड़ियां न रखे और अफसरों को कर्ज दे कर उनको अपनी गाड़ियां रखने के लिये प्रोत्साहित करे ?

श्री राममूर्ति---मैंने जबाब में अर्ज किया कि इसके बारे में सरकार विचार कर रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन विभागीय गाड़ियों की रख रखाव और मरम्मत किस एजेंसी के द्वारा हो रही है ?

श्री राममूर्ति---ज्यादातर रोडवेज वर्कशाप के जरिये से होती है और अगर कहीं रोडवेज वर्कशाप नहीं होती है तो जो लोकल मिस्त्री होते हैं उनके जरिये से काम कराया जाता है

सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की स्थायी नियुक्तियां

*१०---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार सिंचाई विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनों को और कब तक ?

श्री राममूर्ति---जितनी स्थायी जगहें होती रहती हैं उनके लिये समय समय पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विभाग में कितने स्थायी कर्मचारी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री राममूर्ति---विभाग के सारे अफसरों के बारे में तो नोटिस की जरूरत है। इस वक्त मेरे पास उसकी लिस्ट नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्थायी जगहों को और बढ़ाने का सरकार का इरादा है ?

श्री राममूर्ति---ज्यों ज्यों काम बढ़ता जाता है, स्थायी जगहें भी बढ़ती जाती हैं और उन पर नियुक्ति भी होती जाती है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या मंत्री जी को विदित है कि इस विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की ओर से स्थायी पदों के लिये बराबर मांग आती रही है ?

श्री राममूर्ति--यह स्वाभाविक बात है, अस्थायी आदमी हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि स्थायी हो जाय और हम जितनी जगहें होती जाती हैं स्थायी बनाते भी रहते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सिंचाई विभाग की जरूरत को समझते हुये वे सभी उन कर्मचारियों को जो तीन साल से अधिक अस्थायी जगहों पर कार्य कर रहे हैं सब को आने वाले बजट में स्थायी करेंगे ?

श्री राममूर्ति--यह तो कहना मुश्किल है लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया जो-जो हमारे काम पूर्ण होते जाते हैं उनका लिहाज रखते हुये अस्थायी जगहें जो हैं स्थायी बनायी जा रही हैं।

पिठौरागढ़ टाउन एरिया कमेटी द्वारा टोल-टैक्स लगाने के सम्बन्ध में सरकार को प्रार्थना-पत्र

*११--श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को विदित है कि पिठौरागढ़ टाउन एरिया कमेटी ने सरकार को टोल-टैक्स लगाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र भेजा था ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां।

*१२--श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कब तक यह टैक्स लगाने की अनुमति उन्हें मिल सकेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस पर अंतिम निर्णय क्या होगा और इसमें कितना समय लगेगा, इसे अभी निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है।

*१३--श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या सरकार को विदित है कि धनाभाव के कारण नगर में पानी के नल ड्रेनेज आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य सब रुके पड़े हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि यह प्रश्न विचाराधीन एक साल से भी अधिक हो गया, तब से है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं। एक साल से अधिक नहीं हुआ। जुलाई ५४ के अंतिम सप्ताह में यह प्रश्न सरकार के सामने आया।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्न १२ के उत्तर में जो बताया गया है कि प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है इस पर अंतिम निर्णय क्या होगा और समय कितना लगेगा इसका निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है, इसके लिये मैं पूछना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं, क्यों संभव नहीं है, उन पर मंत्री जी प्रकाश डालेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह प्रस्ताव सरकार के सामने आया और टाउन एरियाज भी इसी तरह का कर लगाना चाहते हैं, उनके लिये नियम बनने हैं क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट नियम प्राप्त नहीं है। उन नियमों को न्याय विभाग से ठीक कराना है उसके पश्चात उनकी विज्ञप्ति होगी और तभी इस कर की आज्ञा दी जा सकेगी, इसलिये यह कहना कि इस सब में कितना समय लगेगा अभी दुश्वार है।

लखनऊ में कंधारी बाजार भवन निर्माण योजना

*१४--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फर नगर)--क्या कंधारी बाजार, लखनऊ में अंग्रेजी जमाने की प्रांतीय सरकार द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण योजना के कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ? यदि हां, तो इसमें कितना व्यय होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--कंधारी बाजार घनी बस्ती को खुली बनाने तथा उस का सुधार करने के लिये लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई कंधारी बाजार सामान्य सुधार (General Improvement) योजना सरकार ने स्वीकृति की थी। उक्त योजना से संबंधित भूमिका सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता है, यह प्रश्न विचाराधीन है। उस पर होने वाले व्यय का ठीक अनुमान इस प्रश्न पर निर्णय होने के उपरान्त ही लगाया जा सकेगा।

*१५--श्री श्रीचन्द्र--उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्रफल है और उसके कार्यान्वित करने के लिये कितने परिवारों को गृहविहीन करना पड़ेगा तथा जो परिवार गृहविहीन होंगे उनके पुनर्वासन के लिये क्या योजना है ?

श्री कैलाश प्रकाश--उक्त सामान्य सुधार योजना के अन्तर्गत लगभग ११ बीघा भूमि है तथा उसके हेतु १६ परिवारों को गृहविहीन करना होगा। ऐसे परिवारों के लिये किसी और भूमि की व्यवस्था करने का विचार है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना की विज्ञप्ति, इश्तहार, गजट में कब हुआ था।

श्री कैलाश प्रकाश--इसकी विज्ञप्ति कब हुई थी यह तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन सरकार ने सन् १९३९ में इस योजना को स्वीकार किया था।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अनुसार किन-किन परिवारों को गृहविहीन किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--अब कुल तादाद तो उन्होंने बता दी। मैं इस ब्योरे की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के क्षेत्र के अन्दर कुछ मकान ऐसे थे जो कि कस्टोडियन के इन्तजाम में थे और उनको हाल ही में कस्टोडियन ने कुछ लोगों को नीलाम किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--हो सकता है। इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उसने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लखनऊ को कोई ऐसा आदेश दिया था कि इन मकानों के संबंध में कोई नीलाम न किया जाय क्योंकि यहां एक गृह योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं। कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि जो मकान इस योजना के निश्चित होने के बाद बिके हैं उनका मुआवजा देने के वक्त पूरा-पूरा पैसा उन लोगों को दिया जायगा जिन्होंने उन मकानों को खरीदा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जब मुआविजे का प्रश्न आयेगा तभी यह विचार किया जायगा।

श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार का कोई आदेश इन परिवारों के लिये है कि अपने घरों में कोई उन्नति, बनाने इत्यादि की न करें ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं। ऐसा कोई आदेश स्पष्ट नहीं दिया गया है। जो साधारण नियम हैं वह नियम है।

*१६--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--[स्थगित किया गया।]

जिला बोर्ड आजमगढ़ के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये उप चुनाव

*१७--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड आजमगढ़ में सदस्यों की कितनी जगहें रिक्त हैं और उनका उपचुनाव कब होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--जिला बोर्ड, आजमगढ़, में सदस्यों के दो स्थान रिक्त हैं। जिलाबोर्डों के सदस्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही होनी चाहिये, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये दोनों स्थान किस सन् से रिक्त हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--ये स्थान काफी समय से रिक्त हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिला बोर्डों के चुनाव के पहले इन रिक्त स्थानों के उपचुनाव हो जायेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह प्रश्न विचाराधीन है, जैसा कि उत्तर दिया गया है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बोर्डों का चुनाव होगा कब ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--यह ख्याल है कि जब नया ऐक्ट बन जायगा उसके बाद चुनाव होगा।

श्री राजनारायण--क्या सरकार नया ऐक्ट बनने की अवधि बता सकती है कि कब तक बन पायेगा ?

श्री सैयद अली जहीर--अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या जिला बोर्ड ऐक्ट पर विचार करने के लिये जो कैबिनेट की सब कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां। रिपोर्ट तो दे दी है। वह विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं। यह तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता। वह तो जब शाया होगी तो माननीय सदस्य को भी मिलेगी।

श्री राजनारायण--क्या ग्राम पंचायतों की अवधि जो टली है, उस अवधि को टालने से और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव से कोई संबंध है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं। कोई संबंध नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह उप-चुनाव कराने का प्रश्न विचाराधीन कितने वर्षों तक अभी रखा जायगा ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो बिल तैयार हो रहा है वह इस सदन के सामने कब तक आ जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर--यह उम्मीद है कि आइंदा सेशन में पेश हो जायगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन दो स्थानों की पूर्ति के लिये जो विचार विचाराधीन हैं, वह कब से विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—जवाब में आ चुका है कि कई सालों से है ।

दोहरीघाट पम्प नहर के निर्माण का विरोध

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट जिला आजमगढ़ पम्प नहर निर्माण का विरोध स्थानीय जनता एवं प्रदेश के नेताओं द्वारा किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला आजमगढ़ में दोहरीघाट पम्प नहर के निर्माण का स्थानीय जनता एवं नेताओं द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा है ।

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि दोहरी घाट पम्प नहर के विरोध में अनशन करने के कारण कोई मर भी गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दोहरी घाट पम्प नहर के निर्माण के विरोध में किसी ने भी अनशन नहीं किया । अतः किसी के मरने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के एम० एल० ए० माननीय झारखंडे राय और प्रदेश के माननीय नेता बाबा राघवदास ने सरकार के पास नहर के संबंध में कोई पत्र लिखा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्री झारखंडेराय के पत्र का तो स्मरण नहीं है । हां, बाबा राघवदास ने लिखा था । उनको कुछ लोगों ने बहका दिया था और जब उनको समझाया गया तो उनकी भ्रांति दूर हो गयी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघवदास जी ने नहर के संबंध में किस अंश का विरोध किया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्होंने विरोध किया था इस अंश का कि जमीन बहुत ली जा रही है और जब उनको यह समझाया गया कि जब नहर निकलती है तो जमीन से ही निकलती है, आकाश से नहीं, तो उनकी समझ में आ गया ।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने कहा कि बाबा राघवदास जी को कुछ लोगों ने "बहका" दिया था, फिर उनकी "भ्रांति" दूर हो गयी । मैं समझता हूं कि यह बाबा राघव दास जी के साथ अन्याय है कि यह कहा जाय कि वह बराबर बहकते रहते हैं, जबकि वे इस सदन में मौजूद नहीं है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहकते नहीं रहते हैं । कुछ उनको गलत खबर इस प्रकार की मिली जिससे कि उनकी तबियत थोड़ी सी बहक गयी । उनके सम्मान के विरुद्ध मैंने कोई बात नहीं कही है, और यदि फिर भी कुछ उनके सम्मान में धक्का लगता है और विरोधी दल के नेता महोदय को उससे चोट पहुंचती हो तो मैं वापस लिये लेता हूं । कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि बहकना शब्द का उपयोग करना मुमकिन है कि बनारस में साधारण बात समझी जाय । पश्चिमी इलाके में जरा इसको अच्छा नहीं समझा जाता । तो आइन्दा इसका इस्तेमाल ऐसे संदर्भ में न हो तो अच्छा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि बाबा राघवदास जी ने दोहरीघाट की नहर के स्थान को देखने के बाद ही माननीय सिंचाई मंत्री के पास पत्र लिखा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बाबा राघवदास जी ने पत्र भी लिखा था, मुझसे बातचीत भी हुई थी। उसके संबंध में मैंने निवेदन किया, और जब मैंने उनको समझा दिया तो उनका विरोध नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नहर निकलना बहुत जरूरी है और जरूर निकालो।

मांट ब्रांच नहर अथवा उसकी शाखा को समाप्त करने का प्रस्ताव

*२०---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नहर मांट ब्रांच अथवा उसकी किसी शाखा को वह समाप्त करने जा रही है? यदि हां, तो क्यों ?

*२१---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई का क्या प्रबन्ध होगा ?

श्री राममूर्ति---मांट ब्रांच नहर अथवा उसकी किसी शाखा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु बुलन्दशहर जिले के जिस क्षेत्र में मांट ब्रांच और उसके रजबाहों और माइनरों से सिंचाई होती है नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। नहरों द्वारा सिंचाई को नलकूप द्वारा सिंचाई में परिवर्तित करना इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है कि उस क्षेत्र की जमीन के नीचे के पानी की सतह (water level) ऊंचा हो जाने के कारण जलमग्न होने से बचाया जा सके और इस प्रकार मांट ब्रांच में बचे हुये पानी को अन्त के शुष्क क्षेत्रों के लिये उपलब्ध किया जा सके। उक्त प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि रजवाहा बड़ौदा जो मांट ब्रांच के दसवें मील से निलता है उसको समाप्त करने के आदेश सरकार से गये हैं ?

श्री राममूर्ति---इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है लेकिन जो मैंने जवाब दिया वह यह कि नलकूप बनाने का प्रस्ताव है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच के करीब कितनी भूमि ऐसी है जो जलमग्न रहती है और सरकार के पास ऐसी सूचना आई है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वहां की भूमि इसलिये जलमग्न रहती है कि वहां का वाटर लेविल नीचा हो गया है और पानी आ जाने से वहां हानि होती है इसलिये इस पर विचार हो रहा है कि यहां ट्यूबवैल लगवाया जाय और जो जमीन इसके लिये ली जायगी उसका लेविल ऊंचा हो जायगा। इससे इसको जलमग्न होने से बचाया जा सकेगा और इस प्रकार मांट ब्रॉच से बचे हुये पानी को अन्त के शुष्क क्षेत्रों में दिया जा सकता है। इसका केवल विचार ही है लेकिन किसी रजवहे को खारिज करने का विचार नहीं है और न कोई कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार मथुरा को पानी देने के लिये मांट ब्रांच में ट्यूब वैल लगाने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मथुरा को पानी देने के लिये यह है कि हम ट्यूबवैल बनायेंगे तो उस एरिया को सींचने के बाद वहां जो पानी बचेगा वह मथुरा चला जायगा। मथुरा में ट्यूववैल बनाना इसलिये मुश्किल है कि वहां का वाटर लेविल नीचा है। जहां का ऊंचा हो वहां ट्यूबवैल बनाने के लिये विचार करते हैं।

इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीमें

*२२---श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्ननगुरु (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने १ जनवरी, ५२ से लेकर जनवरी, ५४ तक कौन-कौन सी स्कीमें पूरी कीं ?

श्री कैलाश प्रकाश---इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने १ जनवरी, ५२ से लेकर जनवरी, ५४ तक निम्नलिखित स्कीमें पूरी कीं :--

१---अलबर्ट रोड एक्सटेन्शन स्कीम

२---कीडगंज हाउसिंग स्कीम। पार्क के घेरने के काम को छोड़ कर।

इसके अतिरिक्त साउथ हाउसिंग स्कीम भाग २ के अन्तर्गत २३,२०५ फीट लम्बी सड़कें, १३,४३५ फीट लम्बी गलियां व ७३,२८० फीट लम्बी नालियां और ममफ़ोर्डगंज हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत १२,४३० फीट लम्बी सड़कें, १,७३० फ़ीट लम्बी गलियां, २८,३२० फीट लम्बी नालियां १०,१४१ फीट लम्बा बरसाती नाला बनाया गया। कल्याणी देवी में एक पार्क भी बनाया गया।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एडमिनिस्ट्रेटर के आने के बाद से जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा स्कीमें चालू हैं उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जो योजनायें इस समय हाथ में हैं उन पर कार्यवाही हो रही है और अगले बजट में इसके लिये काफी रुपया रखा गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस आने वाले वर्ष के बजट में इन स्कीमों को पूरा करने के लिये कितने रुपये का अनुदान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इलाहाबाद के लिये रखा है ?

श्री सैयद अली जहीर---आप बजट देख लें तो मालूम हो जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि एडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने जितना रुपया इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीमों को पूरा करने के लिये आवश्यक समझा था उतना रुपया सरकार ने उसको देने से अपनी मजबूरी दिखलायी है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने जरूरी स्कीम भेजी हो और उसके लिये रुपये से इन्कार किया गया हो।

टेहरी-गढ़वाल जिले में चौरास नहर का सर्वे

*२३---श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टिहरी जिले में बड़ी-बड़ी नदियों से जमीन की सिंचाई के हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति---ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*२४---श्री सत्यसिंह राणा---क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त जिले के विलीन होने से पूर्व तत्कालीन सरकार ने चौरास नहर को बनाने का कार्य शुरू किया था ? यदि हां, तो उस पर कितना काम और कितना रुपया खर्च हुआ था ?

श्री राममूर्ति---तत्कालीन सरकार द्वारा चौरास नहर के बनाने का कोई काम शुरू नहीं किया गया था। केवल सर्वे की गई थी।

*२५---श्री सत्यसिंह राणा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिले के इस प्रदेश में विलीन होने के पश्चात् उक्त कार्य क्यों स्थगित किया गया और अब कब तक उस को चालू करने का विचार है ?

श्री राम मूर्ति--उक्त नहर की लम्बाई १४ मील थी और इतनी बड़ी योजना का पर्वतीय क्षेत्र में कार्यान्वित होना असम्भव होने के कारण स्थगित करना पड़ा। उक्त नहर पर कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार वहां पर हाईड्राम योजना या पम्पिंग योजना उस जमीन के सिंचाई हेतु लगाने के लिये विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--मैं कुछ समझा नहीं।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार वह जमीन जो नदियों के किनारे पड़ी हुई है उनकी सिंचाई के हेतु हाईड्राम जैसी स्कीम के बनाने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति--जी हां, सरकार जरूर विचार करेगी।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार को विदित है कि इस नहर के सम्बन्ध में तत्कालिक सरकार ने लगभग ७५ हजार रुपया खर्च किया है, यदि हां तो वह किन बातों पर खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति--जो कुछ खर्च हुआ था वह सर्वे पर खर्च हुआ, वास्तविक निर्माण कार्य वहां पर कुछ नहीं हुआ।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार को विदित है कि नहर के सम्बन्ध में सर्वे करने के पश्चात् वहां पर ६ फीट चौड़ी नहर बनी हुई है, सिर्फ टेक्नीकल काम बाकी है ?

श्री राममूर्ति--सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

*२६--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[स्थगित किया गया।]

उन्नाव जिले में दीवानी अदालतों के विचाराधीन मामले

*२७--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिला में दीवानी अदालतों में ३१ जनवरी, ५५ तक कितने मामले विचाराधीन थे ?

श्री सैयद अली जहीर--३,०१०।

*२८--श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें एक वर्ष से अधिक के मामले भी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां १,०१९ मुकदमें हैं।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २, ३ वर्ष के पुराने ऐसे मामले हैं जिन पर अभी कार्यवाही करने का श्रीगणेश भी नहीं हुआ है ? यदि ऐसा है तो वे कितने हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--मुमकिन है कि ऐसा हो लेकिन इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है कि ऐसे कितने मामले हैं।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल विचाराधीन मामलों में कितने मामले मुंसिफी में हैं और कितने जजी में हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, इसकी भी तफसील इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि दीवानी अदालतों द्वारा देर से मुकदमें फैसल किये जाने की आम शिकायत है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, खयाल यह है कि दीवानी में जितनी जल्दी फैसला होना चाहिये उतनी जल्दी नहीं हो रहा है, उस के लिये सरकार कई तरह की कार्य-वाही कर रही है, कुछ मुंसिफ भी बढ़ाये हैं, कुछ अदालतें भी बढ़ाई गई हैं नीज हाईकोर्ट को भी लिखा गया है। खयाल यह है कि रफ्ता-रफ्ता सब ठीक हो जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या सरकार यह बतायेगी कि उसका हाईकोर्ट से जो परामर्श हुआ है उसमें हाईकोर्ट ने इन केसेज को जल्दी निपटाने के लिये क्या सिफारिशें सरकार के सामने भेजी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--कोई सिफारिश सरकार के सामने नहीं आयी है।

श्री शिवनाथ काटजू--क्या सरकार मुंसिफ और सिविल जजों की तादाद बढ़ाने पर गौर कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--इस मामले का अमूमन हाईकोर्ट से ताल्लुक है। अगर वह जरूरी समझते हैं तो सरकार को लिखते हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई बढ़ोत्तरी नहीं करती।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहती है जिसमें लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय प्राप्त हो ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सिविल लाज अमेंडमेंट ऐक्ट के पास होने के उपरान्त सरकार ने क्या उपाय किया है कि मुकदमें जल्द फैसल हों ?

श्री सैयद अली जहीर--कानून पास कर दिया, यही उपाय किया है।

*२९-३०--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--[स्थगित किये गये।]

*३१--श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)-- [स्थगित किया गया।]

कुम्भ दुर्घटना जांच पर व्यय

*३२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कुम्भ दुर्घटना जांच करने में कितना व्यय हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश--अभी तक रु० २४,४२४ आ० १०-० खर्च किया जा चुका है। बाकी खर्च लगभग रु० ९,४९४ आ० १५-० का ठहरेगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी इस खर्च का ब्योरा बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश--ब्योरा इस प्रकार है :

टेलीफोन--१७९७ रु०, स्टेशनरी--५९३ रु० १२ आना ६ पाई, कंटिनजेंसी--१४२२ रु० १३ आना ६ पाई, यात्रा भत्ता ९१० रु० ६ आना, विज्ञापन--२८८८ रु० १५ आना, टिकट आदि २२३ रु०, कार्यालय के कर्मचारी--११८८ रु० ११ आना, टेक्सी ५५०० रु० कुल योग २४४२४ रु० १० आना।

रायबरेली जिले के सलोन कस्बे में टाउन एरिया स्थापित करने की मांग

*३३--श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार का इरादा निकट भविष्य में रायबरेली जिले के सलोन कस्बे में टाउन एरिया स्थापित करने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश---ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है ।

श्री दल बहादुर सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां के लोगों ने टाउन एरिया बनने की मांग की है और कहा है कि जन संख्या के मुताबिक भी वहां टाउन एरिया बन सकता है ?

श्री कैलाश प्रकाश---सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

*३४---श्री नारायण दत्त तिवारी--- [स्थानान्तरित किया गया ।]

*३५---श्री नारायण दत्त तिवारी---[स्थगित किया गया ।]

*३६---श्री झारखंडे राय [स्थगित किया गया ।]

*३७---श्री नारायण दत्त तिवारी---[स्थगित किया गया ।]

अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर के सबर्ब को लेने की मांग

*३८---श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम में विठूर और कानपुर के दूसरे सबर्ब (suburb) के कस्बों को लिये जाने पर विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---केन्द्रीय सरकार ने अभी तक दो आवास योजनायें बनाई हैं---औद्योगिक आवास योजना और अल्प आय वर्ग आवास योजना। जहां तक औद्योगिक आवास योजना का संबंध है सरकार प्रस्तावित प्रश्न पर औद्योगिक मजदूरों की आवश्यकतानुसार विचार करेगी। अल्प आय वर्ग अवास योजना के संबंध में अभी केवल उन्हीं लोगों के आवेदन-पत्रों पर विचार होगा जो जिलों के हेडक्वार्टरर्स पर होंगे और साथ ही केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकार के सम्बन्धित नियमों के अनुसार अधिकृत होंगे । भविष्य में और अधिक धन मिलने पर स्कीम जिलों के अन्य स्थानों में भी लागू हो जायगी।

श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दूसरे वर्ग के आवास गृह जिले के हेड क्वार्टर में बनवाने की बात कही गयी है, उनको हेडक्वार्टर से दस-दस, बारह-बारह मील दूर बनवाने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसमें कठिनाई का नहीं सवाल है । सवाल यह है कि योजना महज जिले के हेडक्वार्टर के लिये ही है । इसलिये आइन्दा जब जिले की अलग-अलग जगहों के लिये योजना बनेगी तो इस पर भी अवश्य अमलदरामद होगा ।

कानपुर जिले में नल-कूप योजना

*३९---श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार कानपुर जिले के उन भागों में जहां नहर का पानी नहीं पहुचता है, जैसे जमुना के किनारे का हिस्सा , नलकूपों की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---जी हां । १९५२ की टी० सी० एम० योजना के अन्तर्गत कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में चार नलकूप बनाये गये हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी इस जिले में कुछ नलकूप बनाने का विचार है ।

श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अगली योजना में जमुना रीजन में वे दो नलकूप बनेंगे ?

श्री राममूर्ति---अभी इस योजना पर कोई विचार नहीं किया गया है ।

*४०-४१---श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---[स्थगित किये गये ।]

जिला सूचना अधिकारियों के कार्य तथा सुविधायें

*४२—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला सूचना अधिकारियों को कौन-कौन से कार्य सौंपे गये हैं तथा सरकार की ओर से उन्हें कौन-कौन सी सुविधायें दी गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला सूचना अधिकारियों को सौंपे गये कार्य राज्यादेश सं० वी० ७५०७/१९-३१०-५४, दिनांक २० दिसम्बर, १९५४ में निर्धारित किये गये हैं जिस की प्रतिलिपि संलग्न है ।

उक्त अधिकारियों को उनके कार्य में सुविधा देने के लिये सरकार की ओर से मोटर गाड़ी, प्रोजेक्टर, लाउड स्पीकर, फिल्म तथा प्रचार-साहित्य दिये जाते हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७०-१७४ पर)

*४३—श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस समय कितने जिला सूचना अधिकारी कार्य कर रहे हैं और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—४५ जिलों में जिला सूचना अधिकारी कार्य कर रहे हैं । इनमें से हरिजनों की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*४४—श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला सूचना अधिकारी पद के लिये कितने हरिजन उम्मेदवारों ने गत चुनाव में अपने प्रार्थना-पत्र भेजे और उनमें से कुल कितने चुने गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गत चुनाव में किसी उपयुक्त हरिजन उम्मेदवार ने आवेदन पत्र नहीं भेजा था । अतः उनके चुनाव का प्रश्न अब भी शासन के विचाराधीन है ।

श्री पुत्तूलाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको यह जानकारी है कि उक्त सूचना अधिकारियों के लिए विज्ञापन किया गया था तो उसमें हरिजनों के सुरक्षित स्थानों की घोषणा नहीं की गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, यह कब की बात उन्होंने कही ? इधर तो कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया ।

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार हरिजनों की निर्धारित संख्या इन सूचना अधिकारियों में देने के लिए अब कोई विज्ञापन निकालने का विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल हरिजनों के लिए तो विज्ञापन क्या होगा लेकिन अगर हरिजन उम्मीदवार उपयुक्त मिलेगा तो उनकी निर्धारित संख्या अवश्य भरी जायगी और अच्छे मिले तो और भी बढ़ाये जा सकते हैं, उसमें कोई किसी भेद भाव की बात नहीं है ।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि यह जो ४५ सूचना अधिकारी लिए गए हैं उनके चुनाव के लिए विज्ञापन क्यों नहीं कराया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई ४५ सूचना अधिकारी नहीं लिए गए ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या यह आवश्यकीय है कि सूचना अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण करें और महीने में इसके लिए कितने दिन मुकर्रर किए गए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो उनके लिए आवश्यक है ही कि वे ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करें, पहले तो मास में १८ दिन निश्चित थे लेकिन यह उस समय था जब वह प्लानिंग में काम करते थे, और अब नए आदेश में तो माननीय सदस्य देखेंगे कि उनसे कहा गया है कि उन को निश्चित रूप से देहातों में काफी घूमना चाहिए ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस साल जो नियुक्तियां हुई, उनका कोई विज्ञापन हुआ या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसका विज्ञापन नहीं किया गया था, जब यह लोग प्लानिंग विभाग से लौटे तो उस समय सूचना विभाग में ५६ जगहें रिक्त थीं उनमें उनको रख लिया, आगे जब काफी संख्या में उन को लिया जायगा तो विज्ञापन किया जायगा ।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस समय ४५ जिलों में जो सूचना अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—४५ जिलों में ४५ ही आदमी हैं ।

*४५-४७—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये ।]

*४८—श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—[स्थगित किया गया ।]

*४९-५०—श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—[स्थगित किये गये ।]

*५१-५२—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किये गये ।]

*५३-५५—श्री लक्ष्मण राव कुदम—[स्थगित किये गये ।]

बागेश्वर-अस्कोट व पिठौरागढ़-अस्कोट-धारचूला सड़कों का निर्माण

*५६—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि बागेश्वर-अस्कोट व पिठौरागढ़-अस्कोट-धारचूला सड़कों के निर्माण में स्थानीय लोगों को काम न देकर बाहर के लोगों को भी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य) (प्रथम भाग)—अभी तक निर्माण कार्य नहीं आरम्भ हुआ है, ऐसी स्थिति में बाहरी लोगों को काम देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(द्वितीय भाग) प्रश्न नहीं उठता

*५७—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार गांव सभाओं द्वारा इन सड़कों के निर्माण कार्य को कोआपरेटिव बेसिस पर बनवाने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यदि गांव सभाएं टेंडर दें तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इन सड़कों के टेण्डर हो चुके हैं और उनमें लोकल लोगों को कोई प्रिफरेन्स नहीं दिया गया ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

गांवों में रेडियो लगाने की योजना

*५८—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने का विचार कर रही है जिससे एक हजार से अधिक आबादी वाले हर गांव में अगले वर्ष तक रेडियो लग जायेंगे ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या होगी ?

श्री राममूर्ति—सूचना विभाग की सामूहिक श्रवण योजना की प्रगति के लिये एक पंच-वर्षीय योजना बनायी गई है जिसके अन्तर्गत १,००० से ५,००० तक की आबादी वाले गांवों में प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक लगभग ४६४७ रेडियो सेट लग जायेंगे । यह रेडियो सेट केवल ऐसी ही संस्थाओं को दिये जायेंगे जहां पर लगने से वे जनता के हित के लिये उपयोगी हों ; जैसे वाचनालय, बीजगोदाम, श्रम-केन्द्र, क्लब, विकासकेन्द्र, टाउन एरिया, पंचायतघर, शिक्षा-संस्थायें, इत्यादि इत्यादि ।

*५९—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में अभी ऐसे कितने गांव हैं जहां रेडियो लग गये हैं और अगले वर्ष कितने गांव इस योजना में आयेंगे ?

श्री राममूर्ति—इस योजना के अन्तर्गत अभी तक ६४७ रेडियो सेट लगाये जा चुके हैं । १,००० रेडियो सेट इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जायेंगे उसके बाद उनको लगा दिया जायगा । इस प्रकार अगले वित्तीय वर्ष में ३,००० रेडियो सेट क्रय कर उसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगा दिये जायेंगे । जैसा ऊपर बताया गया है, दो चार, रेडियो सेटों को छोड़ कर सभी गांवों में रेडियो लगाये गये हैं । इस योजना के अन्तर्गत शेष सेट भी गांवों में ही लगाये जायेंगे ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि रेडियो सेट जिन गांवों में दिये जाते हैं उनके देने के आधार क्या हैं ?

श्री राममूर्ति—हमारे वहां यह कायदा है कि जिला मैजिस्ट्रेट के लिये, या प्रोबेशन आफिसर्स के लिये या प्लानिंग आफिसर्स के लिये जो गांव स्वाहिश करते हैं कि हमारे यहां रेडियो सेट लगना चाहिये तो हम वहां उनसे ७५ रुपये लेकर रेडियो सेट दे देते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ये रेडियो सेट जो लगे हैं तो प्रदेश के सभी जिलों में लगे हैं या कुछ ही जिलों में लगे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब तक तो रेडियो सेट ऐसे लगाये जाते थे वह जो रेंज के अन्दर आ जाते थे उनमें लगाये जाते थे जिससे जो ब्राडकास्टिंग स्टेशन्स हैं उनसे ध्वनि वहां पहुंचाई जा सकती हो और रेडियो सेट्स उस ध्वनि को वहां कैच कर सकता हो । अब जो दूसरी योजना के आधार पर रेडियो सेट्स लगाये जा रहे हैं तो उससे हमारा सारा प्रदेश कवर हो जायगा । सभी जगह हम रेडियो सेट्स लगा सकेंगे ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सामूहिक ध्वनि योजना के अन्तर्गत जो रेडियो सेट दिये जाते हैं वह सरकार की सम्पत्ति माने जाते हैं या उन संस्थाओं के हो जाते हैं जिनको वह दिये जाते हैं ?

श्री राममूर्ति—यह उस माने में उनकी सम्पत्ति हो जाती है कि वह उन्हें रखें और उनका रख रखाव आदि करें । और उनमें कोई खराबी हो जाती हैं तो हमारे यहां के मिस्त्री उनको जाकर दुरुस्त कर देते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अभी जो ६४७ सेट लगे हैं उनकी देखभाल की भी कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या है ?

श्री राममूर्ति—हमारे यहां एक रेडियो इंजीनियर रहता है जो इसकी देखभाल किया करता है । सुपरवाइजर और मिस्त्री भी रहते हैं ।

श्री रामहंत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो रेडियो लगे हैं वे किन-किन जिलों में लगे हैं ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है लेकिन उन जिलों में हैं जो लखनऊ, दिल्ली या इलाहाबाद के रेडियो स्टेशन्स के रेंज में आते हैं और उससे कवर हो सकते हैं । वैसे यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो जिलों के नामों की सूची भी उनको दे दी जायगी ।

जिला आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के नलकूप

*६०—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में कितने नये नलकूप लगने वाले हैं और ये नलकूप किन-किन स्थानों पर लगेंगे ?

श्री राममूर्ति—सगड़ी तहसील में ७ नलकूप पहले ही बन चुके हैं और २३ नलकूप और बनाने का आयोजन है । मेज पर रखी हुई विवरण पत्रिका-में इन नलकूपों की स्थिति की सूचना दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १७५ पर ।)

श्री विश्राम राय—इन नलकूपों की संख्या और स्थान तय करने का आधार क्या है ?

श्री राममूर्ति—पहले जिले का सर्वे किया जाता है और उसके बाद जहां तक मुमकिन होता है एक ग्रुप (group) में बनाये जाते हैं ताकि उनकी देखभाल और रखरखाव आदि हो जाय ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि मऊ कुतुबपुर के नाम को भी उसमें शामिल करेंगे जिसके लिये एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने वादा किया था कि आगामी योजना बनाते समय उस गांव का ख्याल रखा जायगा ?

श्री राममूर्ति—मन्त्री महोदय ने यदि वादा किया था तो जरूर उसको शामिल किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री को मालूम है कि ये ८३ नलकूप जो और बनने वाले हैं ये कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता लेकिन हमारी कोशिश यह है कि ५६ के अन्त तक सब बन जायं ।

अल्प आय वर्ग आवास योजना की रूपरेखा

*६१—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये मकान बनवाने की व्यवस्था के लिये उसने कोई कमेटी नियुक्त की थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार ने एक कमेटी अवश्य नियुक्त की है पर वह मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिये मकान बनवाने की व्यवस्था के लिये नहीं है । कमेटी प्रदेश में मकानों की कमी की समस्या तथा उसे दूर करने के उपायों पर विचार करेगी ।

*६२—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—यदि हां, तो क्या उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—प्रश्न नहीं उठता ।

*६३—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने भी उक्त सम्बन्ध में कोई योजना इस राज्य सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—केन्द्रीय सरकार ने अल्प आय वर्ग के लोगों के आवास की एक योजना (Low-income Group Housing Scheme) सभी राज्यों को भेजी है ।

उक्त योजना की एक प्रतिलिपि सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७६–१७८ पर ।)

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी ने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां तो वह सदन के समक्ष कब तक प्रस्तुत की जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभी रिपोर्ट नहीं पेश की गई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मध्यम श्रेणी के हेतु मकान बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—योजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक छानबीन की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से जो योजना प्राप्त हुई है उसमें मुख्य २ बात क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा । यह तो मेज पर रख दी गई है, इसको आप पढ़ लें ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार प्रान्त भर के लिये कोई हाउसिंग फायनेन्स कार्पोरेशन बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभी तो इसके सम्बन्ध में विचार हो रहा है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो आदेश इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार को मिला है उसकी पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उसके सम्बन्ध में प्रारम्भिक छानबीन प्रायः समाप्त हो गई है और पूरी योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के लिये यह कमेटी निर्माण की गई है जिसका जिक्र मैंने प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर में किया है।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने जो सहायता दी है वह शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान बनाने के लिये है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—शहरी क्षेत्रों में।

*६४-६५--श्री राजवंशी (जिला देवरिया)--[स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जिले के मेंहदावल कछार में बाढ़ की रोकथाम

१—श्री राजा राम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला के मेंहदावल कछार में बाढ़ रोकने के सम्बन्ध में वह क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—बस्ती जिला के मेहदावल कछार में बाढ़ की रोकथाम करने के दो निम्नलिखित उपाय हैं :

(क) राप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों के ऊपरी हिस्सों में सरोवर बना कर उनमें बाढ़ का पानी रोक लिया जावे जिससे मेहदावल के पास ज्यादा पानी न आवे। और

(ख) राप्ती नदी के दोनों तरफ बांध बना दिये जावें ताकि बांध के बाहर का क्षेत्र बाढ़ से बच जाय।

दोनों सुझावों का निरीक्षण किया जा रहा है और उसके उपरान्त उचित कार्यवाही की जायगी।

रामगढ़ से सिंघागढ़ तक नहर की खुदाई में प्रयुक्त भूमि

२—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामगढ़ पम्प केनाल जो तहसील मुहम्मदाबाद जिला गाजीपुर में निकाली जा रही है, रामगढ़ से सिंघागढ़ तक कितनी एकड़ जमीन नहर की खुदाई में आई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रामगढ़ पम्प नहर के लिये रामगढ़ से सिंघागढ़ तक ४० एकड़ भूमि ली गई है।

३—श्री रामचन्द्र विकल— [स्थगित किया गया।]

एटा मैनपुरी तथा फरूखाबाद जिलों के मुअत्तिल ट्यूबवेल आपरेटर

४—श्री गणेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को पता है कि जिला एटा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में कितने ट्यूववेलों के आपरेटर मुअत्तिल हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला एटा, मैनपुरी और फर्रूखाबाद में कोई ट्यूववेल आपरेटर मुअत्तिल नहीं हैं।

गोंडा जिले में कौबापुर–गुगौली सड़क को पक्का करने की आवश्यकता

५—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर राप्ती भाग, गोंडा में स्थित गुगौली अस्पताल तथा शिवपुरा अस्पताल तक जाने के लिये कौबापुर-गुगौली सड़क से जाना पड़ता है तथा वहो के सिंचाई विभाग और जंगल विभाग के कर्मचारियों को भो इसी सड़क का उपयोग करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को पक्का बनाने का विचार कर रही है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—

प्रथम भाग—जी हाँ।

द्वितीय भाग—सिंचाई विभाग के कर्मचारी इस सड़क का उपयोग करते हैं जंगल विभाग के नहीं।

तृतीय भाग—इस प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायेगा।

इलाहाबाद में मकान व पानी पर टैक्स बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले ने मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है और साथ ही उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी भेजी है उस के सबूत में कि इलाहाबाद में मकान व पानी का टैक्स बढ़ गया है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि यह विषय महत्व का भी नहीं है और अनिश्चित भी है।

श्री गेंदासिंह और श्री राजवंशी राय को कैद व जुर्माने के दंड की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मैं माननीय सदस्यों को श्री गेंदासिंह और श्री राजवंशी राय के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। यह मेरे पास तार द्वारा श्री के० एस० दुबे०, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कसिया, डिस्ट्रिक्ट देवरिया ने सूचना दी है जो मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं।

"Sarvasri Genda Singh and Rajvanshi Rai M. L. A. have been committed under section 1431/341 I. P. C. after trial and each of them is sentenced to one month simple imprisonment and a fine of Rs. 30 in default 15 days. A detailed letter follows."

यह मेरे पास तार कल शाम को आया कि श्री गेंदा सिंह जी और श्री राजवंशी राय को दफा १४३ और ३४१ के अन्तर्गत एक महीने की सादी सजा और ३० रुपया जुर्माना और जुर्माना न देने पर १५ दिन और, इस प्रकार की सजा हुई। यह सूचना मैं सदन को दे रहा हूं।

इसके पश्चात् टेलीफोन मेसेज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देवरिया का आया श्री गेंदासिंह और राजवंशी राय जी की इस सजा के बारे में, लेकिन उन्होंने जो कहा, जहां तक मैंने सुना और मेरे सेक्रेटरी ने सुना, उसमें यह था कि ३४१ धारा में "रेगरेस इंप्रेजेन्मेंट" की एक महीने की सजा और ३० रुपया जुर्माना दिया गया। "रेगरेस इंप्रेजेन्मेंट" उनकी सूचना में बताया था और मैंने अखबारों में भी उसी प्रकार पढ़ा। लेकिन जहां तक कसिया के मैजिस्ट्रेट, दुबे जी ने तार में लिखा है वह तो सिम्पल इंप्रेजेन्टमेंट के बारे में है। तो जितनी और जैसी सूचना आई है वह मैंने सदन को दी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोडा)—हम रेगरेस इंप्रेजेन्मेंट समझें या सिम्पिल?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज शाम तक चिट्ठी आ जायगी। जहां तक मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कहा है कि वह लोग देवरिया जेल में लाज कर दिये गये हैं। देवरिया में और कसिया में मुझे भ्रम हो जाता है, लेकिन मुझे ख्याल है कि देवरिया ही उन्होंने कहा था। आज शाम तक यह स्पष्ट हो जायगा।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं थोड़ा सा समय इस बजट के विवाद के समय के बीच से ही लूंगा। कई समितियों की जो नामजदगियां हुई हैं, नामनिर्देशन हुये हैं, उसके मैं नाम सुना दूंगा, क्योंकि २९ तारीख को ४ बजे तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है।

प्राक्कलन समिति के लिये २५ नाम आये हैं, यानी अधिक या कम नाम नहीं आये हैं। उनके नाम मैं नहीं सुनाता हूं क्योंकि माननीय सदस्य जिन्होंने नामजदगी करायी है उनको नाम मालूम हैं और एक दफा मुझे फिर निर्वाचन फल बताने के लिये उनके नामों को सुनाना ही पड़ेगा जब कि कोई नाम वापस नहीं होंगे। शाम को मैं निर्वाचन का फल घोषित कर दूंगा और वह सब नाम सदन के सामने आ जायेंगे। इस प्राक्कल समिति में २५ सदस्य चुने जाने वाले थे और २५ ही नाम आये हैं और वह सही पाये गये हैं। यदि इनमें से किसी का नाम वापस नहीं लिया गया तो यह सब निर्वाचित घोषित किये जायेंगे। और नहीं तो जिन्होंने नाम वापस ले लिया हो, उसे छोड़ कर बाक़ी निर्वाचित घोषित कर दूंगा और रिक्त स्थान के लिये कोई समय दूंगा।

इसी तरह से वित्त समिति के १४ सदस्य चुने जाने वाले थे और १४ ही नामों की नामजदगी हुई है और वह सही पाई गई है। इसलिये वित्त समिति में भी अगर कोई अपना नाम वापस न ले तो यह समिति के जितने सदस्य नामजद हुये हैं वह निर्वाचित घोषित कर दिये जायंगे।

इसी तरह से सार्वजनिक लेखा समिति के २० स्थान थे। उस के लिये २० ही सदस्यों का नाम निर्देशन हुआ है और वह सही पाये गये हैं। इसलिये इसके लिये भी मैं यदि आज ४ बजे तक कोई सदस्य अपना नाम वापस न लें तो सभी को निर्वाचित घोषित कर दूंगा। अब इन स्थायी समितियों के सबन्ध में इसी प्रकार जितने सदस्य चुने जाने वाले हैं उतने ही अगर नाम हैं तो मैं नाम नहीं पढ़ूंगा और बाकी स्थायी समितियों में जिनमें नाम कम हैं उनके सम्बन्ध में बाद में ज़िक्र कर दूंगा।

हरिजन सम्बन्धी स्थायी समिति--इसमें १४ सदस्य चुने जाने वाले हैं और १४ की नामजदगी हुई और वह सही पाये गये।

सामान्य प्रशासन स्थायी समिति--इसमें भी १४ सदस्य चुने जाने वाले हैं और १४ ही की नामजदगी हुई और किसी ने अगर नाम नहीं लिया तो वे निर्वाचित घोषित हो जावेंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क)--१४ सदस्य चुने जाने वाले हैं उसमें १४ ही की नामजदगी हुई और वह सही पाये गये।

शिक्षा स्थायी समिति--इसमें भी इसी प्रकार १४ सदस्यों की नामजदगी हुई और सही पाये गये।

माल स्थायी समिति--१४ सदस्य चुने जाने वाले थे और १४ ही की नामजदगी सही पायी गयी।

न्याय और विधान सम्बन्धी स्थायी समिति--१४ सदस्यों का निर्वाचित करना था और १४ ही की नामजदगी हुई।

आबकारी स्थायी समिति--यही परिस्थिति इसमें भी है। १४ ही की नामजदगी हुई और सही पाये गये।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति--इसमें भी यही परिस्थिति है।

सूचना स्थायी समिति--इसमें भी यही परिस्थिति है।

पुलिस स्थायी समिति--इसमें भी यही परिस्थिति है।

उद्योग स्थायी समिति--इसमें १४ नामजदगी हुई और सही पाये गये।

सहकारी स्थायी समिति--१४ सदस्यों की नामजदगी हुई और सही पाये गये।

कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति--इसमें भी १४ की नामजदगी हुई और सही पाये गये।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई)--इसमें भी वही परिस्थिति है।

[श्री अध्यक्ष[

सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत)--सिर्फ़ १३ ही नामजदगियां हुई हैं और उनके नाम यह हैं:--

१--श्री पुत्तूलाल .. २--श्री मुहम्मद अब्दुल लतीफ
३--श्री रामनारायण त्रिपाठी .. ४--श्री कल्याणराय
५--श्री हरदयालसिंह पिपल .. ६--श्री करनसिंह
७--श्री बैजूराम .. ८--श्री प्रतिपाल सिंह
९--श्री नत्थूसिंह .. १०-श्री बलवीरसिंह
११--श्री रामकृष्ण जायसवाल .. १२--श्री देवराम
१३--श्री बेनीसिंह

तो एक नामांकन इसमें कम है, उसके सम्बन्ध में आखिर में जिक्र कर दूंगा कि क्या कार्यवाही होगी?

वन स्थायी समिति--इसमें भी १३ सदस्यों का नामांकन हुआ है। नाम यह हैं:--

१--श्री महमूद अली खां (रामपुर) २--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट
३--श्री महावीर सिंह (देवरिया) .. ४--श्री चन्द्रहास
५--श्री दीनदयालु शास्त्री (सहारनपुर) ६--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह
७--श्री सत्यसिंह राणा .. ८--श्री रामहरख यादव
९--श्री रघुराज सिंह .. १०--श्री गणेशप्रसाद पांडे (गोरखपुर)
११--श्री रामभजन शर्मा .. १२--श्री रामसनेही भारतीय
१३--श्री अंशुमान सिंह

स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थायें स्थायी समिति--इसमें भी १३ नामजदगियां हुई हैं। नाम इस प्रकार हैं:--

१--श्री मलखानसिंह .. २--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित
३--श्री गौरीराम (गोरखपुर) .. ४--श्री राधामोहन सिंह
५--श्री बाबूराम गुप्त .. ६--श्री रामगुलाम सिंह
७--श्री श्याममनोहर मिश्र .. ८--श्री कुंवरकृष्ण वर्मा
९--श्री शिवराजबली सिंह .. १०--श्री नारायणदत्त तिवारी
११--श्री रामस्वरूप (मिर्जापुर) .. १२--श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना
१३--श्री फ़ज़लुल हक़

यातायात स्थायी समिति--में भी १३ का नामांकन हुआ है। नाम इस प्रकार हैं:--

१--श्रीमती चन्द्रवती .. २--श्री जटाशंकर शुक्ल
३--श्री शिववक्ष सिंह राठौर .. ४--श्री हरिप्रसाद (पीलीभीत)
५--श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट .. ६--श्री जगन्नाथ सिंह
७--श्री वशिष्ठनारायण शर्मा .. ८--श्री पुलिन विहारी बनर्जी
९--श्री जगदीशसरन रस्तोगी .. १०--श्री देवदत्त शर्मा
११--श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (देवरिया) १२--श्री रमेशचन्द्र शर्मा
१३--श्री बिशम्बर सिंह (मेरठ)

विकास और नियोजन स्थायी समिति--इसमें भी १३ नामजदगियां हुई हैं।

१--श्री चिरंजीलाल पालीवाल .. २--श्री फतेहसिंह राणा
३--श्री गुरुप्रसाद सिंह .. ४--श्री दीपनारायण वर्मा
५--श्री नेकराम शर्मा .. ६--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि
७--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी .. ८--श्री वृजभूषण मिश्र
९--श्री मुहम्मद अदील अब्बासी .. १०--श्री खयालीराम शास्त्री
११--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी .. १२--श्री शिवनाथ काटजू
१३--श्री मदनमोहन उपाध्याय

शरणार्थी स्थायी समिति में केवल एक नाम आया है श्री झारखंडे राय का, और अन्य किसी ने नामजदगी अभी तक नहीं कराई है।

तो जिन समितियों में एक नाम खाली है या बहुत से नाम खाली हैं, एक समिति ऐसी है जिसमें एक ही नाम आया है, उनमें से शाम तक अगर कोई नाम वापस न हुये तो वह जो बाक़ी नाम हैं वह नाम निर्वाचित घोषित कर दिये जायंगे और जो रिक्त स्थान हैं उनके नामांकन की दूसरी तिथि निश्चित कर देता हूं। यद्यपि अगर चुनाव होगा तो चुनाव जब अगले वक्त में बैठक होगी तभी हो सकेगा। लेकिन इस बीच में सम्भव है कि अगर नामजदगी हो जाय तो चुनाव की आवश्यकता न पड़े। इसलिये नामजदगी के लिये मैं तिथि निर्देशित कर देता हूं। नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिये, रिक्त स्थानों के लिये, ३१ मार्च, सन् १९५५, १२ बजे तक और नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ३१ मार्च, ५५ को सवा दो बजे और नाम की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ३१ मार्च, ४ बजे तक रखता हूं। परन्तु एक और सुझाव है। मैं इसको एक रोज़ बढ़ा देता हूं क्योंकि शायद कुछ लोग यहां रह जायं इस कार्य के लिये कि समझौता ३१ तक न हो! तो २ अप्रैल को ४ बजे तक नाम वापस लेने का समय मैं दे देता हूं। समझौते से उतने ही नाम नामजद हुये जितने कि स्थान रिक्त हैं, तो उनमें से अगर किसी ने नाम वापस न लिया तो हमारे दफ्तर की तरफ से वे सब निर्वाचित घोषित कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार जो अन्य समितियों के बारे में मैंने आज पहिले सूचना दी है, यदि किसी ने उनमें से आज ४ बजे तक नाम वापस न लिए तो शाम को या कल सबेरे मैं घोषणा कर दूंगा कि वे फलां-फलां समिति के सदस्य चुने गये।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के के लिये प्रस्ताव पर विचार होगा। इस सम्बन्ध में आप क्या पहले के लिये कोई समय निर्धारित करना चाहते हैं?

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि दोनों एक ही साथ मूव हो जायं। जिसको पहले में कहना हो वह पहले में कह देगा और जिसको दूसरे में कहना होगा, वह दूसरे में कहेगा।

श्री अध्यक्ष--यह मैं समझता हूं दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। इसलिये अलग-अलग ही इनको रखना ठीक होगा। १५ मिनट का समय मैं समझता हूं पहले के लिये रख दिया जाय। इतना काफी होगा क्योंकि उसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो १५ मिनट में पहले अनुदान के लिये दे देता हूं और फिर दूसरा लिया जायगा जो शाम तक चलेगा।

अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--राज्य व्यापार की योजनायें--(लेखा शीर्षक ८५--क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत १२,८४,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मुझे इस विषय के ऊपर कहना था, कल जब मैंने इसी प्रकार का एक दूसरा अनुदान जो इस विभाग से सम्बन्ध रखता था सदन के विचारार्थ पेश किया था, उस समय मैंने जो विभाग की नीति है और जो कार्य संचालन की जिम्मेदारी है, उसके विषय में चर्चा कर दी थी। अब आज मैं यह नहीं समझता कि उस विषय के ऊपर फिर से कोई चर्चा सदन में करूं और इसलिये मैं इस अनुदान को सदन के विचारार्थ इसी रूप में रखता हूं जिस रूप में कि यह है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बहुत शिकायत रहती है कि बराबर कटमोशंस उनके अनुदानों में पेश हुआ करते हैं। आज हमने यह सोचा है कि उनके अनुदान में कोई कटमोशन न पेश किया जाय। हम चाहते हैं कि जो रुपया उन्होंने मांगा है वह उन्हें बड़ी खुशी के साथ दे दिया जाय। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०-राज्य व्यापार की योजनायें (लेखा शीर्षक ८५-क- राज्य व्यपार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत १२,८४,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय, ६३-ख--सामुदायिक राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य-विकास योजनाएं

*श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२--योजना और एकीकरण (लेखा शीर्षक ६३-क-युद्धोतर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय, ६३-ख-सामुदायिक राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य-विकास योजनायें) के अन्तर्गत ५,८२,७५,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस अनुदान को मैंने सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है। वह अनुदान ऐसे विभाग से सम्बन्ध रखता है जिस विभाग ने इन तीन चार वर्षों में उत्तर प्रदेश के गांव की रूप रेखा में परिवर्तन करने की चेष्टा की है, गांव के निवासियों को एक नया प्रकाश प्रदान किया है, उनमें एक नया उत्साह दिया है और एक नया बल गांव के निवासियों को इन अनुदानों के द्वारा कार्य करने का प्राप्त हुआ है। सदन के सदस्यों को यह भली भांति ज्ञात है कि यह नियोजन का कार्य अपने प्रदेश में तीन चार वर्षों से प्रारम्भ हुआ है। पंच वर्षीय योजना की जो रूप रेखा हमने प्रदेश मे तैयार की उसका क्या मतलब था, उसके ऊपर तो मैं अधिक शब्दों में प्रकाश डालने की धृष्टता नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस प्रकार का पूर्ण विश्वास है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य उस नियोजन की योजना से और प्रथम पंच वर्षीय योजना से भली भांन्ति परिचित हो गया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । उस योजना का और आगे आने वाली योजनाओं का तो मतलब ही यह था कि प्रदेश में देहाती क्षेत्रों में जो अब तक जीवन रहा है, उसमें परिवर्तन लाया जाय, किसान जो सदियों से पिछड़ा रहा है, जिसने अभी आधुनिक सुविधायें प्राप्त करने का सुख भोगा नहीं है, उसके लिए ऐसे साधन मुहैय्या किये जायं जिससे कि वह आधुनिक प्रकार का विकास करता हुआ अपने स्तर को उत्तरोत्तर ऊंचा कर सके, अपने बीच से कमजोरियां और खामियों को निकाल सके और एक नया युग अपने बीच में स्थापित कर सके । इस अनुदान के तहत में इसी प्रकार के कार्य पंचवर्षीय योजना के तहत में तीन चार वर्षों से होते चले जा रहे हैं । यह वर्ष हमारी उस पंच वर्षीय योजना का आखिरी वर्ष है और जो कुछ उस पंच वर्षीय योजना के तहत में हम अब तक करते रहे हैं और इस अगले वर्ष में करेंगे उसके ऊपर द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हमें क्या कार्य करने बाकी रहेंगे और क्या करना चाहिये, वह बातें सब इनही बातों के कार्यान्वित होने पर ही आश्रित हैं और इस लिये आज हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस पंच वर्षीय योजना को सफल बनाकर अपने बीच में द्वितीय पंच वर्षीय योजना की रचना इस प्रकार से करें जिससे कि हमारे ग्रामीण जीवन में नया परिवर्तन आये ।

पहली पंचवर्षीय योजना जो हमने प्रदेश में तैयार की थी उसको तो हमने करीब ८६ करोड़ की रकम के भीतर ही बांध कर रखा था, परन्तु उत्तरोत्तर उस हमारी योजना में परिवर्तन होता रहा, वृद्धि होती रही और हमने पंच वर्षीय योजना बनायी भी इस दृष्टिकोण से थी कि हमारी यह धारणा थी कि हमारे बीच में इस प्रकार की पंच वर्षीय योजना बननी चाहिये जिस में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहे, वृद्धि होती रहे और इस प्रकार की योजना हम अपने बीच में निर्मित न करें जिसमें हम परिवर्तन ही न कर सकें । हमारा ऐसा विश्वास है कि जो नियम हमने पंच वर्षीय योजना में नियोजन की अनुदान के सम्बन्ध में निर्धारित किये हैं, यद्यपि हमने उन नीतियों के सम्बन्ध में यहां बैठकर बहुत कुछ निर्धारित किया था, परन्तु अब हमारी मंशा है कि जब हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना अपने बीच में स्थापित करें और उसको कार्यान्वित करने के लिये विचार करें तो वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना ऐसी होनी चाहिये जिससे गांव के रहने वाले उन व्यक्तियों को, जिन्हें इस योजना पर कार्य करना है, उसको उन्हें स्वयं ही बनाना है । क्योंकि हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर द्वितीय पंच वर्षीय योजना इस प्रकार से बनायी जायगी तो वह अधिक से अधिक रूप में कार्यान्वित हो सकेगी और लोग उसको कार्यान्वित करने में अधिक से अधिक सहयोग दे सकेंगे और इस प्रकार से उसे चालू करने की चेष्टा करेंगे, जिससे हमें आगे चलकर कोई कठिनाई न आये और सफलता प्राप्त होती रहे ।

मुझे आज इस बात के बताने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि अब हम जो इस प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और जिस योजना के तहत में अब तक कार्य करते चले आ रहे हैं वह ऐसे हैं जो हमें शक्ति प्रदान करने वाले हैं, हमारी उत्पादन शक्ति को बढ़ाने वाले हैं और हम एक उस समाज की रूपरेखा की रचना करने वाले हैं जिसके लिये आज हम प्रयत्नशील हैं और जिसके लिये हम वर्षों से प्रयत्न करते चले आ रहे हैं, इस अनुदान के तहत इन कार्यों की पूर्ति के सिलसिले में जिनका मैंने अभी वर्णन किया है । हमारे बीच में सामूहिक विकास योजनायें चल रही हैं, हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनायें संचालित की जा रहीं हैं और विकास की अनुसंधान-शालायें चलाई जा रही हैं, जिनमें अणु के द्वारा हम ग्रामीण कार्यकर्ताओं के बीच में उन नवीन अनुभवों का परिचय देना चाहते हैं और उसकी समीक्षा उनके ही द्वारा कराना चाहते हैं । हम इस अनुदान के द्वारा जो हमारे प्रदेश की मैन पावर है उसको अधिक संख्या में मोबिलाइज करना चाहते हैं । साथ ही अपने प्रदेश के नवयुवकों, नवयुवतियों में, बच्चों में और सेवक और सेविकाओं में वह भावना उत्पन्न करना चाहते हैं जिससे वह देहाती क्षेत्रों के कार्यों में संलग्न हो सकें और वहाँ के रहने वालों को एक नया जीवन प्रदान कर सकें ।

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

हमारे प्रदेश में अब जो कार्य इस अनुदान के तहत में होने वाले हैं वह इस प्रकार के होंगे जिस प्रकार कि अब से तीन चार वर्षों के अन्दर देहाती क्षेत्रों में, सामूहिक विकास क्षेत्रों में, राष्ट्रीय विकास सेवा केन्द्रों में रचे जा रहे हैं, यानी देहात के रहने वाले बच्चों में एक नई भावना उत्पन्न करें। वह भावना जिस तहत में कार्य करते हुये वह आगे बढ़ सकते हैं, अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, अपने जानवारों की स्वास्थ्य के रक्षा कर सकते हैं और वहां के जन संख्या के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं, और साथ ही में उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जो अशिक्षित रहे हैं और जिन्हें वर्षों से शिक्षा से वंचित रहना पड़ा है। हम इन योजनाओं के तहत में देहाती क्षेत्र के बच्चों में एक नई भावना उत्पन्न करना चाहते हैं जिसके तेहत में कार्य करते हुये वह अपने पढ़ने के समय में वह चीजें पैदा कर सकें जो उनके कल के जीवन में आवश्यक प्रतीत होंगी, और जिनकी शिक्षा के द्वारा कदाचित वह स्वावलम्बी बन सकेंगे।

हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनेगी, हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के बाद हमारे बीच में उन तमाम बातों का संतुलन करेगी जिनको हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरा नहीं कर पाये हैं। हममें से प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर खाद्यान्न को उत्पन्न करने के विषय मे था और होना भी चाहिये था क्योंकि यह प्रदेश १०-५ वर्षों से विदेशों से अपने यहां अन्न मंगाकर अपने देश के रहने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था और उसकी वजह से करोड़ों रुपया विदेशों को भिजवाता रहता था। वह रुपया जो रोका जा सकता था और जिसके रुकने से प्रदेश के बहुत से कार्य संचालित किये जा सकते थे, वह चीजें प्रदेश के अंदर चलायी जा सकती थीं, जिनकी इस प्रदेश के नागरिकों को आवश्यकता थी, और जिनका अभाव सदियों से उनके बीच में अखर रहा था। और इसलिये प्रदेश की सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने भी जगह-जगह प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत में उस चीज के ऊपर अधिक जोर दिया जिससे खाद्यान्न की अधिक उत्पत्ति बढ़ सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा यह कर्तव्य होगा कि हम लोगों को अधिक से अधिक रोजगार में लगावें। ऐसे व्यक्तियों को जो अनइम्पलायड हैं, ऐसे व्यक्ति जो रोजगार में नहीं लगे हुयें हैं उनको रोजगार दिला सकें, और साथ ही उन विषयों के ऊपर व्यय करने की योजना तैयार करें जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार से धन प्राप्त नहीं कर पायी थी, जितना कि उनको प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब रुपया मिलना चाहिये था। क्या हम नहीं जानते कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने सर्विसेज के लिये बहुत कम रकम रखी थी? वह रकम जान बूझकर कम रखी थी क्योंकि हमारा यह ख्याल था कि यदि हम प्रदेश में खाद्यान्न की समस्या को सुलझा लेंगे तो कदाचित स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, आसानी से हल हो सकेगी। मैं इसलिये सदन के सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में, खाद्यान्न की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उन साधनों को मुहय्या करने में जो व्यय किया है उससे अधिक मात्रा में दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन चीजों की उत्पत्ति के लिये, उन साधनों को मुहय्या करने के लिये जिससे लोगों को रोजगार में लगा सकें हम व्यय करेंगे। उत्तरोत्तर इस वर्ष हमारा यह विचार रहा है कि यह राज्य जो अभी तक प्रदेश की हुकूमत को चलाने के लिये विभिन्न विभागों के संचालन के लिये चल रहा है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके संचालन में तब्दीली आवे। यह हमारे अधिकारी वर्ग जो रेवेन्यु पर कार्य करते हैं, रहे हैं, जो पुलिस ला एन्ड आर्डर को मेन्टेन करने के कार्य को करते रहे हैं, उनके लिये हम उत्तरोत्तर कल्याणकारी राज्य की सुविधा पर विचार करें और उसको पूरा करने की चेष्टा करें जिससे अपने बीच में उसकी स्थापना हो सके और समाजवाद के आधार पर हमारा समाज स्थापित हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरोत्तर हमारी यह सर्विसेज जो अभी तक उन कार्यों में लगी हुयी थी जिनकी तरफ मैंने इशारा किया यह फैलती जा रही हैं जिससे वह नये कल्याणकारी राज्य को लेकर हमारे बीच में आवें।

हमने इस जमाने में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये इन सामुदायिक विकास केन्द्रों को संचालित करने के लिये और राष्ट्रीय विकास सेवा केन्द्रों को चलाने के लिये

अपने प्रदेश में करीब करीब २५ शिक्षण केन्द्र चल रहे हैं, जिनमें हम शिक्षित कर रहे हैं उन व्यक्तियों को जो देहात में जाकर डिस्ट्रिक्ट लेविल वर्कर, ग्रुप लेविल वर्कर और विलेज लेविल वर्कर के रूप में कार्य करेंगे। आज इस बात की आवश्यकता है कि उन कार्यकर्ताओं को जो देहात में जाकर कार्य करने वाले हैं, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाय, जिससे जिन व्यक्तियों में जाकर कार्य करने की जरूरत है उनको यह बता सकें कि वह जब उन व्यक्तियों के बीच में कार्य करने के लिये आये हैं तो उनके बीच में वह सेवक के नाते कार्य करने आये हैं और ऐसे व्यक्ति के नाते कार्य करने के लिये आये हैं जो उन व्यक्तियों को सुविधा प्रदान कर सकें, शिक्षा दे सकें और अपने अनुभव को बता सकें जिससे गांव में रहने वाले लोग उनसे वह कार्य, जो अब हम करने वाले हैं और जिससे उन लोगों का लाभ होने वाला है उनमें वह अधिक दिलचस्पी ले सकें और उन्हें उत्साह के साथ पूरा कर सकें। हमारी इन शिक्षा संस्थाओं में हमने अभी तक करीब १९० डिस्ट्रिक्ट लेविल वर्कर, ७३० ग्रुप लेविल वर्कर और २,१९४ विलेज लेविल वर्कर तैयार किये हैं, और १,५०० अभी ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि ज्यों-ज्यों हमारा यह कार्य बढ़ता जायगा, उत्तरोत्तर हमारा यह भरोसा है कि प्रदेश में हमारी वह संस्थायें स्थापित होती जायंगी। इन सामुदायिक विकास केन्द्रों के तहत में और राष्ट्रीय प्रसार सेवा के तहत में, जिनकी आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं और जिनकी बुनियाद पर हम गांवों का निर्माण और अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा करने के लिये हमें करीब १३ हजार व्यक्तियों को शिक्षित करना पड़ेगा और उसके लिये हमें पहले से ही प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन योजनाओं को चलाने के पूर्व ही हमें शिक्षित व्यक्ति मिल जायेंगे तो हमारे कार्य में सुभीता पैदा हो जायगा और फिर हम असानी से अपने कार्य की प्रगति को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू की, जिसके तहत में जितने आंकड़ों का वर्णन किया उनमें वे आंकड़े शामिल नहीं हैं जो रिहन्ड डैम के निर्माण से संबंध रखते हैं तथा वे भी सम्मिलित नहीं हैं जो अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये बढ़ाये गये हैं या इस्तेमाल किये गये हैं।हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत में जो कार्य किया है, उसके जरिये से जो पैदावार में वृद्धि की है उसमें हमने करीब ६० प्रतिशत कार्य को पूरा कर लिया है। अगर दूसरों के मुकाबले में अपने कार्य को जाय देखें तो हमें मालूम होगा कि हमने ५० प्रतिशत कार्य को समाप्त कर लिया है। हमने यह भी चेष्टा की है कि लोगों को अन्य उद्योग धंधों में लगाने के लिये ऐसे व्यवसाय की स्थापना प्रदेश के अन्दर की जाय, जिससे अधिक संख्या में लोगों को काम दिया जा सके। इसके लिये हमने अपने प्रदेश में सामूहिक विकास केन्द्रों की स्थापना की है और ऐसे २६ केन्द्र स्थापित किये हैं और करीब ९४ के हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय विकास सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं। अगले वर्ष में ३० राष्ट्रीय विकास सेवा केन्द्र और २६ जो सामूहिक विकास केन्द्र हमारे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, उनमें से ३० राष्ट्रीय विकास केन्द्रों को हम इंटेंसिव ढंग से संचालित करना चाहते हैं। सरकार की यह कोशिश और अभिलाषा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ और स्थानों पर राष्ट्रीय विकास सेवा केन्द्रों को स्थापित किया जाय जिनके द्वारा हम अपने प्रदेश के प्रत्येक गांव में उस चेतना को लेकर खड़ा कर दें, जिसकी अब तक कमी रही है और जिसके द्वारा गांवों और देहात के लोग अपने जीवन में नया परिवर्तन ला सकें। जहां हमारे सामूहिक विकास केन्द्र चल रहे हैं वहां हमने ७५ प्रतिशत खेती में उस टारगेट को पूरा कर लिया है जो योजना के बनाने में हमने सीमा निर्धारित की थी। खासकर गेहूं के विषय में हमने अपने टारगेट को ७५ प्रतिशत पूरा कर लिया है। जहां तक चना, जौ आदि का सवाल है उसमें भी हमने ५० प्रतिशत से अधिक प्रगति की है और ५० प्रतिशत से अधिक मात्रा में उनकी पैदावार को बढ़ाया है। इसके लिये हमने देहात के रहने वालों को नवीन प्रकार के औजार दिये, वैज्ञानिक ढंग से खेती बढ़ाने वाले फर्टीलाइजर और हरी खाद हमने उनको वितरित की और जिनकी बुनियाद पर ही हम पैदावार को बढ़ाने में सफल हो सके हैं।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इसके अतिरिक्त ५,७०० एकड़ भूमि उन स्थानों पर वेजीटेबिल्स के लिये तैयार करा दी है जिन स्थानों पर अभी तक वेजीटेबिल्स नहीं पायी जाती थी, और उसको हमने नये ढंग से कल्टीवेशन के रास्ते पर लगा दिया है । हमने यह भी कोशिश की है कि हमारे प्रदेश में खेती का क्षेत्र बढ़े । और खेती के क्षेत्र को बढ़ाने में हमने कम से कम १ लाख ८० हजार एकड़ जमीन में इर्रीगेशन की सुविधायें पहुंचा दीं और उससे हमारे प्रदेश के इन क्षेत्रों में खेती बढ़ी है जहां कि हमने इन सामूहिक विकास योजनाओं को चलाया है । हमने यह भी कोशिश की है , और यह भी हमारी अभिलाषा है कि जब तक ये सामूहिक योजनायें हमारे बीच में चल रही हैं तब तक कम से कम प्रदेश के इन सामूहिक विकास योजनाओं के क्षेत्र के आधे हिस्से में हम इर्रीगेशन की फैसिलिटीज पहुचा दें और हम आशा करते हैं कि हमारी इस अभिलाषा में हमें सफलता मिलेगी । हमने यह भी कोशिश की है कि इन क्षेत्रों के रहने वाले अपने जानवरों को उन्नतिशील बनावें और उनके बीच में जो बीमारियां अब तक फैली रहती थीं उनका निराकरण होवे । हमारे पास जो आंकड़े हैं और जो सूचनायें हैं उनसे हमें यह ज्ञात होता है कि इन क्षेत्रों में से १८ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इन गांवों के रहने वालों जानवरों के बीच में वे रोग न फैल सकें जो बहुधा और स्थानों के रहने वालों के जानवरों के बीच में फैलते रहते थे । हम उम्मीद करते हैं कि अगले ६ महीने के अन्दर जो कि बचे बचाये क्षेत्र हैं उनके बीच में जो जानवर हैं उनमें वे रोग न पैदा हो सकें जिनकी वजह से वे समय-समय पर अपने जानवरों को खो देते थे और जिसकी वजह से वे अपने जानवरों को उन्नतिशील नहीं बना सकते थे और उनसे वे कार्य नहीं ले सकते थे जिन कार्यों को लेकर वे अपनी खेती में वृद्धि कर सकते थे । हमने इन क्षेत्रों के रहने वालों के बीच में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ायी हैं । प्रत्येक इस क्षेत्र के रहने वालों के लिये एक अस्पताल की स्थापना की है तथा एक मैटरनिटी सेंटर की भी स्थापना की है तथा विलेज लेविल वर्कर्स जो हैं उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे रखी है तथा उनको एक-एक मेडिसिन चेस्ट दे रखा है ताकि वे गांव के रहने वालों की अधिक से अधिक सेवा कर सकें और उन बीमारियों को दूर करने में जितना भी वे कर सकते हैं करें । इस तरह से करीब २ लाख ८० हजार आदमियों की सेवा करने के लिये इन क्षेत्रों के रहने वाले पंचायत सेक्रेटरीज , तथा उन गांवों में रहने वाले विलेज लेविल वर्कर्स को शिक्षा मिली हुई है । और मैटरनिटी सेंटर के द्वारा जो हमने अपनी माताओं और बच्चों के लिये सुविधायें प्रदान की हैं उसके बारे में भी अधिक प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमने दूधी इलाके में और पूर्वी जिलों में जो बीमारियां बहुत जमाने से चली आ रही हैं, और बहुत बढ़ती जा रही हैं उनको भी रोकने का प्रबन्ध किया है । हमने उन इलाकों में, जैसे देहरादून के नजदीक के इलाके में वी०डी० आदि बीमारियों से, जो लोक तड़पा करते थे, उनको भी रोकने का प्रबन्ध इन क्षेत्रों के रहने वालों के लिये किया है । डी० डी० टी० का छिड़काव करके हमने बहुत से रोगों को इन क्षेत्रों के गावों में रहने वालों के बीच में फैलने से रोक रखा है । आज वहां मलेरिया की बीमारी नहीं है , आज वहां कालरा भी नहीं है तथा वहां प्लेग तो देखने को भी नहीं मिलता है । यह तभी सम्भव हो सका है जब कि हमने नये प्रयास करके इन नयी संस्थाओं द्वारा जनता की सेवा करके इन गांवों के रहने वालों के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया है । हमने इन क्षेत्रों के रहने वालों के लिये अधिक मात्रा में ड्रिंकिंग वेल्स के लिये अनुदान देने का प्रयास किया है ताकि लोगों को पीने के लिये शुद्ध जल मिल सके । हमने इस बात का भी प्रयास किया है कि उन गांवों में नालियां आदि बनायी जायं और उन गांवों में ऐसे चबूतरे वगैरह तैयार किये जायं जहां कि वे इकट्ठे हो सकें । ऐसे पंचायतघरों की स्थापना की जाय जहां कि सांयकाल इकट्ठा हो कर अपनी छुट्टी के समय में वे बातचीत कर सकें । हमने इन स्थानों में सड़कों के निर्माण करवाने की भी चेष्टा की है । और हमने बहुत से गली कूचे बनवाने का भी प्रबन्ध किया है । इन क्षेत्रों में सड़कों के नवीनीकरण का भी हमने प्रयास किया है और इन गांवों के रहने वालों ने स्वयं अपनी मेहनत से और अपना सहयोग प्रदान करके

७१ मील पक्की सड़क इस क्षेत्र के रहने वालों के बीच में बनायी है और ९९२ मील कच्ची सड़कें भी तैयार की है। और १८,००० गज लम्बे गांव के खड़न्जे आदि तैयार किये हैं। यह तमाम प्रगति इस बात की द्योतक है कि गांव के रहने वाले अब स्वयं इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि बहुत कुछ उनकी प्रगति की जिम्मेदारी और उसकी कुन्जी उन्हीं के हाथों में है और वह अब स्वावलम्बन का वह सबक सीख गये हैं कि यदि उनकी प्रगति इसी प्रकार होती रही तो वह दिन शीघ्र उनके बीच में आयेगा कि उन क्षेत्रों के रहने वाले अपने ही प्रयास से अपनी सुविधाओं को रफा कर सकेंगे।

जहां तक सामाजिक शिक्षा का सम्बन्ध है उस क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। ६८६ लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स स्थापित किये गये हैं और ६८३ कम्युनिटी सेन्टर्स, और १ हजार लिटरेरी क्लासेज खोले गये हैं जहां पर प्रौढ़ शिक्षा का कार्य बढ़ाया गया है। यह जानते हुये कि पिछले जमाने में देहात के रहने वालों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम रहा है और वहां ऐसे बहुत व्यक्ति अब भी हैं जो शिक्षा से वंचित रहे हैं। इसलिये इस योजना के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा का प्रबन्ध उन क्षेत्रों में किया जा रहा है। हमने उन्हीं क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के श्रम के द्वारा और उन्हीं के धनदान के द्वारा और उन्हीं के सामान के द्वारा वहां ४५ लाख रुपये के काम कराये हैं और जो सब उन्हीं के सुभीते के लिये हैं। यह सब इस बात का द्योतक है कि गांव के रहने वाले उत्तरोत्तर तरक्की करते चले जा रहे हैं।

जो घरेलू उद्योग धंधे किन्हीं कारणों से हमारे बीच से हटते चले जा रहे थे उनको फिर से रिवाइव करने की चेष्टा की गई है और इन क्षेत्रों में कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है जो सदियों से गांवों में फैली थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से वे धीरे-धीरे हमारी नजरों से विलीन होते जा रहे थे। वहां हमने लोहारी का काम सिखाने के लिये, बढ़ई का काम सिखाने के लिये, चमड़े का काम सिखाने के लिये, खादी का काम सिखाने के लिये, ऊन के कपड़े का काम सिखाने के लिये, सिल्क का काम सिखाने के लिये और इस प्रकार के तमाम कामों की शिक्षा देने के लिये, गांव के रहने वालों की सुविधा के लिये ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था की है जिससे उनके बीच में सहकारी समितियां शीघ्रता से स्थापित हो जायं और उनके द्वारा गांव वाले अपनी इन चीजों का विकास, उनको बेचने आदि के लिए सहकारिता की बुनियाद पर अपना रोजगार फैलाने की व्यवस्था कर सकें। हमने इस बात की भी चेष्टा की है कि चमड़े के उद्योग को आधुनिक ढंग से चलाया जाय ताकि यह रोजगार इन गांवों के गरीब रहने वालों को अधिक रोजगार दे सके और नये ढंग से काम करने की शिक्षा-दीक्षा प्रदान कर सके। राष्ट्रीय विकास सेवा केन्द्रों में भी हमने इन कामों को बढ़ाया है जिनकी बुनियाद पर देहात के लोगों को सुभीते प्रदान कराये गये हैं जिससे उनकी खेती में वृद्धि हुई है और उनको भी उसी तरह के सुभीते प्राप्त हुए हैं जिस तरह के सुभीते उन सामूहिक विकास केन्द्रों के लोगों को प्राप्त हुए हैं जिनका वर्णन अभी मैंने किया।

इस समय ९४ राष्ट्रीय विकास केन्द्र हमारे बीच में कायम हैं और इनमें से ४०-४१ ऐसे हैं जिनको केवल एक साल काम करते हुये हुआ है। लेकिन उनके बीच में जो कार्य अब तक हुआ है उसके आंकड़े मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। जहां तक खेती का विषय है इन क्षेत्रों में दो ढाई लाख मन इम्प्रूव्ड सीड या उन्नतिशील बीज वितरित किया गया है और ५० हजार मन वैज्ञानिक खाद बांटा गया है, और ८६०० एकड़ जमीन इन क्षेत्रों में फलों की कल्टीवेशन के लिये तैयार की गई है। ४ हजार डिमांसट्रेटर्स, जो इन नाना प्रकार की चीजों को पैदा करने के प्रयत्न किये हैं, उनके लिये उनके खेतों के बीच में रखे गये हैं जिससे पैदावार में वृद्धि हुई है और २२ हजार रुपये के नये प्रकार के इम्प्लीमेंट्स इन लोगों में वितरित किये गये हैं। इर्रीगेशन के लिये सिंचाई की सुविधायें १ लाख २५ हजार एकड़ जमीन में दी गयी हैं। एनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट की तहत में इनके जानवरों की

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इलाज का प्रबन्ध इनाकुलेशन्स इत्यादि दे कर उसी प्रकार से किये गये हैं जिस प्रकार कि सामूहिक विकास के केन्द्र में किये गये हैं। और जनस्वास्थ्य के विकास के सिलसिले में इस क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के कार्य किये गये हैं कि ९० हजार पक्की ड्रेन्स इन गांवों में निर्मित हो चुके हैं। ९२७ कुयें पानी पीने वाले निर्मित किये जा सके हैं और २ हजार ७ सौ ८७ कुओं का फिर से रिपेयर किया जा सका। जहां तक समाज शिक्षा का सम्बन्ध है इन क्षेत्रों में रहने वालों में ६१९ प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र स्थापित किये गये हैं और ११७४ सामूहिक केन्द्रों की स्थापना हुई है। इन क्षेत्रों में रहने वालों ने भी करीब ९६ लाख रुपयों का कार्य श्रम के द्वारा, अपने दान द्वारा, अपनी चीजों के द्वारा इन क्षेत्रों में पूरा किया गया है। मैंने ये आकड़े इस सदन के सामने इसलिये उपस्थित किये हैं कि जो आंकड़े इन सामूहिक विकास केन्द्रों में राष्ट्रीय विकास सेवा क्षेत्र में हो रहे हैं वह उत्तरोत्तर गांवों के निवासियों के स्तर को ऊंचा कर रहे हैं और उनमें वह नये प्रकार की भावना उत्पन्न कर रहे हैं जो यदि बढ़ता रहे और जिसे यदि गांव के रहने वाले अपनाते रहें तो उनके जीवन में एक नया परिवर्तन पैदा करता रहेगा। मैंने यह भी प्रारम्भ में बताया था कि इस विकास के तहत में विकास का अन्वेषणालय कार्य कर रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव से फायदा उठाते हुये, प्रदेश और देश के अन्य प्रदेशों के अनुभवों से फायदा उठाते हुये हम अपने कार्यकर्ताओं के लिये ऐसा अन्वेषण कर रहे हैं कि जिनसे हमारे कार्यकर्ताओं को इन अन्वेषणों से अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। इस अन्वेषणालय में एसे अन्वेषण हम कर रहे हैं जिससे कि उस गांवों में काम करने वालों के बीच में अधिक कागज का कार्य न हो, दफ्तरी कार्य न हो और ऐसे कार्य वहां चलायें जावें जिससे दफतरी कार्य तो घटता जाय और फील्ड का काम अधिक मात्रा में बढ़ता जाय। इस अन्वेषणालय के तत्वावधान में हम इस बात का भी अन्वेषण कर रहे हैं जिससे छोटे-छोटे बच्चों में और अपने प्रदेश के नवयुवक में कैसे नयी योजनाओं को संचालित किया जाय और कौन-कौन कार्य इस प्रकार के चलाये जायें जिससे वे अपने पढ़ने के समय में अपने को कार्य में लगा सकें, और कार्य में लग कर ऐसी चीजों को पैदा कर सकें जिससे उनमें नया उत्साह आ सके, जो उनमें नया उमंग पैदा कर सके और उनके बीच में स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न कर सके। हमें इस अन्वेषणालय के तहत में सहकारिता के विषय में और अपने उद्योगधंधों के विषय में, जमीनों के संरक्षण के विषय में और देहाती जीवन और उसके, मूल्यांकन के विषय में अन्वेषण करना प्रारम्भ कर दिया है और हम समझते हैं कि यदि उनका अन्वेषण सफल हुआ तो उनके अनुभवों को हम देहाती क्षेत्रों में भी लागू कर सकतें हैं। हमने कपड़े के सम्बन्ध में उसमें अन्वेषण किया है, और यदि उसमें सफलता मिली तो गांव में भी प्रसारित की जा सकती है और उसके द्वारा गांवों के रहने वालों को काफी बड़ी संख्या में उद्योग मिल सकता है और उनके बेरोजगार को रफा किया जा सकता है और उन्हें काम में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो चमड़े का रोजगार है कि उसको आधुनिक ढंग से किस प्रकार कमाया जाय इसके ऊपर इस अन्वेषणालय में अन्वेषण हो रहे हैं और यदि इसमें सफलता मिली और वह अवश्य मिलेगी तो उसका अनुभव गांव के रहने वालों में भी प्रसारित किया जायगा और उससे गांव वालों को रोजगार मिलेगा और उससे बेरोजगारी गांव वालों के बीच से हट जायगी। हमने कई जगह पाईलेट प्रॉजेक्ट्स इन्हीं कार्यों के सम्पादित करने के लिये और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिये जारी कर रखे हैं और उनका कार्य इटावा में और लखनऊ में भी चल रहा है। और बलिया में भी जहां तक विद्यार्थियों और बच्चों का सम्बन्ध है, वहां भी एक पाइलट प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसा मैंने बताया कि जब बच्चे पढ़ते हों तो अपने ख़ेती की चीजों को चला सकते हैं और कैसे पैदावार को बढ़ा सकते हैं? इस अनुभव को आज प्राप्त करने की इस अन्वेषणालय में चेष्टा की जा रही है। बलिया में इस प्रकार का कार्य चल रहा है और हम आशा करते हैं कि यह चीज प्रदेश के और गांवों में और इन क्षेत्रों में रहने वालों के बीच में नई चेतना वहां के नवयुवकों और कम उम्र के बच्चों में पैदा करेगा। वेजीटे-

बिल इत्यादि को बोकर अपने बीच में और अपने उन व्यक्तियों के बीच में जिनके तहत में वह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वह नई चेतना उत्पन्न करेंगे । यदि बच्चे वेजीटेबिल इत्यादि गांवों में अपने पढ़ने के समय में बोना प्रारम्भ कर दें, और अपना खाली समय उन चीजों में लगाना प्रारम्भ कर दें तो वह घर-घर में विकास का युग ला सकेंगे और अपनी माता-बहिनों और पिता का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे कि उनके थोड़े से प्रयास से उन के चारों तरफ के वातावरण में तब्दीली लायी जा सकती है और उनके स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है । जब मैं इस अनुभव के विषय में बातें कर रहा हूं तो मैं अपना यह कर्त्तव्य समझ ता हूं कि मैं उस कार्य की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करूं यानी वह कार्य जो इस प्रदेश में ऐसी मात्रा में रचा गया जिसने अपने देश के और प्रदेशों के रहने वालों के लिये एक नमूना उपस्थित कर दिया । मेरा तात्पर्य श्रमदान से है । श्रमदान का कार्य पहले पहल इस प्रदेश से में आरम्भ हुआ । इस देश के किसानों में , नवयुवकों ने, यहां की जनता ने श्रमदान का कार्य सम्पादित कर के अपने देश के रहने वालों के सामने और दुनिया के अन्य देशों के रहने वालों के सामने एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जिसका अनुकरण करने के लिये आज इस देश के और प्रदेशों में भी बहुत कार्य हो रहे हैं । श्रमदान के द्वारा किस तरह से अपने प्रदेश में नवीन सड़कों का निर्माण हुआ, किस तरह से श्रमदान के द्वारा हमारी गली गलियारे, जो गन्दे पड़े रहते थे, उनमें सफाई लाई गई है और हमारे कुयें, जो अभी बन नहीं पाये थे, वह निर्मित किये गये और उनकी सफाई की गई । जो जानवरों के अस्पताल नहीं बन पाये थे वह बन गये है । मैं उनका अधिक मात्रा में वर्णन नहीं करना चाहता , क्योंकि मैं समझता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य उन कार्यों की पूर्ति में सहयोग, प्रदान करते रहे, गांवों में जा कर गांव वालों में प्रेरणा प्रदान करते रहे और अपनी प्रेरणा और सहयोग से गांवों के अन्दर रहने वालों में एक नया जीवन लाने की चेष्टा करते रहे इसलिये उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है । उन चीजों के आंकड़े जो श्रमदान के द्वारा प्रदेश में निर्मित हुये हैं वितरित कर दिये गये हैं उस पुस्तिका के द्वारा जो कल ही माननीय सदस्यों की मेजों पर रखे गये थे । अभी जनवरी के महीने में जो श्रमदान सप्ताह मनाया गया था उस की तहत में जो कार्य हुए हैं और पिछले श्रम दान के सप्ताहों में जो कार्य हुये हैं वे ऐसे कार्य हैं जो कभी भुलाये नहीं जा सकते क्योंकि उन कार्यों ने गांवों के रहने वालों में उत्साह पैदा कर दिया है और उन्हें कार्य करने की नयी प्रकार की शैली बतलाया है। वह उत्तरोत्तर अगर बढ़ता जायगा तो हमारा विश्वास है कि यह प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार भी उन कार्यों की पूर्ति में उनमें और अधिक उत्साह बढ़ाने के लिये सदैव धन देती रहेगी। इसलिये इस सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने श्रमदान के कार्यों की पूर्ति के लिये , इनमें सहयोग देने के लिये और लोगों में स्फूर्ति पैदा करने के लिये २ करोड़ ५७ लाख रुपये पिछले तीन वर्षों में व्यय किये हैं, और हम आशा करते हैं कि अगले वर्षों में भी उसी मात्रा में रुपये हमको केन्द्रीय सरकार से मिलता रहेगा जिस मात्रा में वह प्राप्त होता रहा है । हम तो यह चाहते हैं कि कदाचित् उनकी मात्रा और भी बढ़ जाय ताकि हम अपने यहां अपनी मैन पावर को मोबिलाइज करें और इस विभाग की तहत में प्रान्तीय रक्षा दल ने जो कार्य किया है वह कार्य भी हमारी नजर के सामने गुजरा है और उसके वर्णन करने की अधिक आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रान्तीय रक्षा दल ने अपने विभिन्न कैम्पों की रचना कर के लोगों का ध्यान श्रमदान की ओर आकर्षित किया है। काफी लोगों को शिक्षा प्रदान करके श्रमदान में जो कार्य सम्पादित होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के तरीके बतलाये हैं । मुझे बतलाया गया है कि १९३ कैम्पस पिछले वर्ष में प्रान्तीय रक्षा दल के रचे गये और उनमें करीब १३ हजार व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, और जिन व्यक्तियों ने कैम्पों में हिस्सा लिया और जो काम किये गये वे सर्वे इत्यादि कर के चलाये गये जिनकी जरूरत रोजमर्रा की थी, जैसे सड़कें बनाना, गलियां बनाना, रास्ते निकालना-

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

यानी हर उस कार्य के लिये जिसमें पहले तजुर्बे की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करके इन कामों में उन्होंने सहायता प्रदान की जिसकी आवश्यकता गांवों के रहने वालों को हर घड़ी पड़ती है। प्रान्तीय रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के मेलों में सहयोग प्रदान करके मेलों के कार्य में जो सुभीता गांव वालों को दिया है वह कार्य भी हमारी नजरों से गुजरा है और उसका भी वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़े दिन हुये प्रान्तीय रक्षा दल ने अपने इस नगर में एक यूथ फ़ेस्टिवल की रचना की जिसमें विभिन्न गांवों के देहाती सदस्यों ने, सरकारी कर्मचारियों ने और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और उसमें हिस्सा लेकर इस बात का परिचय दिया कि प्रान्तीय रक्षा दल ने जहां तक लोगों की तन्दुरुस्ती का सम्बन्ध है, देहात के व्यायाम का सम्बन्ध है, खेलकूदों का सम्बन्ध है, उनके बढ़ाने का प्रयत्न किया है। देहाती भाइयों में नया परिवर्तन लाने के लिए आज इस बात की आवश्यकता है कि हम उन खेल कूदों को फिर से प्रोत्साहन दें जो कि हमारे बीच में धीरे-धीरे घटते जा रहे थे, और हमारा ध्यान विदेशी खेल कूदों की तरफ अधिक जाने लगा था, और देहात के रहने वालों की जो आराम और सुभीते की चीजें थीं, जिनसे वे व्यायाम करते थे वे चीजें वे भूलते जा रहे थे। परन्तु प्रान्तीय रक्षा दल ने अपने प्रयास से उन खेल कूदों को बढ़ाने का प्रयास किया है और यह संस्था ग्राम के नवयुवकों में एक नया युग लाने की चेष्टा कर रही है और उनका ध्यान उन चीजों की ओर आकर्षित कर रही है जिससे गांव के रहने वाले आगे चल कर कदाचित् अपने जीवन को संभाल सकेंगे और उसे नये ढंग से परिवर्तित कर सकेंगे। हमने विभाग के मातहत में अगले साल के बजट में इस बात की चेष्टा की है कि अपने यहां टूरिस्ट ट्रेफिक को बढ़ायें। हमारे प्रदेश में ऐसे स्थान हैं जिनको देखने के लिये बहुत से बाहर के प्रदेशों और देशों के लोग आते रहते हैं, परन्तु उनको इन स्थानों में उन चीजों के देखने के लिये वे सुविधायें और सुभीता नहीं मिलता जैसा सुभीता और देशों में इस प्रकार की चीजों को देखने के लिये लोगों को मिलता है। हमें इस बात का ज्ञान है कि विदेशों में सरकार की ओर से टूरिट्स के लिये विभिन्न प्रकार की सुविधायें इस प्रकार के स्थानों को देखने के लिये प्रदान की जाती हैं। हमारे प्रदेश में, जैसा कि मैंने कहा बहुत से ऐसे स्थान हैं जो देखने योग्य हैं और जिनको देखने के लिये विदेशों से लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सुभीता देने के लिये और टूरिस्ट ट्रेफिक बढ़ाने के लिये अपने प्रदेश में इस विभाग के तहत में टूरिस्ट ट्रेफिक योजना की रचना की है, और इसलिये इस साल के बजट में हमने एक लाख रुपये की एक टोकेन मांग रखी है और वह मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी ज्यों ज्यों हम अपनी योजना सफलता के साथ बनायेंगे।

मैंने चन्द शब्दों में, जो इस विभाग की तहत में कार्य हो रहा है, उसका वर्णन किया है। यद्यपि जो वर्णन हमने किया है वह पूरा तो इतने थोड़े समय में नहीं हो सकता था, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि कार्य की प्रगति तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और उसमें हमें प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों का सहयोग मिलता जा रहा है। इस प्रकार का कार्य करने में, ऐसे देश में जो सदियों से गुलाम रहा हो, जो बहुत सी कुरीतियों का शिकार हो रहा है, किसी भी योजना को संचालित करने में दिक्कतें होती हैं और बड़ी-बड़ी दिक्कतें आज भी अपने विभाग में इन योजनाओं को संचालित करने में हमें अनुभव होती हैं। कभी-कभी कार्यकर्ताओं की शिथिलता भी हमें देखने को मिलती है लेकिन हमारा यकीन है और विश्वास है कि उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों हमारे कार्य की प्रगति बढ़ती जायगी, हमारे शिक्षकगण और कार्यकर्ता गण जो देहात में जाकर लोगों की सेवा के कार्य में लगेंगे, वह अपनी सेवा की भावनाओं से गांव के रहने वालों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकेंगे और उनमें उस जीवन का संचार कर सकेंगे जिस जीवन का संचार करने की हमारे दिल में लालसा बहुत दिनों से रही है। ऐसी अवस्था में हम प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता समझते हैं और यह आशा करते हैं कि यह कार्य जिस चेतना के साथ पिछले चार वर्षों में हुआ है, उससे हमें प्रत्येक का सहयोग प्राप्त रहेगा। मैं जानता हूं कि इस कार्य का संचालन प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहा और उसकी प्रेरणा अभी तक

हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलती रही है कि जो इस प्रदेश का एक बड़ा निर्माता रहा है। पं० गोविन्द वल्लभ पंत आज हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने ४ वर्षों तक इस विभाग का संचालन किया अपने अधिकारियों के साथ मिल कर और अपने सहयोगियों के साथ मिल कर जिनमें कि फूल सिंह जी का नाम प्रख्यात है, उन्होंने जो कार्य और जो प्रेरणा इस कार्य के संचालन के लिये दी वह अद्वितीय है, और वह इस कार्य के इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगी। इस कार्य में जिन कर्मचारियों ने काम किया है और उन्होंने जिस उत्साह से कार्य किया है वह भुलाया नहीं जा सकता। मैं आशा करता हूं कि आज जब यह बोझ कमजोर कंधों पर पड़ा है, इन कमजोर कंधों के बावजूद उन कर्मचारियों और साथियों का सहयोग हमें प्राप्त रहेगा जिससे कि हमें उस उद्देश्य की पूर्ति में सफलता हो सके, जिस उद्देश्य को लेकर हम जनता के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं और अपने देश के इतिहास में तब्दीली करना चाहते हैं। एक नये युग की रचना करके उस कल्पना को पूरा करने के लिये जिस कल्पना को पूरा करने के लिये वर्षों से हम प्रयत्न करते आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उस कल्पना को पूरा करने में इस सदन का और इस सदन के बाहर की जनता का पूरा पूरा सहयोग इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त रहेगा जिससे कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। और उस नये युग को जल्दी से जल्दी अपने बीच में ला सकें जिसकी लालसा हमारे दिलों में है। मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस अनुदान को इस सदन के विचारार्थ उपस्थित करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान बहुत महत्वपूर्ण है और शायद समय भी बढ़ाना पड़े, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे आधा घंटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत अनुदान संख्या ४२ के अधीन १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, किसी भी कल्याणकारी प्रदेश में नियोजन का कार्य वह सार्वजनिक सामूहिक क्रांतिकारी प्रक्रिया है जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी पद पर आसीन हो, सामूहिक दृष्टिकोण से भाग लेता है। मैं यह नहीं जानता कि आज की सरकार और हमारे माननीय नियोजन मंत्री जी अभी कितना समय लेंगे यह जानने के लिये कि कोई भी समाजवादी योजना एक मिक्स्ड एकोनामिक स्टेट में, एक अर्ध पूंजीवादी राष्ट्र में नहीं बन सकती और न बनायी जा सकती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि वह जनता की योजना नहीं थी। वह एक्सपर्ट्स द्वारा बनायी गयी योजना थी और आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स सदैव जनता की योजना नहीं बन सकते। और यही कारण है कि आज पंचवर्षीय योजना का वह रूप, जो पहले हमारे सामने था, वह विकृत हो गया है हम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके हैं और केवल ५१ फीसदी रुपया हम सम्पूर्ण योजना के अन्तर्गत खर्च कर चुके हैं और यह चमत्कार भी कर चुके हैं कि ५१ फीसदी रुपया खर्च करके और केवल १६ फीसदी रुपया बढ़ा करके १०० फीसदी टार्जट हम पूरा करने का स्वप्न देख रहे हैं यह इसी कारण और इसी बुनियादी कमजोरी से हो जाता है। लेकिन मुझे तो दुःख होता है कि माननीय मंत्री जी इस पंचवर्षीय योजना की कमी से अनुभव प्राप्त नहीं कर रहे हैं। नेहरू जी ने अभी हाल ही में मछली शहर में कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम पंचायतों से राय लेंगे। मैं नहीं जानता कि क्या प्रदेशीय सरकार और मंत्री जी इस सम्बन्ध में कर रहे हैं? मैं तो यह जानता हूं कि पंचायतों से प्लान के बारे में पूछना तो अलग रहा केवल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हर जिले में घूम रहे हैं! इसके अलावा

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अगर किसी विभाग का कोई अधिकारी किसी से नहीं पूछता है और जहा तक मुझे मालूम है जिला प्लानिंग कमेटीज से अभी तक नहीं पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में उनके क्या सुझाव हैं ?

श्रीमन्, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभवों के सम्बन्ध में उसके परिणामों के सम्बन्ध में, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि योजना की प्रथम जो शब्दावली है वह यह है कि देहातों का स्टैन्डर्ड आँफ लिविंग बढ़ाना है। अगर इस दृष्टिकोण से हम योजना को मापते हैं तो हम देखते हैं कि यू० पी० में देहातों की आमदनी, स्टेन्डर्ड आँफ लिविंग बढ़ने के बजाय घटी और सन् १९४७-४८ में १९४ रु० पर कैपिटा आमदनी देहात में थी। वह लेटेस्ट नेशनल सर्वे के अनुसार घट कर १९० रु० रह गई है। जब कि सरकार यह दावा करती है कि शहरी लोगों की आमदनी बढ़ कर पर कैपिटा १४७ रु० हो गई है। तो देहातों में ४० रु० कम होना और शहरों में १४७ रु० की वृद्धि होना यह साबित करता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना अपने मुख्य उद्देश्य में असफल रही है।

जहा तक बेकारी दूर करने का सवाल है इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दूर करने की बात करते हैं मंत्री जी। मैं नहीं जानता कि पिछले वर्ष इस सदन में बताया गया था कि कोई ३०, ४० करोड़ की एक स्कीम बेकारी दूर करने के लिये सेन्टर को भेजी जायगी, शायद उसमें से २ या ३ करोड़ रुपये की स्कीम मंजूर हो कर आयी। लेकिन इस बेकारी के प्रश्न को यह कह कर टालना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करेंगे यह समस्या के साथ खिलवाड़ करना है। आप ५ लाख जौब्स की कोशिश इस साल में शुरू कर दें? आप ऐमप्लायमेंट ऐक्सचेंज के आकड़ों को देखें इस वर्ष करीब साढ़े तीन लाख आदमियों ने अपने नाम पिछले सन् १९५४ में रजिस्टर कराये, जिनमें से केवल ४५ हजार को नौकरी मिली।

अगर हम शिक्षा की बढ़ती हुई प्रगति को देखे तो साबित होगा कि इस साल में ऐमप्लाइमेंट ऐक्सचेंज और उनके अलावा कम से कम ५ लाख व्यक्ति इस प्रान्त में ऐसे होंगे जो नौकरी ढूंढ़ते होंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का स्वरूप बदलते हैं तो बेकारी दूर करने के लिये इस प्रदेश में ५ लाख नौकरियों के लिये, चाहे उद्योगधन्धे के द्वारा हों या और कैसे हों, सरकार को प्रयत्न करना होगा, और अगर ऐसा प्रयत्न नहीं होता तो वास्तविकता से दूर होकर नियोजन के सच्चे अर्थ को भुलाना है।

अब अगर आगे बढ़ कर कम्युनिटी प्रोजेक्ट की स्थिति को देखें तो मुझे राजा जी के शब्द याद आते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि :

The reports of the various States reed as if the entire Government of the country was done by the Community Projects.

कम्यूनिटी प्रौजेक्ट्स के प्रशासन की जो रिपोर्ट हैं उसको पढ़ा जाय तो ऐसा मालूम होता है कि सरकार के सारे काम कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के द्वारा हो रहे हैं! मैं समझता हूं कि राजा जी ने जो कहा वह बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखें कि इसके प्रशासन में कितनी खामियाँ हैं? मैं जानता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकतायें होती हैं लेकिन इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अगर बजट के आंकड़ों को देखा जाय तो यद्यपि एक ही समय प्रोजेक्ट स्टार्ट किये गये, लेकिन अलग अलग अनुदानों के सम्बन्ध में बहुत कम रुपये का माँग रखाई है, या बहुत अधिक रुपये की रखाई है, जैसे मिसाल के लिये इस्टैब्लिशमेंट चार्जेज में आप देखेंगे कि मैनपुरी के प्रोजेक्ट्स के लिए १ लाख ७५ हजार रुपया मांगा गया और झांसी के लिये, जो कि इसी

समय में शुरू हुआ, उसके लिए १ लाख १७ हजार रुपया मांगा गया। ऐग्रीकल्चरल एक्सटेंशन और एनीमल हस्बैंड्री, मिलंगना के लिए २५ हजार रुपये और बदायूं के लिये ५० हजार रुपये, इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इर्रीगेशन वर्क्स के लिए, मैनपुरी में ६ लाख और झांसी में ४१ हजार ४ सौ रुपये, सोशल एजुकेशन के लिए ९,६०० रु० देहरादून के लिए और इलाहाबाद के लिए २० हजार रुपया मांगा गया है। इसी प्रकार कम्यूनिकेशन्स के लिये १ लाख ८३ हजार रुपया गढ़वाल अल्मोड़ा के लिए है जब कि ७ लाख ६३ हजार रुपया मैनपुरी के लिए मांगा गया है। मैं यह नहीं कहता कि किसी प्रोजेक्ट को ज्यादा नहीं मिलना चाहिये लेकिन इतनी अधिक खाई हो यह मैं समझता हूं कि अत्यन्त अस्वाभाविक है। और माननीय मंत्री जी को स्पष्टीकरण इस सम्बन्ध में अवश्य ही देना चाहिये। अब जहां तक एक्सटेंशन सर्विस का सवाल है आप यह देखेंगे कि केवल १० विलेज लेविल वर्कर्स आज एक नेशनल ब्लाक को दिये हुए हैं। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर यह किया गया है? शायद इस आधार पर हो कि कार्यकर्ताओं की कमी है इसलिये १० विलेज लेविल वर्कर वहां रखे गये लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि १० विलेज लेविल वर्कर जिस प्रकार की ट्रेनिंग उनको, जितनी कम दी गई है केवल ६ महीने की ट्रेनिंग दी गई है उसको देखते हुए यह अपर्याप्त है। और सब से बड़ी कमी जो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स में है और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक्स में है वह सर्वे करने वाले ओवर सियर्स को है। आप देखेंगे कि हजारों लाखों रुपया कह दिया जाता है कि ले लो, अनुदान ले लो, सड़कें बना लो, लेकिन गांव वाले कहां से बनावें? वह खुद सर्वे नहीं कर सकते। सर्वे के लिये दूसरे डिपार्टमेंट से आदमी नहीं मिलते। तो आज सारे निर्माण कार्य जो बन भी रहे हैं वह इसलिये बरबाद हो रहे हैं कि यह मैं समझता हूं कि ५० प्रतिशत जो निर्माण कार्य आज बर्बाद हो रहे हैं वह ओवरसियर्स और ऐस्टीमेट्स बनाने वाले तथा सर्वे करने वाले कार्यकर्ताओं की कमी के कारण हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं की कमी है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सन् ६० तक, अगली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक सारे प्रदेश में डेवलपमेंट ब्लाक्स खुल जायंगे। कैसे खुल जायंगे? आपके पास कार्यकर्ता कहां हैं? मैं यह साबित करूंगा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कि जितने कार्यकर्ता आज ट्रेनिंग पा रहे हैं वह बहुत ही कम हैं। २४ केन्द्रों में ट्रेनिंग मिल रही है। इन २४ केन्द्रों में जो कि ९ जिलों में स्थित हैं आज तक ३,११३ कार्यकर्ताओं ने शिक्षा प्राप्त की है और सारे प्रदेश में ब्लाक्स खोलने के लिये ३३,००० कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी जो कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है ग्राम सेवक १२,००० क्षेत्र कार्यकर्ता ४,०००, जिला स्तर अधिकारी १,००० और विकास अधिकारी १६,०००। इस प्रकार कुल ३३,००० कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। साढ़े पांच साल में ३,११३ आदमी तैयार किये। अगर यही रफ्तार रही तो ५० साल में इतने कार्यकर्ता तैयार होंगे। तो सन् ६० में तो आप कहते हैं कि हम सारे देश में ब्लाक खोल देंगे और जितने कार्यकर्ता हैं उनकी ट्रेनिंग की गति के अनुसार सन् २००० में आप उतने कार्यकर्ता तैयार कर सकेंगे। तो कैसे इतनी बड़ी खामी दूर होगी? सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि ट्रेनिंग सेंटर्स को बढ़ाया जाय लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल १० ट्रेनिंग सेंटर और खोलने के लिये आपने रखा है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं निवेदन कर रहा था कि योजना को पूरा करने के लिए और सारे प्रान्त में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक खोले जाने के लिए कार्यकर्ताओं की कितनी कमी है ! आप यह देखेंगे कि इस समय प्रान्त में २४ शिक्षण केन्द्र हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार ६ शिक्षण केन्द्र भारतीय सरकार के और ४ प्रान्तीय सरकार के और खुलने जा रहे हैं और इनमें शिक्षा की अवधि भी बढ़ने जा रही है। तो मैं नहीं जानता कि जब कि २४ प्रशिक्षण केन्द्रों में साढ़े पांच साल में केवल ३,००० कार्यकर्ता शिक्षा प्राप्त कर सके तो १० शिक्षण केन्द्रों को बढ़ाकर किस प्रकार ३१ हजार कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। यह अत्यन्त महत्व का प्रश्न है और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इन कार्यकर्ताओं को सही रूप से सही मानें में सही विषयों की ट्रेनिंग नहीं दी गयी तो आपकी सारी स्कीम टूटने वाली है, गिरने वाली है। आखिर विलेज लेबिल वर्कर जिसके ऊपर सारा भार नियोजन का है, जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया कि, "ही शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स" सभी बातें उसको आनी चाहिये, लेकिन ६ महीने का शिक्षा प्राप्त ग्राम सेवक किस प्रकार सभी विषयों को जान सकता है और एक्सपर्ट हो सकता है ? यह एक असम्भव बात है। आज क्या होता है कि जहां विकास ब्लाक है वहां गांव वालों से कहा जाता है कि विलेज लेविल वर्कर ही सारी स्कीमें भेजे। न तो वह सर्वे जानता है और उन उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वह गांव के अन्दर जाता है। वहां कोई भी सिंचाई की स्कीम है, निर्माण की स्कीम है, उसके सम्बन्ध में उसके पास कोई योजना नहीं है। नतीजा यह होता है कि जो स्कीम भेजता है वह या तो गलत होती है कभी-कभी पी० डब्लू डी० वाले आते हैं, जो ओवरसियर जाते हैं तो कहते हैं कि यह क्या कर दिया ? और सारी स्कीम उलट जाती है। श्रमदान आन्दोलन में बहुत ऐसे काम हुए, जो सड़कें बनायी गयीं तो ओवरसियरों ने कहा कि किस तरह से आपने सड़क खोद दी, यह सारी गलत हो गयी। तो वह सब काम बेकार हो गया। मुझे तो बहुत सी मिसालें मालूम हैं कि हजारों रुपये का श्रमदान बिल्कुल बेकार साबित हुआ और लोगों के अन्दर श्रमदान आन्दोलन के प्रति एक गम्भीर निराशा का वातावरण प्रस्तुत हो गया, इसलिये कि उनकी महीनों की मेहनत बिल्कुल बेकार जा रही थी केवल इस टेक्नीकल मामले को लेकर।

तो आज इस ग्राम सेवक को केवल कृषि शिक्षा की ओर ध्यान दिलवाना और एक टेक्नीकल शिक्षा सर्वे वगैरा की न देना, यह सिलेबस की बड़ी भारी कमजोरी रहेगी। इसलिए आइन्दा जो भी सिलेबस बने उसमें इस बात की चेष्टा होनी चाहिये कि यह निर्माण कार्य की, सर्वे के सम्बन्ध में, एस्टीमेट्स के सम्बन्ध में, बनाये जाने के सम्बन्ध मे अवश्य ट्रेनिंग मिलनी चाहिये। और मैं तो एक और सुझाव देना चाहूंगा कि अगर हम वास्तव में इसे एक क्रान्तिकारी महत्व देते हैं तो जो फौज का परसनल है, जो कि बेकार है, सरप्लस है, उसको आप गवर्नमेंट आफ इंडिया से लेकर के इस्तेमाल करें और वह सर्वे करें। आज सर्वे डिवीजन आपका खुला हुआ है, वह कैसे सारी मांग को प्रान्त की पूरा कर सकता है ? यदि नियोजन की आवश्यकताओं को पूरी करना है तो जितनी ट्रेनिंग प्रशिक्षा आपको है, चाहे वह फौज के पास हो, पुलिस के पास हो, उसी को आपको प्रयुक्त करना होगा। लेकिन सरकार के अन्दर इतनी क्रान्तिकारी निश्चय करने की शक्ति मालूम नहीं होती।

श्रीमन्, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां तक ट्रेनिंग कराये जाने की इतनी आवश्यकता है वहां पिछले वर्ष दो लाख रुपया ट्रेनिंग के सम्बन्ध में खर्च नहीं किया जा सका ! मैं नहीं जानता कि इसके क्या कारण हैं। लेकिन इस विषय को जितना कम महत्व दिया जायगा, मैं समझता हूं कि उतना ही इस प्रदेश का दुर्भाग्य होगा और योजना का भी दुर्भाग्य होगा। श्रीमन्, एक प्लानिंग एक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट के

बारे में काफी चर्चा हुई है, और मंत्री जी ने भी इस पर काफी महत्व दिया है और रिपोर्ट के अनुसार यह एशिया की अपनी एक संस्था है। हो सकता है कि एशिया में ऐसी संस्था हो। लेकिन इसका कार्य क्या है, यह हमें देखना है? इसमें कहा जाता है कि इसमें बहुत से फारेन एक्सपर्ट्स हैं। अगर स्कीम बढ़ी तो उसके अनुसार इस साल आठ और अगले साल दस हो जायंगे और उनके नीचे बहुत से क्लास वन और क्लास टू के आफिसर्स रहेंगे। इसके पिछले साल के कार्यकलाप को देखा जाय तो आपको अफसोस होगा कि प्लानिंग ऐक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका कि उद्देश्य एफीशियेन्सी का आडिट करना था और वह भी केवल प्लानिंग विभाग का ही नहीं बल्कि सभी विभागों की एफीशियेंसी का आडिट करेगा।

श्रमदान आन्दोलन में हमें किस तरह से सफलता मिले यह भी इसका आधार था लेकिन श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही या रिपोर्ट आज तक स्ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पेश नहीं की गई। अगर कोई कार्य इस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया तो वह दो पुस्तिका हैं जो मेज पर रखी गई हैं। एक तो बैंगन सिंह की राम कहानी है जिसमें यह बताया गया है कि बैंगन किस प्रकार से बोया जाता है? दूसरी पुस्तिका टमाटर साहब की राम कहानी है जिसमें यह लिखा गया है कि यह किस प्रकार से उगाया जाय। अगर प्लानिंग रिसर्च ऐक्शन इंस्टीट्यूट का केवल यही काम था जो कि एग्रीकल्चरल विभाग के एक मामूली ऐक्सपर्ट का काम होता है कि टमाटर और बैंगन के लिये किताबें छाप दीं, तब तो यह बड़ा निराशाजनक काम है। आवश्यकता तो आज इस बात की थी कि श्रमदान में लोग ज्यादा से ज्यादा किस तरह से भाग ले सकें, किस प्रकार से एक्सटेंशन ब्लाक्स का संगठन हो और किस तरह से हम आगे कार्य करें, इसकी रिपोर्ट आनी चाहिये थी। कहा जाता है कि प्रयोग हो रहे हैं और यह प्रयोग ऐसे ही हो रहे हैं जैसे कि अखबारों में निकल रहा है तब तो मैं नहीं जानता कि इससे हमारे देश को क्या लाभ होने वाला है? आज सारे प्रान्त में सनसनी मची हुई है। इसमें ऐसे फारेन एक्सपर्ट्स हैं जो भारतीय रीति नीति नहीं जानते, जो भारतीय वेष-भूषा नहीं जानते हैं और जो हमारे यहां की बातों को नहीं जानते हैं इसमें अमरीकन ऐक्सपर्ट्स हैं।

श्रीमन्, मैं उन लोगों में से नहीं हूं और छुईमुई नहीं हूं कि जो यह समझें कि हमारे यहां विदेशी एक्सपर्ट्स न आयें। लेकिन यह देखने की बात है कि किस जगह और किस मामले में उनकी आवश्यकता है। इस पर हमें विचार करना है। अगर श्रमदान के बारे में अपने गांव वालों की भावना को समझना है तो मैं अपने देश के एक्सपर्ट्स को ही इन ऐक्सपर्टों से आगे स्थान देना होगा। इस प्रकार का कोई टेक्नीकल मामला नहीं है। हम कोई टेक्सटाइल मिल या फैक्टरी स्थापित करने नहीं जा रहे हैं। टेक्नीकल मामले में तो हम अमरीकन ऐक्सपर्ट्स को रख सकते हैं रशियन ऐक्सपर्ट्स को रख सकते हैं। लेकिन जहां तक गांव वालों की भावना का सवाल है तो हमें भारतीय लोगों की अधिक आवश्यकता होगी। अगर हम प्रश्नावली करें या प्रश्न पूछें अपने ग्रामीण समस्याओं के सम्बन्ध में तो उसमें इन एक्सपर्ट्स की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि वह निश्चय ही इस प्लानिंग रिसर्च इंस्टीटयूट के संगठन को बदलें। इसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है लेकिन बजाय इसके कि यह दूसरों की एफिशियेंसी का आडिट करे उलटे हमें ही इसकी एफीशियेंसी आडिट करना पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर यह इस इंस्टीट्यूट को इसी तरह से चलाना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि इसे बन्द कर दिया जाय। अगर गांव की समस्याओं को और नियोजन की प्रक्रियाओं को समझना

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है तो हमें इसी आधार पर चलना होगा और इस बात की चेष्टा करनी होगी कि बजाय इसके कि उन कामों में हम अमरीकन तथा फारेन ऐक्सपर्ट्स से काम लें, हमें अपने ऐक्सपर्ट्स से ही काम लेना चाहिये जो काम कि हम स्वयं कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ मैं प्लानिंग आर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। आज इस प्रदेश में जो प्लानिंग मशीनरी है वह कई बार बदली जा चुकी है कई बार इनके डेवलपमेंट कमिश्नर बदले जा चुके हैं। यह डेवलपमेंट कमिश्नर और सेक्रेटेरियट चीफ सेक्रेटरी दोनों को एक कर दिया गया है। पहले उनको अलग-अलग कर दिया गया था लेकिन जिलों के स्तर में कलेक्टर को प्लानिंग के लिये जिम्मेदार ठहरा दिया गया है यानी बीच के स्तर पर सेक्रेटेरियट लेविल पर कलेक्टर और एस डी० ओ० को जिम्मेदार ठहराया गया है वहां आप यह भी देखेंगे कि एक तरफ तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में यह डिपार्टमेंट नहीं है और दूसरे जो तहसीलदार जिलों में काम करते हैं और जो रिवेन्यू अथारिटीज हैं जो कलेक्टर के नीचे काम करते हैं और जो लोग ग्राम के स्तर पर काम करते हैं उनका इस प्लानिंग से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। यह बड़ी भारी समस्या है। अगर आप शासन को और नियोजन के शासन को एक करना चाहते हैं, अगर आप प्लानिंग को और एडमिनिस्ट्रेशन को एक करना चाहते हैं, तो आपको इस समस्या पर विचार करना होगा कि आया गांव के स्तर पर, लेखपाल के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर कोई प्लानिंग की जिम्मेदारी इन लोगों के कन्धे पर डाली जा सकती है या नहीं। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि आपको इन तहसीलदार और लेखपालों को अधिक से अधिक नियोजन की प्रक्रिया में भाग देना होगा। अब तो इन कलेक्टरों के विषय में मैं प्रोफेसर नटों के प्रस्ताव से सहमत हूं कि अब इन कलेक्टरों की आवश्यकता नहीं रह गयी है। अगर आप एक्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग करना चाहते हैं तो इस बात की आवश्यकता नहीं है कि कलेक्टरों को जिलों में रखा जाय। इन कलेक्टरों के स्थान पर डेवलपमेंट आफिसर जिलों में होने चाहिये और कलेक्टरों के जो वर्तमान अधिकार हैं उनको कम किया जाय। इनके ऊपर जो हमने डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दे रखी है उसको डेवलपमेंट आफिसर को दिया जाय और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर का काम जो है वह डेवलपमेंट आफिसर करे। जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है, जो ग्राम सभायें हैं या तो पंचायतें हैं जो यह तमाम ग्राम के स्तर पर अपनी-अपनी अलग-अलग कमेटी बनाती हैं उनके लिये हमको यह सोचना होगा कि विकास के लिये इन सब कमेटीज के बीच में किस प्रकार से प्लानिंग की जाय। हम इस बात के लिये परेशान हो जाते हैं कि कहां-कहां जायं, एक ग्राम स्तर पर ? फिर रीजन स्तर पर, फिर परगना स्तर पर बने और प्रत्येक की एक-एक कमेटी बननी चाहिये जो इन समस्याओं पर विचार करे। मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह इस संबंध में पूर्ण विचार करके इस नियोजन के प्रशासन को बदलेंगे और इसको संगठित रूप देंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी देखता हूं कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनकी अपनी-अपनी समस्यायें हैं। जैसे कुमायूं का इलाका या बुन्देलखंड का इलाका या मिर्जापुर का इलाका है जहां पर एक जिले की नहीं बल्कि बहुत से जिलों की समान समस्यायें हैं। वहां पर बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो दूसरे जिलों से मिले होते हैं। वहां पर एक रीजनल कमेटी की जरूरत है। जैसे कि कुमायूं की एक रीजनल बोर्ड है जहां पर कमिश्नर को प्लानिंग बनाने के लिये अधिकार दिया गया है वह भी उसमें शामिल होना चाहिये। इसी प्रकार से विशेष कार्य जो उनके हित का हो वह भी इसमें शामिल होना चाहिये। इसलिये रीजनल बोर्ड की आवश्यकता है जो कि नियोजन को सुनियोजित कर सके।

तीसरी चीज जिसके बारे में मैं ज्यादा विचार कर रहा, था वह यह कि अध्यापकों की ट्रेनिंग के संबंध में इस सरकार ने आश्वासन दिया था कि अध्यापक लोग ग्रामीण जीवन में विशेष स्थान रखते हैं और बाज क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अध्यापक ही सब से अधिक इस कार्य में आपकी सहायता कर सकते हैं। उसको कुछ विशेष धन देकर उनसे नियोजन की प्रक्रिया में स्थान दिया जा सकता है और उनको साथ में लेकर इस नियोजन प्रक्रिया को आप अधिक तेज कर सकते हैं। मैं उस सरकार के वायदे को याद दिलाना चाहता हूं जो कि अध्यापकों को इस संबंध में स्थान देने के बारे में दिया गया था।

मैं श्रमदान के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय फूलसिंह के शब्दों में, जब कि उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में अपना भाषण दिया था तो उन्होंने इस साल के श्रम ड्राइव को सफल नहीं माना, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उनके स्वयं मुखारबिन्दु से यह शब्द निकले थे कि अब की बार जो श्रम ड्राइव हुआ वह सफल नहीं रहा। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, उनमें से पहला कारण यह है कि जो योजनायें श्रमदान के मातहत की जाती हैं उनको सरकार स्थायित्व देने का प्रयत्न नहीं करती। जनता देखती है उसने सड़कें बनायीं, उसने नहरें बनायीं और श्रमदान उन पर किया लेकिन अब सरकारी डिपार्टमेंट उन पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण से एक निश्चित प्रतिक्रिया लोगों में पैदा हो रही है। दूसरे जितनी योजनायें सरकार की ओर से श्रमदान के कार्य को पूरा करने के लिये बनती हैं और उनके लिये सरकार की ओर से जो रुपया दिया जाता है, उसमें से कुछ रुपया भी गांव वालों को नहीं मिल पाता। उस रुपये का कोई भी भाग गांव वालों को नहीं मिलता है। इसलिये लोग यह नहीं समझ पाते कि जब सरकार सड़क बनायेगी तो उसमें से हमको भी कुछ रुपया मिलेगा। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि श्रमदान के आन्दोलन को प्रजातंत्रीय रूप दिया जाय। ऐसा न हो कि जनता इस आन्दोलन को बेगार समझे, जबरदस्ती समझे क्योंकि जबरदस्ती से श्रमदान होने वाला नहीं है। इसलिये आपको ग्राम सभाओं को ठेका देने की कोई रीति अपनानी होगी जिससे जिस इलाके में श्रमदान होता है उस इलाके की ग्राम सभा द्वारा लोगों को कुछ रुपया मिल सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लोगों के अन्दर उत्साह पैदा नहीं हो सकता, और जैसा कि विष्ट जी ने प्रश्न रक्खा कि लोग यह समझते रहेंगे कि यह सरकारी बेगार है। सरकारी लोग घूम रहे हैं, आफिसर्स घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें १० दिन के लिये आना ही होगा, इस तरह से यह काम आगे चलने वाला नहीं है। लोगों में श्रमदान करते समय यह भावना होनी चाहिये कि अगर इन दस दिनों में हम फ्री काम कर रहे हैं तो आगे २० दिन हमें मजदूरी भी मिलेगी। अगर माननीय मंत्री जी ने ऐसा नहीं किया तो आपका श्रमदान सफल होने वाला नहीं है। बड़े-बड़े ऑफिसरों के द्वारा आपका श्रमदान सफल नहीं होगा। अगर आपने ऐसा सोचा तो वह एक मृगमरीचिका ही रहेगी।

सेल्फ हेल्प स्कीम के मातहत आधा रुपया सरकार देती है और आधा काम श्रमदान से करना पड़ता है। इसके मातहत ५२-५३ के वर्ष में १ करोड़ १ लाख रुपया रक्खा गया था लेकिन आज उसमें से ६० लाख रुपया कम किया जा रहा है और केवल ४० लाख रुपया ही दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेल्फ हेल्प स्कीम कहां असफल रही? और क्या कारण है कि स्वावलंबी योजना के लिये यह रुपया कम किया जा रहा है? सरकारी रिपोर्ट के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि जहां-जहां यह योजना चालू की गयी वहां-वहां सफल रही और दूसरे मानों में भी इन स्वावलंबी योजनाओं के लिये जितना रुपया रक्खा गया वह पूरा-पूरा व्यय हुआ है। इसलिये मुझे आज यह देखकर दुख होता है कि स्वावलंबी योजना में धन की कमी की जा रही है। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसमें कुमायूं फारेस्ट पंचायत के लिये भी रुपया रक्खा गया है। मेरा ख्याल है कि यह प्वाइंट इस अनुदान में नहीं आनी चाहिये थी और जंगलात वाले अनुदान में जानी चाहिये थी, क्योंकि

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

फारेस्ट पंचायत पर प्लानिंग डिपार्टमेंट का नियंत्रण नहीं हो सकता। और न प्लानिंग विभाग उसके बारे में उतनी जानकारी ही रख सकता है जितनी जंगलात विभाग रखता है। मंत्री जी को कम से कम इस आइटम को यहां से निकाल देना चाहिये और इसको फारेस्ट के अन्तर्गत रख देना चाहिये।

अब जहां तक इस योजना के फाइनेंसेज का संबंध है कि किस प्रकार से उसको आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी बनाया जाय उसके संबंध में सरकार से मैं इतना ही कहूंगा कि वह अगली पंचवर्षीय योजना में आर्थिक दृष्टिकोण को बदलने के लिये इस बात की मांग करें कि हिन्दोस्तान के विधान को बदला जाय। जब तक आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना या किसी भी योजना के लिये समाजवाद के आधार पर रुपये की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आप प्लानिंग में सफल नहीं हो सकते। आज टेक्सेशन इंक्वायरी की रिपोर्ट हमारे सामने है; उसके सामने जो टर्म्स आफ रिफरेंस रखे गये थे उनमें यह नहीं था कि सोशलिस्टिक पैटर्न का बजट किस प्रकार से बनाया जाय। इसलिये टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट एक सोशलिस्टिक रिपोर्ट नहीं कही जा सकती। वह एक कंजरवेटिव रिपोर्ट है एक मिश्रित रिपोर्ट है और यह सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि किस प्रकार से हम एक समाजवादी तरीके से रुपया ले सकें और जब तक हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और बड़े-बड़े कारखानों का समाजीकरण और और भी आमदनी कम किया जाना संभव न होगा तब तक हमारी प्लानिंग कभी भी सफल नहीं होगी। क्या हम आशा करें कि यह सरकार अब भी समय की पुकार को सुनेगी और अब भी यह समझेगी कि वास्तव में इतना मेहनत करने के बाद भी, इतनी ईमानदारी से कर्मचारियों के मेहनत करने के बाद भी, और एक अच्छा मन्तव्य होने के बाद भी बुनियादी लक्ष्य में जो नहीं सफल हुये हैं उसका कारण यही है कि हम अपनी योजना को आवश्यकता के अनुरूप नहीं कर पाये हैं, हमारी योजना वास्तविक तरीके से प्रायरिटी के आधार पर नहीं हुई है। जब तक भूमि का दोबारा बटवारा नहीं होगा तब तक जितनी पूंजी देश में उपलब्ध है उसको वास्तविक रूप में अपने हाथ में लेकर योजना में नहीं लगायेंगे और जब तक यह सोचेंगे कि गांव वालों से नेशनल सेविंग स्कीम में जबरदस्ती लोगों को डरा धमका कर उनसे रुपया वसूल करेंगे तो यहां की अर्थ व्यवस्था ठीक न हो पायेगी और यह योजना नहीं चल पायेगी। और इस तरह से सरकार को धोखा होता रहेगा। इसीलिये इस समय की पुकार को माननीय मंत्री जी समझ कर अपनी समस्त नियोजन प्रणाली को बदलें अन्यथा वे ही इस नियोजन की असफलता के जिम्मेदार ठहराये जायेंगे और वे इस दोष के पूर्णतया भागी होंगे।

*राजा बीरेंद्र शाह (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव श्री नारायणदत्त जी ने पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हम सभी को इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने करीब ६ करोड़ रुपया इस विभाग के लिये खर्च करने को मांगा है। इसका हम किसी को विरोध नहीं है बल्कि हम तो समझते हैं कि ग्रामोत्थान के लिये यह ६ करोड़ रुपया भी काफी नहीं है। श्रीमन्, जैसा कि हमारे माननीय नारायण दत्त जी ने इस विभाग के वास्ते जो सुझाव भी इस भवन के सामने रखे हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हीं को फिर दोहराऊं लेकिन जो मेरा स्वयं का अनुभव अपने जिले के बारे में है उसको मैं जरूर इस भवन के सामने रखूंगा। श्रीमन्, जहां तक श्रमदान का सवाल है यह बहुत जरूरी है और हम सब प्रांतवासियों को इसका गर्व होना चाहिये कि हमारे प्रांत में जितने कम समय में, जितनी कम सूचना में और जितने कम प्रचार में इस श्रमदान द्वारा लोगों ने काम किया है उसके लिये हम सभी को गर्व है और उसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इन चीजों को यहां उठाया है। लेकिन मैं यह साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि अगर श्रमदान कार्य में सरकार और उनके कर्मचारीगण थोड़ा सा और ध्यान दिये होते तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह श्रमदान आज दुगुना और तिगुना हो जाता। उसका कारण यह है जैसा कि हमारे दोस्त ने बतलाया कि श्रमदान की हुई चीजों पर या तो किसी तरीके से ग्रांट पूरा नहीं होने पाता या उसमें देर लगती है, मैं उसका स्वयं भुक्तभोगी हूं। हमारे जालौन जिले में १८ मील कच्ची सड़क जिलाधीश के कहने पर इस शर्त पर बनायी गयी कि उसे सरकार जल्द से जल्द पक्का करा देगी। श्रीमन्, मैं इस बात को जानता हूं कि पक्की सड़क बनाने में कितना धन व्यय होता है और सरकार के बजट में कितनी दिक्कत होती है। लेकिन जब आपका जिलाधीश और आपका प्रमुख राज्य कर्मचारी अगर इस बात का ऐलान करता है और उसमें कुछ देर होती है तो जनता में एक क्षोभ पैदा होता है कि इन चीजों में कोई ऐसी चीज है जिससे अंटा लगता है। तो मैं अभी अर्ज कर रहा था कि श्रमदान चलाया जाय और हम सभी को इसकी कोशिश करनी चाहिये कि श्रमदान योजना के लिये कोई ग्रांट पास करें तो उसको पूरा करें और सरकार उस योजना को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करे।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो ग्रांट पास होता है उसका अपव्यय भी नहीं होना चाहिये। मैं अपने जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जालौन के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बनाने के लिये इस शर्त पर कहा गया था कि उसकी आधी कीमत सरकार देगी। वहां के लोगों ने उसी शर्त के ऊपर स्कूल बनवा लिये और आज इमारतें तैयार हैं लेकिन वहां के ग्रांट में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि वे साहब जो डिप्टी इंसपेक्टर ऑफ स्कूल थे उन्होंने ग्रांट को उठा लिया। मैं समझता हूं कि ग्रांट उठाने का सही तरीका यह है कि ग्रांट उसी को मिलना चाहिये जिसके नाम कि ग्रांट लिखा हो। मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार से डिप्टी इंसपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने उस रुपये को उठा लिया और वे पाकिस्तान चले गये। इस प्रकार से १२ हजार रुपये का गबन हो गया और उन स्कूलों को वे ग्रांट नहीं मिल सके जिन्होंने श्रमदान के द्वारा तथा चन्दा करके स्कूल की इमारतें इस शर्त पर बनायी थीं कि सरकार द्वारा आधा रुपया मिलेगा। आज उनका कोई पुरसांहाल नहीं है। जो रुपया गबन हुआ है उसके संबंध में इंक्वायरी चल रही है। कोई नहीं पूछता और नियोजन कमेटी में यह बात रखते हैं तो यह कह दिया जाता है कि वह तो एक बार स्वीकृत हो चुका और वह अब स्कूल को दोबारा नहीं मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वहां के लोगों का क्या दोष इसमें है अगर आप के कर्मचारियों ने या अफसरों ने कोई गबन कर लिया है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी हालत में उन स्कूलों को वह रकम मिलनी ही चाहिये। उस रुपये को चाहे सरकार उस की प्राइवेट प्रापर्टी से वसूल करे या माफ करे, कुछ भी करे लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि यह जो हमारे जिले के देहाती क्षेत्र के १४-१५ स्कूल हैं उनको वह रकम जो पास हो चुकी है वह फिर न मिले। इससे वहां के लोगों का उत्साह कम होता है।

जहां तक बी० डी० ओज ०का संबंध है मैं कहूंगा कि उनको देहाती क्षेत्र में बहुत दूर-दूर कभी-कभी २५-२५ और ३०-३० मील जाना होता, है और उस फासले की वजह से वह अपने उन क्षेत्रों तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। ऐसी हालत में जरुरत इस बात की है कि आप उनको कोई आने-जाने के लिये साधन प्रदान करें, मैं समझता हूं कि उनके लिये पैदल इतना घूमना असंभव सा है इसलिये उनको सवारी की सुविधा देना आवश्यक है क्योंकि ग्रामवासियों को यह मालूम तक नहीं हो पाता है कि हमारी सुविधा के लिये सरकार क्या कर रही है। इसलिये यह आवश्यक है कि यह लोग जल्दी-जल्दी वहां पहुंच सकें और उनको बताया करें कि क्या-क्या काम उनके लिये किया जा रहा है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि वह ब्लाक डवलपमेंट आफिसर बार-बार उन गांवों में जायं और उनको इन तमाम कामों में प्रोत्साहन दें। जहां आपने और तमाम चीजें प्रोवाइड की हैं वहां इन बी० डी० ओज० को कुछ कनवेएन्स का जरिया, जीप हो सके तो वह, और न हो सके तो घोड़ा या कोई दूसरी चीज प्रोवाइड करें। इससे मैं समझता हूं कि लोगों में प्रोत्साहन बढ़ेगा और काम में बुद्धि होगी।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

तीसरी चीज मुझे यह कहनी है कि ग्रांट लेने के लिये जो आदमी हेडक्वाटर्स पर आते हैं उनके कभी-कभी कई दिन और हफ्ते लग जाते हैं, वह इधर-उधर घूमा करते हैं और उनको शीघ्र आसानी से पैसा नहीं मिलता। मैं नहीं कहता कि वहां अभी करप्शन है, लेकिन मुमकिन हो सकता है कि आगे चलकर क्लर्क लोग चेक बनाने में इसलिये देर करें कि ग्रांट का एक चौथाई या २५ परसेंट उनको दिया जाय तो वह चेक पास करें। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसी सुविधा होनी चाहिये कि जिससे निरीक्षण होने के बाद शीघ्र ही ग्रांट का रुपया मिल जाय।

अन्त में मैं एक बात यह भी कहूंगा कि प्लानिंग का काम और भी अधिक अच्छा हो सकता है जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि अगर उनसे सिर्फ यही काम लिया जाय। एक बात यह भी है कि इन अफसरों के पास और-और काम भी लगा दिये गये हैं। उनके पास स्वयं ही काम अधिक है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि वहां इस वक्त ४ की जगह केवल २ एस० डी० ओ० काम कर रहे हैं। तो इसलिये यह भी एक वजह है कि अफसरान का कुछ कोआर्डिनेशन नहीं है, और-और विभागों के जो अफसरान हैं उनकी दिलचस्पी भी कम है अगर उनको दिल-चस्पी दिलायें तो काम अच्छा होगा।

अब श्रमदान के संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर श्रमदान से काम कराना है तो यह जरूरी है कि आपको जो पैसा होगा उसको खुले दिल से खर्च करना होगा ताकि उनमें उत्साह हो और जब ऐसा होगा तभी लोग गांवों की तरक्की के लिये उसमें दिलचस्पी लेंगे और उन्नति के लिये कार्य करेंगे।

शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। मेरे मित्र माननीय नारायणदत्त जी ने बहुत सुन्दर भाषण दिया लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वह एक काला चश्मा लगाये हुये हैं और इसी कारण उनको सब बातें काली ही दिखाई देती हैं। उनका यह मत मालूम पड़ता है कि जो कुछ भी योजना के संबंध में हो रहा है वह बिलकुल गलत है। योजना बनाने के लिये समाजवादी दृष्टिकोण और समाजवादी हृदय होना चाहिये और वह हृद्रय केवल उनके ही पास है और दूसरों के पास वैसा दृष्टिकोण नहीं है। वे यह भूल जाते हैं कि अगर हममें पहले कुछ कमी थी तो पिछले अवाड़ी सेशन में उसकी पूर्ति हो गई है और हम भी अब वैसे ही समाजवादी बनने का दावा रखते हैं जैसे कि वे स्वयं हैं। जहां तक पंचवर्षीय योजना का सवाल है उनके दल ने बिना देखे हुये पहले ही से यह कहना शुरू कर दिया था कि यह योजना बिलकुल बेकार सी है और गलत सी है और इसके अन्तर्गत कोई कार्य नही हो रहा है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि यह दुख का विषय है कि हम दूसरों की बातों का बहुत प्रचार करते हैं। चीन में क्या हो रहा है उसकी बहुत दुहाई दिया करते हैं, रूस में जो कुछ हुआ उसका बहुत जोरों से नारा लगाते हैं, लेकिन अपने देश में जो स्थान स्थान पर और जगह-जगह पर हो रहा है उसके प्रति नारा लगाना या इस संबंध में कुछ कहना तो दूर रहा बल्कि उसका एक प्रकार से मजाक उड़ाने की चेष्टा करते हैं। मैं नारायण दत्त जी के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था और जैसा मैं अभी निवेदन करूंगा कि उनकी दो-तीन बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर गौर करने की जरूरत है लेकिन उसके साथ ही साथ मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अगर वे इस सदन को या इसके द्वारा इस प्रदेश के रहने वालों को यह बताने की चेष्टा करें कि हमने पिछले सालों में कुछ काम नहीं किया और पिछले साल उस योजना के अन्तर्गत कुछ नहीं हुआ तो यह बड़ी भारी भूल है और यह हमारी पार्टी के साथ ही अन्याय नहीं है बल्कि देश के प्रति घोर अन्याय है। आज जब हम देहाती क्षेत्रों में जाते हैं तो भिन्न-भिन्न रूप से जो योजना के अन्तर्गत आज कार्य हो रहे हैं उसका दिग्दर्शन होता है। देहात में आज जनता के लिये जिस प्रकार से सुविधायें पहुंचायी जा रही हैं उनके लिये छानबीन की आवश्यकता नहीं है। सड़कें, नहरें और बांध बनाये जा रहे हैं, बिजली ले जाने की चेष्टा की जा रही है, गांवों के किसानों तक अच्छे बीज, अच्छी खाद पहुंचाई जा रही है, सहकारी समितियां बनी

हुई हैं जिनसे कि वे अपने पैदावार को अच्छी तरह से बेंच सकें, कर्जा ले सकें और उसके साथ ही साथ उनके शिक्षा के संबंध में, उनके स्वास्थ्य के संबंध में जितना भी फायदा पहुंचाया जा सकता है उसके लिये भी चेष्टा की जा रही है।

इसके साथ ही साथ मवेशियों और जानवरों की नस्ल को अच्छा करने के लिये तरह तरह की योजनायें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी मेरे मित्र यह कहें कि यह प्लान ही गलत है, इस प्लान को केवल जनता ही बना सकती है और कांग्रेस का मंत्रिमंडल या इस सदन के सदस्य नहीं बना सकते, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इससे उनका क्या अर्थ है ? क्या जो पंचायत के लोग हैं, ग्राम सभा वाले बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जहां तक टेक्निकल नालेज का सवाल है यदि उनसे आशा यह की जाती है कि वे इस योजना को अच्छी तरह से बनायेंगे तो यह उनकी भूल है। श्रीमन्, मैं इसके साथ ही साथ बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने आज यह समस्या है कि विकास की योजना का काम सुचारु रूप से जिले, तहसीलों और गांवों में चले। क्योंकि अगर योजना अच्छी है, सिद्धांत अच्छा है लेकिन काम जिस वक्त चालू किया गया और जिलों, तहसीलों और गांवों में काम अच्छा नहीं हुआ तो योजना के सफल होने में कमी रह जाती है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि योजना का बहुत कुछ काम गांव के लेविल पर पंचायत सेक्रेट्री द्वारा होता है और यह अनुभव किया गया है कि पंचायत के सेक्रेट्री के जिम्मे और भी बहुत से काम हैं। पंचायती अदालत और गांव सभा के काम उसके जिम्मे रहते हैं। अगर पंचायत के सेक्रेट्री के काम को हल्का किया जाय और आज जिन कामों को उससे लिया जाता है उसमें कुछ कमी की जाय, और इस योजना की जिम्मेदारी दूसरों पर डाली जाय तो उसमें योजना का काम अच्छी तरह से होगा। दूसरे मैं यह निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्स जिलाधीश के निरीक्षण में काम करते हैं लेकिन जिलाधीश के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि वह योजना का काम, जिसका इतना फैलाव हो गया है, का निरीक्षण करता है तो वह निरीक्षण उतनी बारीकी से नहीं होने पाता जितनी बारीकी से होना चाहिये। मैं यह सुझाव दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, रीजनल प्लानिंग आफिसर या कमिश्नर के निरीक्षण का काम करें जिससे उनके निरीक्षण से ज्यादा सुविधायें हो सकें और निरीक्षण करने वाला आफिसर अच्छी तरह से काम को देख सके। श्रीमन्, इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कुछ प्लानिंग का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभाओं के कामों के क्षेत्र में आ जाता है। कुछ काम जो गांव सभा को करने चाहिए वे प्लानिंग के अन्दर आते हैं, वही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्दर आते हैं। इन कामों का इन्टेग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्टेग्रेशन अच्छी तरह से नहीं होता तो काम के चलाने में दिक्कत होती है और उसमें कमी होती है। इसलिए सरकार इस पर गौर करे कि किस तरह से गांव सभाओं और जिला बोर्ड्स के कामों में एकीकरण हो, जिससे कि काम सुचारु रूप में चल सके। जहां तक विकास की योजनायें हैं, वे प्रत्यक्ष हैं और बाहर वालों को साफ दिख रहा है, मेरे मित्र नारायणदत्त जी को न दिख लेकिन हमने ५ वर्ष में काफी तरक्की की है। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, हम इन कामों को आगे बढ़ाते चले जायेंगे। यह मैं मानता हूं, जैसा नारायणदत्त जी ने कहा, कि काम सिखाने वालों की आज कमी है, लेकिन उनका यह कहना कि ६ महीने जिन्होंने काम सीखा है, वही आज काम सिखा रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि काम हमें शुरू किये हुए कितना समय लगा है, जो ६ महीने या ९ महीने से ज्यादा सिखाये हुए लोगों को हम ले आते। जैसे-जैसे समय बीतता जायगा हमारे यहां के ट्रेनीज को ज्यादा अनुभव होता जायगा। इसके साथ-साथ जहां तक ओवरसियर्स और इन्जीनियर्स के बारे में कहा है, उसमें मैं कुछ तत्व समझता हूं और मैं आशा करता हूं कि ज्यों-ज्यों योजना आगे बढ़ेगी उनमें अगर इस तरह की कमी है, तो सरकार उसकी देखभाल करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करेगी।

†श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियोजन मन्त्री को इस मद के लिए बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक नियोजन मन्त्री जी का सम्बन्ध है, पहले यह विभाग उनके सिपुर्द नहीं था, और यह मैं आशा करता हूं कि जहां तक गुप्ता जी का सम्बन्ध है, वह इस विभाग को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे। पर मैं तो जो पिछले दिनों इस विभाग में कार्य हुआ है, उसके बारे में ही कुछ कह सकता हूं। आगे क्या होना है, वह तो आगे देखा जायगा लेकिन जितना पिछला कार्य है उसको देख कर हम यह सोच सकते हैं कि विभाग की जो कार्यशैली है, जो रास्ता है, जो ढंग है, वह किस दिशा में जायेगा।

जहां तक नियोजन का सम्बन्ध है, नियोजन करते समय इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और हमारी सरकार ने इस बात की चेष्टा भी की है कि जो क्षेत्र सब से पिछड़े हुए हैं, उनको कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एन० ई० एस० ब्लाक में ले लिया जाय। पर मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं और खास कर अपने यहां के बारे में साफ कर देना चाहता हूं कि जहां इस उसूल को कार्यान्वित करने को सोचा जाता है और किया भी जाता है, वहीं इसके विपरीत भी होता हुआ मुझे दिखायी देता है। पिछले दिनों हमारे यहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाये गये, और जिस वक्त यह प्रश्न प्लानिंग कमेटी में आया तो उस समय भी यह विचारणीय था कि कौन सा क्षेत्र हम वहां लें। उसूल यह था कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको लेना चाहिए, पर विचार विनिमय के बाद यह तय हुआ कि यह क्षेत्र जो है, वह बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है और वहां तो करोड़ों रुपये की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें इसको प्राथमिकता न देनी चाहिए और जो एक दूसरा क्षेत्र है, उसमें ६०, ६४ लाख रुपये में, कम रुपये में काम हो जायगा, तो उसको सबसे पहले ले लेना चाहिए। मैं यह भी साफ निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय में हमारे कलेक्टर साहब ने साफ कहा था कि अगर यह क्षेत्र जिसे थोड़े से रुपये में करना चाह रहे हैं, इसे अगर आप मंजूर नहीं करेंगे, तो यह रुपया इस कम्युनिटी प्रोजेक्ट में सहारनपुर के जिले को नहीं मिलेगा। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि इस तरीके से जो दृष्टिकोण है, जो तरीका है कि जो सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसको तो रुपया न दिया जाय और जो कुछ एडवांस क्षेत्र है, जो हमारे जिले में सबसे ज्यादा रिचेस्ट कहलाता है, और सबसे ज्यादा अच्छा तबका है, उसको रुपया दिया जाय और उसको टेक अप किया जाय, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़ा उसूल हमारे सामने है, उसको एक बड़ा भारी खतरा मौजूद हो जाता है। और ऐसी दशा में मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जो यह तरीका है, उसको हमें छोड़ना होगा और जो सही मानों में उसूल है, उसको लेकर अपना कर हमें चलना पड़ेगा और नेक नियत से उस कार्य को आगे बढ़ाना होगा, और तभी हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैंने तो मिसाल के तौर पर यह सहारनपुर की बात कही। ऐसी कितनी ही जगहें हो सकती हैं! एक बड़ा उसूल हमारे सामने है, जब तक उन क्षेत्रों को, उन तबकों को जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उन दूसरे तबकों के जो कुछ एडवांस हैं, उनके बराबर नहीं ले आते, तब तक मैं समझता हूं कि हमारी जो प्लैनिंग की स्कीम है, अधूरी रहेगी, नाकामयाब होगी। तो ऐसी दिशा में मैं सरकार से यह कह देना चाहता हूं कि जहाँ वह इस तरह से कम्युनिटी प्रोजेक्ट या एन० ई० एस० ब्लाक की स्थापना करे, तो वह अपने सामने इस उसूल को रखते हुए उन स्थानों का निश्चय करे। हमारे यहां एन० ई० एस० ब्लाक खोला गया। उस क्षेत्र के लिए, जिसके लिए करोड़ों रुपये की मांग दिखायी गयी थी, आज वह ८ लाख रुपये में एन० ई० एस० ब्लाक में शामिल कर लिया गया! अब मैं समझता हूं कि कैसे तरक्की करेंगे, और जहां ३, ४ सड़कें निकाली जायं तो उसमें २५, ३० लाख रुपया लगाया जाय, तो कैसे उस क्षेत्र को तरक्की दे सकते हैं? तो ऐसी अवस्था में देखना होगा कि जो क्षेत्र अधिक से अधिक पिछड़े हों, उनको सबसे पहले लिया जाय और जो ऐडवांस्ड एरिया हों, उनको बाद में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां दूसरी वेलफेयर ऐक्टिविटीज, समाज सुधार की योजनायें

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, उन ऐक्टिविटीज में जो पिछड़ा हुआ तबका है, उसे अवहेलना की दृष्ट से देखा जाता है। सड़कों को बनाने के वक्त, नालियों के बनाने के वक्त उन गरीब हल्कों को जहां गरीब लोग रहते हैं, छोड़ दिया जाता है और जहां अमीर लोग रहते हैं, उनको सबसे पहले टेक अप किया जाता है, और उनको ही फायदा होता है। पंचायत घर, सड़कें, नालियां, लाइब्रेरी, जो भी बनती हैं, उसी क्षेत्र में होती हैं, जो जरा कुछ ऐडवांस्ड होता है। हां यह बात जरूर कहेंगे कि उससे सब फायदा उठायेंगे, लेकिन जो गरीब शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, वे शायद फायदा न उठायें इसलिए उनको आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नियोजन का मंशा यह है कि जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाय। मुझे यह बात याद आ जाती है कि जिस वक्त गाडगिल साहब ने यह कहा कि अभी बजट के सिलसिले में हमारी ५ साला योजनाएं साढ़े पांच हजार करोड़ की योजना है, उसमें से तीन हजार रुपया तो प्राइवेट सेक्टर में किया गया और आधे से कम पब्लिक सेक्टर में खर्च किया गया। तो यह मालूम होता है कि देश की गरीबी को मिटाने के लिए ५ साला योजना की मंशा नहीं है। अगर गरीबी को मिटाना है, तो जो प्राइवेट सेक्टर का तरीका अख्तियार किया गया है, उसको पब्लिक सेक्टर में तब्दील करना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस चीज का ध्यान में रखने की जरूरत है।

जहां तक घरेलू उद्योग धंधों का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि जो तबका, क्षेत्र ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसकी अवहेलना होती है और जो ऐडवांस्ड है शहरों और कस्बों को ही ले लीजिये कि वहां के घरेलू उद्योग धंधों की तरक्की के लिए ज्यादा कोशिश की जाती है। श्रमदान की जहां बात आती है, तो वहां गरीबों के साथ जबरदस्ती होती है, जब कि सरकार के यह आदेश हैं कि इस तरह की कोई कार्यवाई न हो और सबको श्रमदान अपनी मर्जी से करना चाहिए और सब को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके विपरीत कार्यवाही होती है। तो मैं नहीं समझता कि प्लानिंग ऑफिसर्स क्या करते हैं। उनके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब से उनका ऐप्वाइन्टमेंट हुआ एक ही जगह पर मौजूद हैं और उनके बारे में अगर कमिश्नर साहब की रिपोर्ट देखिये तो मालूम होगा कि कितने इनएफिशिऐंट आदमी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए माननीय मन्त्री जी कम से कम जो वहां पर ढील इस तरह की हुई है उसको ठीक करें और वहां के कार्य को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

†श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मन्त्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं और खास कर डिप्टी मिनिस्टर साहब को जो कि बड़े उत्साह से इस काम को कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बहुत अनुभव अपने जिले में हुआ है, उसके ही आधार पर मैं सदन के सामने थोड़ी सी बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय, उस पर ध्यान देंगे। जो अब तक रवैया अल्मोड़ा जिले में होता रहा पहले डी० पी० ओ० साहब बहुत कम दिलचस्पी लेते थे, जिसकी ओर हम लोगों ने बहुत दफा सरकार का ध्यान आकर्षित कराया और बहुत सी ग्रान्टें जो सरकार ने दी थीं, वह हमेशा लैप्स ही हुआ करती थीं और कार्य रूप में कुछ काम नहीं हुआ करता था। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने इस पर, उनके ऊपर ऐक्शन लिया और उनको वहां से हटाकर एक बड़े सुयोग्य व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर बनाया, जो कि अब बड़े उत्साह से और बड़े परिश्रम से वहां कार्य कर रहे हैं और मुझे आशा है कि उनके द्वारा जिले की भविष्य में बहुत उन्नति होगी। सरकार का ध्यान इस विषय पर मैं यहां भी आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपको विदित ही है, जिले का प्लानिंग जो हमारे

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

जिले में हो रहा है वह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछड़े इलाके हैं, उनकी ओर सरकार का उतना ध्यान नहीं जा रहा है जितना कि जाना चाहिए था और जो इलाके कुछ उन्नति कर चुके हैं, उन्हीं की उन्नति में सरकार अपना पूरा सहयोग दे रही है। अगर किसी दावत में कोई लोग बहुत भरपेट खायें और कोई भूखे ही रहें तो अगर भूखे लोगों से पूछा जाय कि दावत कैसी रही तो उनसे आप समझ सकते हैं कि उत्तर क्या मिलेगा ? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिला अल्मोड़ा के पश्चिमी हिस्से में कम्युनिटी प्रोजेक्ट बने, हवलबाग में, सिल्ट में और फिर ताड़ीखेत में कितने ही एन० ई० एस० ब्लाक्स बन गये ! लेकिन मेरी डबुल कांस्टीटचुऐंसी में जो कि जिले का आधा हिस्सा है उसमें अभी तक कोई भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट या एन० ई० एस० ब्लाक नहीं बनाया गया ? आपको भली-भांति मालूम है कि वह बार्डर का इलाका है और बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, न वहां एजुकेशन है, न मेडिकल हेल्थ है, और न किसी चीज में वहां आज तक उन्नति हुई है, न अंग्रेजी हुकूमत में और न इस हुकूमत में वहां कोई उन्नति हुई। तो सरकार का ध्यान मैं उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन पिछड़े हुए इलाकों में आज सब से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी यह डेमोक्रेसी और प्रजातांत्रिक राज्य कहा जा सकता है। नहीं तो अगर जिन लोगों की पहुंच हो, जो बड़े-बड़े लोगों से मिलकर के काम करा सकते हों, उनकी भी मांग हमेशा पूरी होती रहें और ये पिछड़े इलाके हमेशा ही ऐसे बने रहें, उनके साथ ऐसी ही उदासीनता का रुख रखा जाय, तो उन इलाकों की व्यवस्था होना और उनकी उन्नति होना कभी भी सम्भव नहीं मालूम पड़ता है। सरकार को मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बेरोजगारी हमारे इलाके में बहुत हो गयी थी, तो सरकार ने कोई सड़कों की योजना बनायी है, जिसमें डेढ़ दो करोड़ रुपया आने वाले सालों में खर्च किया जायगा। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रुपये की योजना बनी है सिर्फ रुपया खर्च करने से ही गरीब जनता की सहायता नहीं हो सकती। उसका उचित रूप में वितरण होने पर ही गरीब जनता की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। मैंने सवालों के द्वारा भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि बड़े-बड़े ठेकेदारों को उसका ठेका देने के बजाय गरीब जनता जो वहां की है, ग्राम सभायें हैं, या कोआपरेटिव बेसिस पर कुछ लोग अपना थोड़ा-थोड़ा धन मिलाकर इकट्ठा कर लें और उनको ठेका दिया जाय, तो उससे वहां की ग्रामीण जनता को भी कुछ मदद मिलेगी। बड़े-बड़े ठेकदारों को ठेका देने से उनको यह मदद नहीं मिलेगी, वह तो अपना फायदा देखेंगे जिसके लिए कि वह पठान लोगों को या और विदेशी लोगों को लाकर कम कीमत में काम कराने की कोशिश करेंगे न कि यह चेष्टा करेंगे कि वहां की जो बेकार जनता है उनसे वह काम लें, जिससे कि उनको भी कुछ सहायता मिले। तो मेरा सुझाव है कि जो सड़कें वहां बन रही हैं, वहां की ग्राम सभाओं को या कोआपरेटिव बेसिस पर वह काम उन्हीं लोगों को दिया जाय, ताकि जितना धन सरकार से मिले, वह उन्हीं लोगों को जा और ग्रामीण जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। सड़कों में अब जो काम हो रहा है उस ओर भी मुझे सरकार का ध्यान आकर्षित करना है कि उसमें पेमेंट कैसे किया जाय, यह अभी तक निर्णय नहीं हो सका। दो तीन साल से वहां काम श्रमदान से हो रहा है काफी काम उस इलाके में हुआ है कुछ लोगों को पेमेंट मिला भी है, मगर वह पार्ट पेमेंट है क्योंकि कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं बनायी कि किस तरीके से कैसे पेमेंट किया जाय ? इसमें अभी भी कन्ट्रोवर्सी है और फाइनल फैसला अभी तक नहीं हुआ है ! मैं सोचता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और ऐसे रेटों को तय करेगी जिससे कि गरीब जनता को कम से कम लिविंग वेजेज जरूर मिल जाँय। इसके अलावा मैंने यह भी देखा कि पी० डब्लू० डी० के इञ्जीनियर्स और ओवरसियर्स का हमारे जिला प्लानिंग की तरफ से कोई ऐसा कोआर्डिनेशन नहीं है कि जो भी सड़कें बन जाती हैं, उनका एक दम पेमेंट हो जाय, उनकी नाप हो जाय। उसके लिए जिला प्लानिंग के पास या तो अपना कोई स्टाफ हो जो कि सड़कों की नाप कर सके और जितना पैसा उस सड़क का बनता है, वह गरीब जनता को, जिन्होंने उसमें पसीना बहाया है, उचित समय पर मिल जाय, ताकि उनका कोई फायदा हो सके, या पी० डब्लू० डी० को आदेश हो कि वह उनके

साथ पूरा सहयोग दें और जब भी यह काम हो जाते हैं,तो बिना समय बरबाद किये हुए ही सड़कों की नाप ठीक तरह से हो जाय और लोगों को मजदूरी भी मिल जाय।

मैं यह भी सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय प्रदेश में बहुत गरीब इलाका होने से चारों तरफ से जमीन तो ज्यादा है, मगर जनता की सप्लाई बहुत कम होने से सारे विकास के कार्यों के लिए धन उतना नहीं मिलता। तो सब से समुचित रूप यह होगा कि पापुलेशन बेसिस पर हर एक तहसील को रुपया बराबर बांट दिया जाय। इससे सारे जिले का विकास होगा न कि उसी इलाके का जहां के लोग अपनी पहुंच से ज्यादा से ज्यादा रुपया ले लिया करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी और पापुलेशन बेसिस में हर एक तहसील को जितनी भी विकास ग्रान्ट मिले, इन कामों के विकास के लिए उसका, हर एक तहसील में ईक्वल डिस्ट्रिब्युशन हो।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि टूल्स और इम्प्लिमेंट्स सरकार की तरफ से अभी तक मिल तो रहे हैं, लेकिन जितनी जरूरत होती है उसके मुताबिक श्रमदान के काम में नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे काम में काफी अड़चनें होती हैं और काम की प्रगति रुक जाती है।

अब मैं अपनी कांस्टीटचुएंसी की खास-खास सड़कों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनमें कि अभी तक श्रमदान से काफी काम हो रहा है और बड़े उत्साह से लोग वहां काम कर रहे हैं। अगर सरकार की ओर से पेमेंट ठीक तरह से मिलते रहें तो इन सड़कों में काफी प्रगति हो सकती है, जैसे पिथौरागढ़ से जूलाघाट की सड़क है जिसके लिए सरकार की ओर से ५० हजार रुपया मिला। उसमें २२ हजार का काम जनता द्वारा समाप्त हो चुका है। १८ मील की सड़क है, जिसमें ७-८ मील बन चुकी है। ऐसे ही घाट गंगोली घाट-बेरीनाग सड़क है। इसमें भी श्रमदान और टेस्ट वर्क में काम काफी हो चुका है और बड़े उत्साह से काम हो रहा है। तीसरी सड़क बहुत महत्वपूर्ण है जो कि लोहाघाट से अल्मोड़ा तक की है। इस सड़क में लोहाघाट के लोगों ने और काली कुमायूं के लोगों ने काफी काम किया। सरकार ने बिलकुल कोई भी धनराशि उनको नहीं दी जिससे उनको प्रोत्साहन मिलता। अगर इस सड़क में सरकार ने कोई प्रोत्साहन दिया तो यह काम जल्दी ही पूरा हो जायगा।

इसके अलावा पेय पानी के लिए बेरीनाग, ओड्डा दो ऐसी जगहें हैं जहां के लिए मैंने सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित किया कि इनमें पेय पानी का अवश्य प्रबन्ध होना चाहिए वहां बड़ी तकलीफ लोगों को हो रही है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इन चीजों की ओर ध्यान देगी और जो सड़कों में अभी तक काम हो रहा है, उसकी मजदूरी का जो पेमेंट नहीं हुआ है उसको शीघ्रातिशीघ्र देने की कोशिश करेगी और खासकर मोट के इलाके में जोकि बहुत पिछड़ा हुआ है उसकी ओर ध्यान देगी और कोई योजना ऐसी जरूर वहां बनायेगी जिससे कि वहां के लोगों की रोजी का जो सवाल है, वह हल हो जाय। मैं आशा करता हूं कि इन बातों की ओर सरकार पूर्ण ध्यान देगी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, अन्य वर्षों की भांति इस बार भी "अन-प्लान्ड प्लानिंग" को ही प्लानिंग का नाम दिया जा रहा है। मैंने, माननीय मन्त्री जी और उनके सहयोगियों की ओर से जो उत्तर प्रस्तुत हुआ उनको सुनने के बाद यह नतीजा निकाला कि शायद अविकास को ही विकास माना जा रहा है, अव्यवस्था को ही व्यवस्था माना जा रहा है और जहां पर कि उन्नति नहीं है उसी को उन्नति का नाम दिया जा रहा है। मैं माननीय गुप्त जी की सेवा में यह निवेदन करूंगा क्योंकि वे नये-नये इस विभाग में आये हैं। अगर वही पुरानी रीति-नीति और परिपाटी वह चलाते रहेंगे तो चाहे कोई सदन में कितनी ही अच्छी कल्पना व्यक्त क्यों न करे लेकिन वह सब कल्पना का स्वरूप ही धारण करके रह जायगी और उसका कोई अर्थ होने वाला नहीं है। यह भले ही हो

[श्री राजनारायण]

सकता है कि गुप्त जी की तारीफ हो जाय या किसी और की तारीफ हो जाय। मैं माननीय गुप्त जी से जानना चाहता हूं कि जो विकास और नियोजन जो जीवन के सारे क्षेत्रों से सम्बन्ध रखते हैं, उसमें किस भाग में वह उन्नति देख रहे हैं। एक-एक आंकड़े मैं गुप्त जी के सामने रखना चाहता हूं। चाहे व्यक्तियों की आमदनी से देखिये कि शहरों और देहातों में जहां १९५०-५१ में शहरों में २५६ रुपये आमदनी प्रति व्यक्ति थी वहां १९५२-५३ में २४१ रुपये ८ आने थी। देहातों में लीजिये जहां १९५०-५१ में २१२ रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी थी वहां १९५२-५३ में १९१.८ हुई। यह विकास है?

ऐग्रीकल्चर के बारे में काफी चर्चा इस रिपोर्ट में हुई है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किस रूप में ऐग्रीकल्चर को विकसित माना जाता है। जहां १९५०-५१ में ९६४ करोड़ रुपया ऐग्रीकल्चर और ऐनीमल हस्बेंडरी का था वहां १९५२-५३ में वह ८८२.३ रह गया। इसी से ग्रौस आउट प्रकार पुट ऐग्रीकल्चर का जहां १९५१-५२ में ८८९.९ था वहां १९५२-५३ में ७८८.६ हो गया। मैंने सामान्य वाद-विवाद के अवसर पर बतलाया था कि दूध लें, मांस लें, मछली लें, अंडा लें, चमड़ा लें और ऊन लें तो हर वस्तु के सम्बन्ध में आप देखेंगे कि बढ़ोत्तरी को छोड़कर घटाव की ओर पैदावार चली गई है और माननीय मंत्री जी को चारो तरफ उन्नति और विकास ही दिखता है। अगर कोई इसका यह अर्थ निकाले कि हम विकास नहीं चाहते हैं तो यह उसकी बुद्धि की बलिहारी है।

मैं श्रीमन्, इतना कहना चाहूंगा कि कितना क्रौप एरिया था और मैं एक-एक आंकड़े गुप्त जी के सामने रख रहा हूं ताकि उनको मालूम हो जाय कि हमारे प्रदेश की क्या अवस्था है। जहां १९५०-५१ में ४७६ लाख एकड़ क्रौप एरिया था वहां १९५१-५२ में ४७५ लाख एकड़ ही रह गया। इसका जवाब तो वह देंगे कि क्यों ऐसा हुआ और इसी तरह से अंडर फूड में ४२४ लाख एकड़ से कम होकर ४०८ लाख एकड़ ही रह गया। यह फिगर्स हमने स्टेटिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से लिये हैं। श्रीमन्, अब मैंने गुप्त जी को यह बतला दिया कि यह हमारे प्रदेश की अवस्था है। अब इस अवस्था में उन्हें कहां से विकास दीखता है यह तो वही कह सकते हैं।

श्रीमन्, सदन में बार-बार यह कहा जाता है और यह वातावरण बनाया जाता है कि हम तो सबका सहयोग चाहते हैं। मगर मैं गुप्ता जी से कहना चाहूंगा कि कहने के बनिस्वत वह कार्य रूप में कुछ करें, लोग अपने आप उनको सहयोग दें तब उनको समझना चाहिये कि उनकी योजना में कुछ दम है। केवल कागजी प्रचार करने के लिये कि वह सहयोग चाहते हैं लेकिन सही मानों में यह सरकार किसी का सहयोग नहीं चाहती है, जनता का सहयोग नहीं चाहती है। अगर जन सहयोग सरकार चाहती है तो योजना के मूल स्वरूप में क्या परिवर्तन हुए। यह कह देना काटजू साहब का ठीक है कि किसी की जबान पर लगाम नहीं है और जो चाहे लेखनी से लिख सकता है। कौन ज्यादा जोर से बोलता है और कौन धीरे से बोलता है। तर्क के लिये मैं कहूंगा कि यहां अंग्रेजी हुकूमत थी, उसके समय में रेल बनी, डाक तथा तार बने, नहरें निकलीं, नलकूप बने, रहट लगे, बांध बंधे और रेडियो वगैरा आये तो अगर आपने कुछ नलकूप बना लिये, कुछ मील लम्बी नहरें खोद लीं तो क्या यह विकास का महत्वपूर्ण कार्य है? तब तो इस सरकार से किस माने में अंग्रेजी हुकूमत खराब थी। इसका जवाब माननीय गुप्ता जी को देना चाहिये। गंगा, जमुना और शारदा नहरें सब अंग्रेजी राज्य की बनी हुई हैं इसको आपको मानना चाहिये। आप बतलायें कि अंग्रेजी राज्य में

कितने नलकूप बने थे और इस देशी राज्य में कितने नलकूप बनाये गये। यह आप बतलायें तो कुछ समझा जा सकता है। महज इस प्रकार से कहना कि हमने इतने तालाब खुदवा दिये, इतने पेड़ लगा दिये यह बिल्कुल व्यर्थ सी बात है। आपने कितने पेड़ लगवाये ? जितने लगाये गये थे वह सूख गये और वनमहोत्सव के अवसर पर जो बतलाया गया था कि इतने पेड़ लगाये गये तो उनमें से कितने हरे रहे ? यह गुप्त जी बतला सकते हैं। जितने तालाब खोदे गये थे ? और बाबा राघवदास ने जिन तालाबों को खुदवाया था क्या गुप्त जी बता सकते हैं कि उनमें आज पानी है ? बनारस में एक जगह ऐसी थी जहां पर काशी नरेश स्वयं खोदने के लिये गये थे चाहे उनका फरसा चान्दी का रहा हो मगर आज उसमें एक बूंद पानी भी नहीं है। वह फरसा जहां से चला वहीं रह गया। यह सब बातें ऐसी हैं कि जिनको अब बन्द होना चाहिये और बुनियादी तौर से बातों को देखना चाहिये कि यह योजना ऊपर से चलनी चाहिये या नीचे से चलनी चाहिये। जनता की इच्छा को, जनता के कल्याण को और जनता की आकांक्षा को सरकार इन योजनाओं में कहां ले रही है? उदाहरण के लिये मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं जिसका समर्थन फूलसिंह जी भी करेंगे कि जहां पर २७ में से २१ गांव सभाओं की एक राय थी वहां के एसेम्बली के दोनों ओर के सदस्यों की एक राय, पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक राय तो बावजूद इन सब बातों के एक माननीय मंत्री महोदय की कृपा नहीं हुई तो वहां पर एन० इ० एस० ब्लाक नहीं खुल सका। उनके लिये उसका महत्व हो सकता है जो मंत्री जी के पीछे-पीछे घूमने वाले हैं। बनारस का उनके लिये क्या स्थान हो सकता है ? बात यह है कि जब मैं माननीय फूलसिंह जी से निवेदन करूं और ए० एन० झा से निवेदन करूं तो वह कुछ सुनें। मगर झा साहब कहते हैं कि प्लानिंग कमेटी में जाओ हमने वहां पर भेज दिया है और वहां से निपट लो। चाहे उस कमेटी के लोग उस क्षेत्र की जानकारी न रखते हों मगर हर एक क्षेत्र के बारे में वह राय देंगे। उनकी बात को हित की बात समझा जायगा चाहे उसमें कोई तथ्य की बात न हो। इस सम्बन्ध में मुझे फूलसिंह जी का एक पत्र मिला। उस पत्र की भाषा और भाव के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। किन्तु मुझे शक है कि उनकी वह भाषा और भाव कभी पूरे हो सकेंगे। बस उन्होंने एक पत्र लिख कर भेज दिया। बनारस की प्लानिंग कमेटी की जब बैठक होती है तो उसका पत्र मेरे पास यहां लखनऊ आता है और जब मैं बनारस में होता हूं तो वह कमेटी कभी मिलती ही नहीं। अगर उनको सहयोग लेना होता तो वह उसी सूरत में सहयोग लेने की बात कहते और जनता भी उनको सहयोग देती। अगर आपको जनता से सहयोग लेना है तो उसकी सारी प्लानिंग होनी चाहिये और माननीय गुप्त जी को बताना चाहिये कि इस प्रान्त में आज कितने बेकार हैं। इस प्रान्त में आज कितनी अन्न की आवश्यकता है। यह कह दिया कि अन्न की पूर्ति हो गयी और अन्न की कमी नहीं है। हम भी गुप्त जी का गुणगान करने लगें किन्तु इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं तो निवेदन करता हूं कि गुप्त जी आज कसौटी पर हैं और जिस प्रकार से वह चल रहे हैं वह अवश्य फल होंगे। उन्होंने तो इस सदन में भाषण कर दिया और धारा प्रवाह भाषण से यहां पर प्रकट कर दिया कि ऐसा विकास होना चाहिये और ऐसा उद्योग होना चाहिये और यह जनहित होना चाहिये। मगर मैं गुप्त जी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के लोग अब भी आंखें खोल लें। मैं गुप्त जी को बतलाऊं कि जिस समय बुलन्दशहर जिले में श्रमदान का कार्य आरम्भ हुआ था तो उस समय जवाहरलाल जी ने आकर चांदी का फरसा चलाया था। वह दो साल पहले चल रहा था एक घंटा काम देने का नारा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने बुलन्द किया लेकिन तब माननीय

[श्री राजनारायण]

गुप्ता जी ने उसका प्रदर्शन नहीं किया लेकिन जब उस श्रमदान के प्राण की हत्या कर दी गयी तब उसको आरम्भ किया गया। इसलिये माननीय गुप्ता जी पहले वस्तुस्थिति का अध्ययन करें, तब कोई काम करें। खाली कल्याणकारी कहने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे थोड़े से सरकारी मंत्रियों का कल्याण भले ही हो जाय।

मैं गुप्ता जी से यह पूछना चाहता हूं कि काशी विद्यापीठ एक विकास खंड है, वह एक सर्वमान्य संस्था है। १९२१ में उस संस्था को महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। आप चाहते हैं कि वह संस्था आज आपके नियंत्रण में रह कर चले लेकिन आज उसे जनता के लोग चलाना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं और सरकार को चैलेंज करते हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों के द्वारा जो विकास कार्य कराती है उससे अच्छा विकास करके वे दिखायेंगे। लेकिन सरकार उनके हाथ में उसको नहीं देना चाहती है। क्योंकि वह जानती है कि सरकारी योजना में जो पोल है वह कहीं खुल न जाय। साढ़े सात लाख रुपया एन० ई० एस० ब्लाक पर खर्च होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें से कितना रुपया जनता के पास पहुंचेगा। सारा रुपया प्लानिंग के कर्मचारियों की तनख्वाहों और उनके भत्ते में खर्च हो जाता है और मुश्किल से उस साढ़े सात लाख रुपये में से एक, डेढ़ लाख रुपया ही जनता तक पहुंच पाता है। मुझे खुशी है कि बनारस के प्लानिंग आफीसर ने स्वयं यह कहा कि मैं सरकारी योजनाओं की पोल खोल देना चाहता हूं। यह प्लानिंग आफिसर के मुखारविन्द से निकले हुए शब्द हैं कि रुपया ऊपर-ऊपर के ही कामों में समाप्त हो जाता है और आम जनता उससे लाभान्वित नहीं हो पाती और यहां पर सोशलिस्टिक पेटर्न की बातें की जाती हैं, चीन और रूस की बातें की जाती हैं और कम्यूनिस्ट पार्टी को जो दो चार खरी खोटी सुना दी जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी अपने को किन मानों में कम समझती है। जहां तक सेंट्रलाईजेशन आफ पावर की बात है, मैं माननीय गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी स्कीम्स चलेंगी उनमें जनता की राय को सुप्रीमेसी मिलेगी या नहीं? अब माननीय गुप्ता जी यह बतायें कि जनता की राय की सुप्रीमेसी के लिये जिलों में जो कमेटियां बनती हैं उनके लिये कार्यकर्ता कहां से लिये जायंगे और इन योजनाओं में किस प्रकार से जनता की सुप्रेमेसी का ख्याल रखा जायगा। अगर इस आधार पर उनकी योजनायें कार्यान्वित हो जायं तो इस ब्यूरोक्रेसी के ढांचे के होते हुए भी मैं नतमस्तक होने को तैयार हूं। मगर मैं माननीय गुप्ता जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी आज सुलगती हुई चिनगारी के ऊपर खड़े हैं। वे गिरेंगे और गिरने का दोष हमको देंगे मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम उनको बराबर चेतावनी देते रहे हैं लेकिन वे अपनी आंखें मूंदें हुए हैं और उस दिव्य ज्योति को वहन नहीं करते और यही कारण है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जो लीगेसी उन्हें प्राप्त हुई है उसको छोड़ कर वे अलग नहीं हो पाते।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान हमारे सामने प्रस्तुत है उसका समर्थन करते हुए मैं आपके द्वारा कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश में जिस समय ब्रिटिश शासन कायम था उस समय राजनैतिक स्वतंत्रता के लिये हमारे देश ने कदम बढ़ाया और पूज्य बापू के इंस्ट्रक्शन्स में चलते हुए हमें सफलता भी मिली तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। लेकिन देश को पूर्ण स्वतन्त्र बनाने के लिये हमें आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी बाकी रह गयी। उस आर्थिक स्वतन्त्र को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि देश का सर्वतोन्मुखी विकास किया जाय। देश का सर्वतोन्मुखी विकास करने के लिये हमारे संविधान के अनुसार जो हर पांचवें वर्ष चुनाव करने की प्रथा रखी गयी है उसी के अनुसार पंचवर्षीय योजना बनाकर हमारी सरकार विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर होती जा रही है।

मेरे पूर्व वक्ताओं के भाषणों से ऐसा लगा कि जिन विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने आज अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही है, जो विकास का कार्य हमारी सरकार कर रही है, उनके कथनानुसार ऐसा मालूम होता है कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। मैं इस विषय में उनकी बातों का उत्तर देना तो उचित नहीं समझता, उत्तर तो माननीय मंत्री जी ही देंगे लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जिस तेजी के साथ इस कार्य में हमारी सरकार संलग्न है उसका प्रभाव चारों तरफ पड़ रहा है और इसमें कोई संशय नहीं कि यथास्थान पुल आदि, सड़कें, बीज गोदाम, खेती के सम्बन्ध में और सिंचाई के सम्बन्ध में भी नाना प्रकार के विकास के कार्य हो रहे हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर जो जिले के अन्दर हैं उनके सामने बड़ी अड़चनें हैं और उन अड़चनों को दूर करने के लिये उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मानी हुई बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश का विकास कृषि के विकास से ही हो सकता है और साथ ही उद्योग धंधों से भी। कृषि के विकास के लिये आज सिंचाई की आवश्यकता है, आज कृषि के साधनों को बदलने की आवश्यकता है। जो साधन पुराने हो गये हैं उनको किसान स्वतः नहीं बदलना पसन्द करते हैं। अभी हमारे विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि जनता की राय जरूर लेनी होगी। मैं भी मानता हूं कि जनता की राय लिये बिना काम नहीं चल सकता है। लेकिन हम जो यहां जनता के नुमाइन्दे हैं उनकी भी राय तो जनता की ही राय है। यदि उनका अभिप्राय उस जनता से है जो कि इंटीरियर में रहती है तब तो मैं कह सकता हूं कि अभी हमारे यहां शिक्षा का इतना अधिक प्रभाव नहीं है, अभी उसका अधिक विस्तार नहीं हो सका है। इसके साथ-साथ जो हमारे गांव के रहने वाले भाई हैं वे रूढ़िवादिता के ही शिकार हैं। वे अपने तरीके को नहीं बदलना चाहते हैं, वे अपने खेती के साधन को नहीं बदलना चाहते हैं, वे सदैव उसी को पसन्द करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जबरन हम उसकी व्यवस्था करेंगे तभी उनका उत्थान हो सकता है। मरीज कभी भी नहीं चाहता है कि वह कुनैन पीवे क्योंकि वह कड़वी होती है लेकिन डाक्टर उसे जबरदस्ती पिलाता है। हां, मैं यह कह रहा था कि जब खेती का विकास होगा तभी हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। खेती के विकास के लिये, सिंचाई के लिये नहरों के अलावा ट्यूबवेल्स भी सरकार लगा रही है और इसमें भी कोई संशय नहीं कि सरकार का ध्यान इस तरफ काफी है। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये यह परमावश्यक है कि यातायात के साधन भी ठीक हों। जब उन्हें गल्ले की पूरी कीमत नहीं मिल पाती तो उसका आधा नुकसान तो वैसे ही हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि प्लानिंग के अन्दर यों तो सभी प्रकार की आवश्यकता है, पशुपालन विकास की भी आवश्यकता है, शिक्षा के विकास की भी आवश्यकता है, सड़कों के विकास की भी आवश्यकता है, खेती के विकास की भी आवश्यकता है, सभी बातों की आवश्यकता है लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको प्राथमिकता देना जरूरी है।

खेती की उन्नति के लिये जहां सिंचाई की और खाद की समस्या हमारे सामने है उसके साथ साथ यातायात के साधन की भी बहुत बड़ी जरूरत है। जब गांवों में आने-जाने का कोई मार्ग ही नहीं है और वहां हम पहुंच ही नहीं सकते तो उनके विकास की बात तो दूर की चीज है। ग्रामीणों से श्रमदान लिया जाता है, श्रमदान लेना चाहिये, यह बहुत उत्तम है क्योंकि हमारे देश में मैन पावर बहुत काफी है और श्रमदान लेने से सभी को लाभ होगा।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

लेकिन श्रमदान का जो तरीका चल रहा है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उसमें उतनी सत्यता नहीं है जितनी आंकड़ों से दिखाई जा रही है। प्लानिंग अफसरों को सरकारी आदेश के अनुसार रिपोर्ट बना कर बराबर भेजना पड़ता है कि कितना काम हुआ। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये होते हैं वे सत्य नहीं होते। वे ऐसे लम्बे चौड़े और झूठे बना कर भेजे जाते हैं कि उनमें अधिकतर गलत ही होते हैं और उनका कहीं थोड़ा सा भाग ही सत्य रहता है। में साथ ही यह भी कहूंगा कि श्रमदान के लिए जो मई और जून में सप्ताह मुकर्रर किए जाते हैं, यह समय का निर्धारण बिल्कुल अनुपयुक्त है और उस समय में गर्मी के कारण कोई काम करना नहीं चाहता। इसलिये यह समय गर्मी में न रख कर किसी और मौसम में रखा जाय। श्रमदान के सम्बन्ध में विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं, मैं उनसे भी कहूंगा कि देश के कल्याण के लिये वह पार्टीबाजी के चक्कर में भोली भाली देहात की जनता को न डालें जैसा कि वह कहते हैं और चुनाव के समय जाकर प्रचार करते हैं कि यह श्रमदान 'बेगार' है और वैसी ही बेगार यह सरकार लेती है जैसी पहले जमींदार लेते थे। इस तरह की बातें माननीय हुकुम सिंह जी के बाई एलेक्शन में देखने को मिलीं और वहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से प्रचार किया गया कि वह श्रमदान सरकार की तरफ से बेगार ली जाती है। लेकिन बाद में जब डाक्टर लोहिया जी वहां गए और उन्होंने कहा कि श्रमदान अच्छी चीज है और हमारी सरकार भी अगर कभी आयेगी तो वह भी श्रमदान चलायेगी इसी पर कांग्रेस की जीत में मदद मिली। इसलिए मैं अपने माननीय विरोधी दल के मित्रों से कहूंगा कि अगर वह वास्तव में देश का कल्याण चाहते हैं तो कृपा करके इस तरह की गलत बातों का प्रचार न करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि कलेक्टर को न रख कर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर ही रखे जायं। मैं उनके इस सुझाव के बिल्कुल विरुद्ध हूं। कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि वह जिले में शान्ति स्थापित करें और रेवेन्यू आदि की वसूली का प्रबन्ध करें, अगर ऐसा किया जाता है तो उनका काम केवल प्लानिंग का ही नहीं है। अगर जिलों में शान्ति ही स्थापित न रहेगी तो विकास तो एक दूर की चीज हो जायगी। मेरा तो सुझाव यह है कि डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के मातहत होना चाहिए। उसमें एक प्रैक्टिकल दिक्कत यह होती है कि उनके सामने जो सड़कों वगैरा की स्कीम जाती हैं, उनको सुझाव दिए जाते हैं लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं। वह टेक्निकल दिक्कतें बताते हैं और पी० डब्ल्यू० डी० वाले भी नहीं सुनते इसलिये मैं कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को उनके मातहत कर दिया जाय और सड़कों की लिमिट कर दी जाय कि १५ मील से लम्बी सड़कें जिला बोर्ड के पास न रहें, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के पास रहें ताकि उनका कार्य सफलता से देखा जा सके और विकास का काम पूरा हो सके।

†श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपनी पंचवर्षीय योजना एक बड़े महान उद्देश्य को लेकर बनायी थी और हमारा वह महान् उद्देश्य यह था कि हम अपने यहां एक ऐसे समाज का निर्माण करें कि जिस में हर व्यक्ति सुखी रहे, उसे आराम मिले और हर शख्स को उसकी आवश्यकता के अनुसार हर प्रकार की वस्तुयें मुहय्या हो सकें। हमने अपने ४ साल पूरे किये और अब हम उसके अन्तिम वर्ष में पदार्पण करने जा रहे हैं। इन ४ वर्षों में हमने बहुत से काम किये और बहुत सा रुपया भी व्यय किया। हमने सिंचाई के साधन भी बढ़ाये, गल्ले का उत्पादन भी बढ़ाया और हम उसमें आत्मनिर्भर बने, कपड़े का भी उत्पादन बढ़ाया, चीनी का भी उत्पादन हमने बढ़ाया, सीरियल्स का उत्पादन भी

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहां बढ़ा, सड़कों का भी निर्माण हुआ और इन सब चीजों के साथ हमारे देहातों का रूप भी बदला; लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों हमारे यहां समस्यायें जटिल होती जाती हैं और उलझती जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आज हमारे यहां क्या दशा है। हमारी चीनी का जो उत्पादन हमारी शक्कर मिलों का है वह इतना है कि जो करीब-करीब हमारी जरूरत को पूरा करता है, लेकिन फिर भी हम जितनी जरूरत हमारे देश को है वह पूरी नहीं कर पा रहे हैं और हमें विदेशों से चीनी मंगानी पड़ती है और दूसरी ओर हमारे यहां गुड़ और शक्कर की समस्या इतनी भयंकर बनती चली जाती है और तत्काल यदि इस स्थिति में सुधार न हुआ तो प्रदेश के किसान की बहुत बुरी हालत हो सकती है। यह चीनी की और शक्कर की वह समस्या है जो हमारे प्लानिंग पर डायरेक्ट असर कर रही है। हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम केवल गुड़ शकर और चीनी का प्रोडक्शन ही न बढ़ावें बल्कि दूसरे प्रदेशों में और देशों में भेजकर हमें उसकी खपत भी करना जरूरी है। हमारे देहातों में देश और प्रदेश में इसमें सन्देह नहीं कि गल्ले की समस्या हल हुई और प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन इसके बावजूद हमारे देहातों में जो गल्ले की कीमतें गिरती जाती हैं और पौष्टिक पदार्थों की भी हमारे यहां यह हालत है कि उसकी केलोरीज भी १,५०० से कम हैं, जो सभी देशों से कम है। लेकिन इसके साथ-साथ दशा यह है कि हमारे सीरियल्स और हमारी जो पैदावार होती है, उसकी कीमतें घटती जाती हैं और हमारे सामने भयंकर समस्यायें पैदा होती जाती हैं इस परिस्थिति में हम क्या करें? हमें तो यही मालूम होता है कि हमारे प्लान में कहीं कमी है, कहीं त्रुटि है और हमें तो ऐसा मालूम होता है कि हम एक इंटिग्रेटेड प्लान नहीं बना सके और इसलिए उसमें कामयाबी नहीं हो सकी और इसीलिए यह समस्या जटिल बनती जाती है।

हमने मिर्जापुर और चुनार के कारखानों को देखा है और अपने सूबों के कारखानों को देखा है, वहां हमने अपने लोगों को सिलाई और दूसरे कामों को सिखाकर बाहर भेजा, लेकिन बाद में यह पता चला कि वहां भी उनको काम नहीं मिला और वे या तो वापस आ गये और या वे वहीं इस बात की तलाश में हैं कि उनको वहां खाने को मिल जाय। तो यह हमारे प्लानिंग की कमी है और इसलिए चूंकि अब दूसरा प्लान बनाने जा रहे हैं उसके लिए कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

मेरी यह धारणा है कि केवल प्रोडक्शन को बढ़ाने से ही हमारी समस्यायें हल नहीं हो सकतीं। हमें दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रिसोर्जेज को जमा करके अन्इम्प्लायमेंट को कम करना पड़ेगा। जब इम्प्लायमेंट बढ़ेगा तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और उसके साथ-साथ प्रोडक्शन का बढ़ना अनिवार्य है। हमने देखा कि लड़ाई के जमाने में भिन्न-भिन्न प्रकार की चीजें हुईं। एम्प्लायमेंट लोगों को दिया गया और उसके बढ़ने के कारण लोगों को परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी और वह चीजें तेजी से पैदा हो गयीं जिनकी उनको जरूरत थी। तो हमें अपने एम्प्लायमेंट को बढ़ाना पड़ेगा और जो अनएम्प्लायमेंट हमारे देश के अन्दर है, उसको दूर करना पड़ेगा और अगर हम यह कर देंगे, तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और उसके बढ़ने के साथ लोगों के द्वारा प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा क्योंकि उसकी खपत के लिए मौका मिलेगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, जितने उत्पादन के साधन हैं, उनके आंकड़े एकत्रित करें और यह मालूम करें कि हमारे जितने उत्पादन के साधन मौजूद हैं, उनको हम किस ढंग से काम में ला रहे हैं। यह भी देखना है कि हम उनका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। हमारे सामने कस्बों और शहरों में उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ एक मकानों की समस्या भी बनी हुई है और हमारी सरकार को इस बात की फिक्र है कि हमारे मकान बनें और ३ करोड़ रुपया हम कर्ज ले रहे हैं ताकि हमारे यहां मकान बन सकें। लेकिन क्या आपने इस बात की जांच कर ली है कि जो मौजूदा साधन हमारे पास हैं वह क्या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं

[श्री केशव गुप्त]

करते हैं ? क्या हमने इस बात के आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि एक व्यक्ति या एक घर के लिए कितने मकान की आवश्यकता है और वह कितने मकान इस्तेमाल कर रहा है या वह उस से अधिक हमारे साधनों का दुरुपयोग कर रहा है और अगर हमारे साधनों का वह दुरुपयोग कर रहा है तो फिर वह मकान उसके पास रहना चाहिए या नहीं। हमें इस बात को भी देखना है कि इसको देखने के बाद कि जो हमारे मौजूदा मकान हैं, वह हमारी जरूरतों को कहां तक पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। इस तरह से हमारे यहां अनएम्प्लायमेंट का प्रश्न है। एक तरफ तो हमारे यहां बेकारी है और दूसरी तरफ हमने अपने बूढ़े लोगों को जो ६० वर्ष पूरे कर चुके हैं लेकिन उनकी नौकरियों को और बढ़ाते चले जाते हैं और उन्हें रिएम्प्लायमेंट देते जाते हैं और उन्हें एक्सटेंशन देते चले जाते हैं। तो एक तरफ तो हम बेकारी को चिल्लाते हैं और दूसरी तरफ जिन्होंने काफी वक्त काम कर लिया है और अब काम नहीं कर सकते हैं फिर भी उन्हें रक्खे हुए हैं और जो दूसरे आदमी हैं उनके लिए रास्ता रोके हुए हैं। इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि जो मौजूदा एम्प्लायमेंट के साधन हैं, उनमें भी एक-एक आदमी १०-१० एम्प्लायमेंट के साधन लिये हुए बैठा है। एक आदमी तो बेकार बैठा हुआ है और एक दस-दस आदमियों का काम ले करके मौजें उड़ा रहा है तो दूसरे के पास खाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए साधन नहीं है। हमें आज इस बात को देखने की जरूरत है कि जिन लोगों के पास एक से अधिक एम्प्लायमेंट के साधन हैं, उनके लिए हम इस बात की कोशिश करें कि उनसे वे हटाकर एक ही साधन कमाने और खाने का हम लोगों के पास छोड़ें और जितने साधन हैं, उनको लेकर एक-एक साधन अपने खाने कमाने का दूसरे लोगों को भी दें। अगर इस तरह से प्लानिंग बनायेंगे, अपने मौजूदा रिसोर्सेज के स्टैटिस्टिक्टस को लेंगे और अपनी आवश्यकता के स्टैटिस्टिक्स लेंगे और प्रेजेन्ट रिसोर्सेज को काम में लाकर कोशिश करेंगे कि आगे रिसोर्सेज बढ़ायें तभी प्लान सफल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—माान्यवर, मैं माननीय नियोजन मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने और माननीय राजनारायण जी ने जो भाषण दिये मुझे कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि पुराने बजट में राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में जो भाषण हो चुके हैं और उस समय यही बातें जो उन्होंने कही थीं, सदन के सम्मुख उन्हीं को दोहराया गया है और शायद वे यह भी ध्यान रक्खेंगे कि उस सम्बोधन के भाषण में मैंने उनकी प्रत्येक बातों का उत्तर भी दे दिया था। मैंने यह कहा था कि पर कैपिटा इनकम के आंकड़ों का अनुमान लगाते हुए, प्रदेश की प्रगति से अप्रगति का अन्दाज लगाते हुए जो आंकड़े उन्होंने दिये थे, वे आंकड़े न केवल गलत हैं, बल्कि जानकारी के गलत उदाहरण थे। माननीय राजनारायण जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन आंकड़ों की पुस्तिका को उन्होंने देखा, क्या उसमें यह भी देखा कि यही उत्तर प्रदेश है, जिसमें ५१–५२ में नियोजन के प्रारम्भ होने के समय प्राइस इन्डेक्स ४४९ था और यही उत्तर प्रदेश है, जिसमें नियोजन के तीन वर्ष के बाद प्राइस इन्डेक्स ३६७ हो गया। मैं पुनः माननीय राजनारायण जी से यह पूछना चाहता हूं कि यही उत्तर प्रदेश है जिसमें सन् ५१ में राष्ट्रीय आमदनी १,५२७ करोड़ रुपये थी और यही उत्तर प्रदेश है, जिसमें सन् ५३–५४ में राष्ट्रीय आमदनी १,६६८ करोड़ रुपये की हो गयी। अगर यह ठीक है तो अधिक रुपया कहां चला गया ? मैं फिर यह बात बतला दूं जिस प्रकार के अनुमान पर कैपिटा इनकम का लगाते हैं, मैंने श्रीमन्, पहले भी कहा था पिछले बजट के समय और आज भी कहता हूं कि उन्होंने वास्तविकता समझने की चेष्टा नहीं की। यही भारतवर्ष है जिसमें ५१–५२ में १,९६९ करोड़ रुपये की मनी सप्लाई थी जब कि आज की तुलना में आबादी कम थी और चार वर्ष बाद आबादी बहुत बढ़ जाने पर भी मनी सप्लाई १,८२८ करोड़ रुपये की रह गयी दिसम्बर, १९५४ में। जब मनी सप्लाई में १२५ करोड़ का अन्तर हो गया, तो श्रीमन् इस बात की आवश्यकता है कि इसकी जांच के लिए और आंकड़ों को देखा जाय। उत्तर प्रदेश में नियोजन के बाद ३५ लाख एकड़ नयी जमीन काश्त

में आयी। नियोजन के प्रारम्भ में हमारे प्रदेश में एक वर्ष में सूती मिलें ३०९ मिलियन गज तक कपड़ा तैयार करती थीं और दिसम्बर, ५४ तक ३४९ मिलियन गज कपड़ा एक वर्ष में तैयार होने लगा। यह उन्नति नहीं तो क्या अवनति हो रही है? शायद वे सही अनुमान लगाना नहीं चाहते। मैं एक बात और निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश की कृषि और कृषि योग्य भूमि के बारे में कहा जाता है कि कम हो गयी है। मैं नहीं जानता कि वे किन आंकड़ों से अनुमान लगाते हैं। वही स्टैटिस्टिकल बुलेटिन है जिसमें कहा गया है कि यदि ४८-४९ का मुकाबला किया जाय और उस समय एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का व्यापार अगर १०० के बराबर मान लिया जाय तो ५३-५४ में १०३ इम्पोर्ट और १०९ एक्सपोर्ट हैं। यदि ये चीजें प्रमाण नहीं दे सकतीं कि प्रगति कैसे हो सकती है तो उस बुद्धि की बलिहारी है इसके सिवा मैं और क्या कह सकता हूं। मैं राजनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि नियोजन के सम्बन्ध में संसार के विख्यात से विख्यात अधिकारी लेखक हो गये हैं, शास्त्री हैं, उनकी राय क्या है। इस बारे में मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि संसार में समाजवादी प्लानिंग का सब से विद्वान प्रोफेसर बेकाफ हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है--राज नारायण जी कहेंगे कि यह आपने कहां से पढ़ लिया--पुस्तक कौन सी है और किस पेज से पढ़ा, इस लिए मैं उनकी इत्तिला के लिए कहता हूं कि पुस्तक का नाम 'सोवियत इकोनोमिक सिस्टम' है और पृष्ठ संख्या ४२३ है। माननीय राजनारायण जी चाहें तो उसमें देख सकते हैं। उसमें प्लानिंग की रूप-रेखा दी गयी है। "प्लानिंग इज ए प्राडक्ट आफ मिस्फार्चून" संसार में यह सोशलिस्टिक समाज का प्रमुख सिद्धांत प्लानिंग है। आपने भी इसे पढ़ा होगा, और मुझसे ज्यादा जानते होंगे। उसमें आगे यह कहा गया है कि प्लानिंग के लिए, उसकी सफलता के लिए ज्यादा जरूरी चीज यह है कि पनिशमेंट होना चाहिए उसको जो प्लानिंग के कार्य में बाधक हो। मैं जानना चाहता हूं, श्रीमन्, कि माननीय राज नारायण जी जरा यह बात ध्यान में रखें कि प्लानिंग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि पनिशमेंट हो, यदि प्लैनिंग का काम पूरा न हो तो। आज भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डेमोक्रेसी स्थापित कर रखी है, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ प्लैनिंग और दूसरी तरफ पनिशमेंट की बात कहीं नहीं है। कहा जाता है कम्युनिस्ट प्लैनिंग के बारे में, मैं नारायणदत्त जी से और जो लोग चीन की प्लैनिंग के बारे में बहुत हमदर्दी रखते हैं, उन सब से एक निवेदन करना चाहता हूं।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज चीन का जो प्लैनिंग है और उसका जो आधार है, माओ त्से तुंग ने स्वयं एक पुस्तक में उसकी रूप रेखा लिखा है और उसका नाम है "न्यु चाइनाज न्यु डिमोक्रेसी", (नये चीन की नयी डेमोक्रेसी) और मैं माननीय राजनारायण जी की सूचना के लिए बतला रहा हूं कि उसके १४वें पन्ने पर अगर पढ़ें तो उसमें लिखा मिलेगा कि आज चीन में जो नियोजन है उसका क्या रूप होना चाहिए और उस रूप के बारे में मैं माओ त्से तुंग ने लिखा है कि हम अपना जो भी नियोजन करेंगे, उस के लिए बैकवर्ड एकानोमी का कन्ट्री होने के कारण हम यह नितांत आवश्यक समझते हैं कि हम छोटे पैमाने पर कैपिटलिस्ट सिस्टम को भी जारी रखें, हम उसे तोड़ेंगे नहीं। हमारे देश में यह एक स्लोगन हो गया है कि हर बात में कहा जाय कि यहां सब नेशनलाइजेशन कर दिया जाय। एक बार मैंने श्रीमन्, निवेदन किया था कि हम क्या नेशनलाइज कर दें, कहां नेशनलाइज कर दें? प्लैनिंग की हमारी जो योजना है उसके बारे में शिकायत की गयी है कि यह एक्सपर्ट्स की योजना है। मैं नहीं जानता कि मासेज की प्लैनिंग की योजना कैसे बनती है। मैंने प्लैनिंग के इतिहास में मासेज द्वारा प्लैनिंग की योजना बनते कहीं नहीं पढ़ा, कहीं न कहीं देखा। किन्तु एक बात है, हमारा प्रदेश देश के सब प्रदेशों में बड़ा है। भारत सरकार ने यह आशा की थी और नियोजन योजना बनाने वालों ने यह आशा की थी कि कम से कम फर्स्ट फाइव इयर प्लान के लिए हम सब प्रदेश से ४१० करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे लेकिन बड़ी कोशिश के

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

बाद, बड़ी रगड़ के बाद, बड़ी चेष्टा के बाद हम १६० करोड़ रुपये से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सके। कितने इन्टरनल रिसोर्सेज हैं, कहां से वह लाते हैं ? मैंने एक बार कहा था कि इस फाइव इयर प्लैन में ९०० करोड़ रुपया का गैप है, उस गैप को इन्श्योरेंस, बैंकिंग सब लेकर भी हम पूरा नहीं कर सकते। इस लिए मैंने निवेदन किया था, जैसा कि माओ त्से तुंग ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जिसका मैंने उदाहरण दिया, कि हमारा एक मध्यम मार्ग है, एक ऐसा रास्ता होगा जिस से चल कर हम जल्दी प्लैनिंग को सफल बना सकेंगे।

मैं एक बात और निवेदन करूं .....

श्री राजनारायण---आप वही अपना रहे हैं ?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---माननीय राजनारायण जी जो रास्ता अपना रहे हैं, उसके बारे में एक लेखक उसका नाम हक है, उसने काफी लिखा। अगर वह उसको पढ़ें तो मालूम होगा कि यह जो बीच का सोशलिज्म है, जो कुछ निश्चय नहीं कर पाता, जिसको न "ही" कहा जाना चाहिए न "शी", उसकी प्लैनिंग में सबसे बड़ी चीज जो होती है और उसका जो परिणाम होता है, वह अगर यहां कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी उपस्थित होता, तो उसे लार्ड वलाइब का कन्ट्रोल आफ इन्वेस्टमेंट को मानना पड़ेगा और उसका जो परिणाम इंग्लैन्ड की लेबर पार्टी को मानना पड़ा। वही यहां भी राजनारायण जी अपनी बात मनवा कर इस उत्तर प्रदेश सरकार को वही परिणाम भुगवाना चाहते हैं। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरह का उपदेश इस सदन को न दें यही उत्तम होगा।

राजा वीरेन्द्रशाह---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय कुछ बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---सदन का समय आज नहीं बढ़ सकता। यही नियम व प्रथा रही है कि आखीर के दिन समय नहीं बढ़ता।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मेरे कट मोशन के सम्बन्ध में जो विवाद हुआ उससे एक बात यह स्पष्ट होती है कि जो आशय और मंतव्य मेरा इस सम्बन्ध में था, नियोजन के सम्बन्ध में, उसके आशय को करीब-करीब सभी सदस्यों ने माना। अगर माननीय शिवनाथ काटजू और माननीय परिपूर्णानन्द जी उस आशय से सहमत नहीं हैं तो यह मेरा दुर्भाग्य है ही। मैं माननीय काटजू और माननीय परिपूर्णानन्द जी की सेवा में माननीय सम्पूर्णानन्द जी के, जिनकी राय की शायद वह कदर करते होंगे, और शायद उनका नेतृत्व भी उनको स्वीकार होगा, उनके शब्द ही रखना चाहता हूं जो कि आज के नियोजन या आज के विधान के सम्बन्ध में है। आज से डेढ़ साल पहले सितम्बर १३, १९५३ को मद्रास में इन्डियन कमेटी फार कल्चरल फ्रीडम में सभापतित्व के पद से भाषण दिया। उनकी दो एक लाइन भाषण को पेश करना चाहता हूं---

"The economic situation seems to be equally hopeless."

आर्थिक स्थिति उतनी ही नाउम्मीद करने वाली नजर आती है।

"Money may be plentiful but purchasing power has shrunk inordinately low."

रूपया बहुत हो सकता है, लेकिन खरीदने की शक्ति आवश्यकता से अधिक नीचे पहुंच गयी।

"Unemployment stares large numbers in the face and the fatuous resolution passed by bodies like the Congress Working Committee and the

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

Planning Commission have no message of hope to convey to those sliding helplessly down towards's low death by semi-starvation.

बेकारी बहुत अधिक लोगों के चहरे पर घूरती है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी और प्लानिंग कमीशन जैसी संस्थाओं के बड़े दिखलाने वाले प्रस्तावक उनके पास कोई सन्देश नहीं है आशा का, जो कि अधिविकसित अवस्था में जो लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए।

"The social prospect is no less gloomy."

सामाजिक स्थिति भी किसी प्रकार कम विषम नहीं है। यह तो एक संस्था का उद्धरण है।

दूसरी बात कही, जैसा हमारे मित्रों ने कहा कि माननीय राजनारायण जी और नारायण-दत्त जी ने नहीं कहा कि सड़के बांध बन रहे है, यह सही है कि मैंने यह भी नहीं कहा कि सड़के नहीं बन रही है, लेकिन बनते हुए भी कमी कहां है। हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने जवाब दिया है, वे कहते है :--

"Our Constitution has no doubt its great points :"

हमारे विधान में बहुत सी अच्छी बातें हैं।

"It has, one may admit, the virtues inherent in all the Constitutions upon which it has drawn so liberally,"

हमारे विधान में ऐसी सारी बातें हैं जो दूसरे विधानों में हो सकती हैं।

"but it has a singular individuality of its own in one repsect."

लेकिन उसमें एक ऐसी बात है जो कि बिलकुल स्पष्ट दिखलायी देती है।

"One shall search it in vain for the faintest trace of Vedant or Gandhism."

उसमें वेदान्त या गांधीवाद का कहीं तनिक भी ट्रेस नहीं देख सकता है।

"There is no suggestion that its authors had the faintest idea of what the goal of life and endeavour should be."

उसमें कोई भी इस प्रकार का संकेत नहीं है कि उसके बनाने वालों के दिमाग में जिन्दगी के लक्ष्य और प्रयत्न का कोई भी नक्शा हो।

श्रीमन्, विधान तो वही है, और आगे चलकर जो उन्होंने कहा था :

"Food and clothes and houses, roads and hospitals and schools are all good things, but they are such obvious expansions in degree of the necessary but humdrum, details of every day life that it is difficult for them to assume that air of holiness which an ideal must possess."

खाना, कपड़ा, मकान, सड़कें, अस्पताल, स्कूल अच्छी चीजें हैं, लेकिन यह आज कल की जिन्दगी में उनको हम ऐसी पवित्रता नहीं दे सकते, जो कि इस आदर्श को हम दे सकें।

अब इससे अच्छी आलोचना क्या इस सरकार की हो सकती है कि स्वयं इस प्रान्त का मुख्य मन्त्री ऐसा कहें। तो इससे सुन्दर आलोचना क्या हो सकती है और इससे सुन्दर बल हमारे भाषणों और तर्कों को क्या मिल सकता है ?

श्रीमन्, माननीय परिपूर्णानन्द जी ने आंकड़े पढ़ दिये, कि हमारे प्रान्त में इतना रुपया बढ़ गया। लेकिन उन्होंने आबादी बढ़ने के आंकड़े नहीं दिये कि आबादी कितनी बढ़ी है। और फिर माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जी ने हमारे भाषणों को तो बहुत दोहराया। अगर वह अपने भाषण पर स्वयं गौर करें, तो जो बजट के मौके पर दिया था, उन्होंने कहा था कि अर्बन एरिया में इन्कम बढ़ रही है, और देहातों में इन्कम घट रही है, इससे सबक मन्त्री जी को लेना चाहिए। तो इसलिए अब उनके उस भाषण का उत्तर देना तो मैं समझता हूं कि परिकल्पना होगी।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जहां तक अन्य सुझावों का सम्बन्ध है, मैं माननीय केशवगुप्त जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे सुझावों को बल दिया और बताया कि बेकारी दूर करने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं।

माननीय बसन्त लाल जी ने समझने में अतिशयोक्ति की। उन्होंने समझा कि कलेक्टर की रेवेन्यू ड्यूटीज खत्म हो जाय, ऐसा हमारा मंशा है, या इसी प्रकार की कोई बात हमने समझी। हमारा कहना तो यह था कि कलेक्टर की अब आवश्यकता इस माने में नहीं रह गई है क्योंकि जिस प्रकार के अधिकार आज कलेक्टर को दिये हुये हैं यह किसी भी प्रजातांत्रिक मुल्क में नहीं मिलते। कलेक्टर की जुडिशल पावर्स हम कह रहे हैं कि अलग होना चाहिये, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अलग रहनी चाहिये, पुलिस पावर्स सुपरिंटेंडेंट पुलिस के हाथ में हैं तो कलेक्टर जब डेवलपमेंट के लिये रखा जाता है तो उसका नाम कलेक्टर न रखकर चीफ डेवलपमेंट आफिसर रख दिया जाय और उसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी रखी जाय। इस संबंध में लगातार दो दिन तक प्लानिंग कमीशन पन्ना सेमिनार में विचार करता रहा कि एक्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या संबंध होना चाहिये ? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि चीफ सेक्रेटी से लेकर पटवारी तक प्लानिंग और एक्जीक्यूटिव को बिलकुल अलग करें। चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर न हो, आपके कलेक्टर प्लानिंग के लिये जिम्मेदार न हों और एक्जीक्यूटिव एथारिटीज जो हों वह प्लानिंग के लिये जिम्मेदार न हों, वह अलग से हो। लेकिन मिलाते हैं तो आपको सारे स्तरों पर मिलाना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर कि माननीय मंत्री जी को अवश्य ध्यान देना चाहिये। और साथ ही साथ एक बात और कही गई कि हम लोग श्रमदान को बेगार के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कैसे यह बात कही गई। वह पार्टी जिसने कि पहले से देशभक्ति का नारा लगाया हो, वह कभी यह नहीं कह सकती कि श्रमदान सिद्धांत के रूप में बेगार है। लेकिन यह बात स्वयं माननीय मंत्री जी मानेंगे कि इस बात के भी साक्षी हैं कि कई जगह ऐसे प्रयत्न हुये हैं कि जहां पर जनता को समझाने की कोशिश तो नहीं की गई, एक सरकारी आर्डर के जरिये यह कह दिया गया कि तुम्हें उस दिन वहां आना है। जिस जगह वहां के अधिकारियों ने श्रमदान किया है, वह उन्होंने बेगार के रूप में कर दिया। तो हम तो इस तरह के बेगार के खिलाफ है। श्रमदान के सिद्धांत के खिलाफ हम कैसे हो सकते हैं ? तो इसलिए श्रमदान किस प्रकार सफल हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, यह एक बुनियादी प्रश्न था जिसकी ओर हमने ध्यान आकर्षित किया। समय कम है। मैं तो माननीय मंत्री जी से इतना ही कहूंगा कि आज जैसा कि राजनारायण जी ने कहा, वह एक कसौटी पर है, और न केवल वही कसौटी पर है बल्कि सारा मंत्रिमंडल कसौटी पर है कि उनके व्यावहारिक प्रदर्शन और सैद्धांतिक प्रदर्शन में मेल कहां तक होता है। उनको यह ध्यान रखना चाहिये कि आज जब वह प्लानिंग की बात कहते हैं, तो वह केवल प्रदेश का नियोजन नहीं होता, प्रदेश के साढे छः करोड़ नागरिक के बजट का भी नियोजन है, उनके जीवन का भी नियोजन है, और जब तक इतने बड़े महान प्रयत्न के लिये वह सचेष्ट नहीं होंगे तब तक वह एक जनवादि नियोजन पद्धति को पूर्ण नहीं कर सकते। बहुत से सदस्यों ने कहा, माननीय परपूर्णानन्द जी ने भी कहा कि बगैर एक्सपर्टस के प्लानिंग हो ही नहीं सकती। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि एक्सपर्टस की प्लानिंग हमेशा पीपुल्स प्लानिंग नहीं हो सकती क्योंकि एक्सपर्टस को यह मालूम नहीं होता कि किस जगह क्या स्थित है, क्या होना चाहिये सिद्धांत तो वह रख सकते हैं लेकिन हर जगह की क्या स्थिति है, वह यह नहीं जान सकते, जो पीपुल्स प्लान होगा उसमें जनता को ही स्थानीय डीटेल्स की बातें बतानी होंगी और उन्हीं के जरिये पीपुल्स प्लान बन सकता है। लेकिन द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इसके लिये कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी को विश्वास न हो

तो वह जवाहरलाल जी का वह भाषण देखलें जो कि उन्होंने मछली शहर में दिया था। उसमें उन्होंने यह माना कि जब तक पंचायतों से हम राय लेकर योजना नहीं बनायेंगे तब तक यह पीपुल्स प्लान नहीं हो सकता। तो गांवों के मामलों में गांव वाले एक्सपर्ट हैं, और सिद्धांत के मामले में या अर्थ व्यवस्था के मामले में जो चोटी पर के लोग हैं, वह एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो यही हमारी मांग है और यही हमारी प्रार्थना है और इसी कसौटी पर कसते हुये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस सारे नियोजन विभाग का वह पुनःसंघटन करें अन्यथा वह एक बड़े भारी दोष के भागी होंगे कि समय रहते उन्होंने अपने अधिकारों को और अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया।

*नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर इस सदन में जो चर्चा हुई और जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया मैं उनका बहुत आभारी हूं। आज की इस बहस के फलस्वरूप चाहे उस बहस में सुझाव रहे हों और चाहे आलोचना रही हो, हमारे मुहकमे के काम में काफी लाभ होगा।

अभी नारायणदत्त जी ने कहा कि यह मंत्रिमंडल कसौटी पर है। तो मैं नहीं कह सकता कि कौन-कौन कसौटी पर हैं, परन्तु कम से कम अपने लिये मैं कहता हूं कि मैं जरूर कसौटी पर हूं। और हर व्यक्ति को जिस को देश में कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, चाहे वह मंत्रिमंडल में है और चाहे मंत्रिमंडल के बाहर है और चाहे मुखालिफ बेंचों पर है, अपने आपको कसौटी पर समझना चाहिये। तो इस दृष्टि में समय थोड़ा होते हुये सब बातों का तो जवाब नहीं दे सकूंगा और जवाब देने की बात भी नहीं है, मगर दो तीन चार जो मौलिक बातें उठायी गयी हैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं। इस अनुदान पर एक तो क्या आर्गेनाइजेशन हो, इसकी चर्चा हुई। इस बात की चर्चा हुई कि खर्चा कम हो रहा है; एक इस बात की चर्चा हुई कि लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ कठिनाइयां हैं, और तीसरी मौलिक बात अगली पंचसाला योजना के मुताल्लिक हुई। मैं आर्गेनाइजेशन के संबंध में इतना निवेदन किये देता हूं कि यह बड़ी कठिन समस्या है। इन पिछले दो सालों में मैंने और मेरे साथियों ने कई मर्तबा आगे कदम बढ़ाया और कई मर्तबा सोच-सोच कर फिर बदला उस रास्ते को। तो न तो इतना आसान है कि यह तय कर दिया जाय कि सारे लेविल्स पर पूलिंग हो जाय। अगर सारे लेविल्स पर पूलिंग हो जाय तो फिर जो लेखपाल है वह हमारा वी० एल० डब्ल्यू० हो जाय तो उसका क्या होगा, यह सोचने की बात है। अभी निश्चय हमने इस पर नहीं किया है, मगर डिप्टी कलेक्टर से एस० डी० ओ० से पूलिंग करने में हमें थोड़ा डर मालूम होता है, इस कारण से भी कि नीचे के कर्मचारी वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी हैं। अगली पंचसाला योजना के लिये, जैसा कि अभी तिवारी जी ने कहा, सचमुच वैसी ही हिदायत गयी है, गांव सभाओं से मांगा गया है। वह प्लान ब्लाक कम्युनिटी लेविल पर पूरा होगा। उसके बाद फिर जिला प्लानिंग कमेटी में आवेगा और तब यहाँ आवेगा। दूसरा रुख उसका यह भी है कि सब डिपार्टमेंट्स ने अपने-अपने डिपार्टमेंट की भी प्लान बनायी है। तो इन दोनों प्लान को मिलाकर तब एक योजना बनेगी।

यह चर्चा कि खर्चा कम है, ५१ फीसदी खर्चा हुआ है। वह जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है वह मार्च, १९५४ तक की है। मार्च, १९५४ में ५१ फीसदी यू० पी० का खर्चा बताया गया है और जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने सुबह के भाषण में कहा था, वह ५१ प्रतिशत तो १३१ करोड़ रुपये के हिसाब से है। सन् १९५३ तक जो हमारी योजना थी वह ८६ करोड़ तक थी, उस दृष्टि से हमारा खर्चा मार्च, १९५४ तक ६० प्रतिशत हो चुका था। लेकिन ५१ प्रतिशत भी मान लें तो भारतवर्ष में फिर भी दो नम्बर हम हैं। नम्बर एक पर है बाम्बे और नम्बर दो पर हम हैं। मार्च, १९५४ तक, और जिस रिपोर्ट में चर्चा की गयी है उन्होंने यह कहा है कि यह जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फूलसिंह]

५ "ए" स्टेट्स हैं उनका काम बहुत सैटिसफैक्टरी है। तो उस दृष्टि से कोई बहुत कम हमारा कंट्रीव्यूशन नहीं है। पर मैं तो यह चाहता था कि आप उस दृष्टि से देखें कि हमने काम कितना किया, लक्ष्य की प्राप्ति में हम आगे हैं या पीछे हैं; रुपया कितना खर्च किया? यह बड़ा मियार नहीं है। अगर हमने कम खर्चा करके लक्ष्य की प्राप्ति औरों से ज्यादा कर दी है तो और भी ज्यादा मुबारकबादी के हम मुस्तहक हैं। मेरे पास हाल के आंकड़े हैं, उसको जरा आप देखेंगे तो मालूम होगा कि सिंचाई में जितनी 'ए' स्टेट्स हैं उनमें सबमें हमारा उच्च स्थान है। ड्रिंकिंग वाटर वर्कों में, जो नये बने और जो पुरानों को रेनोवेट किया, उनमें हमारा स्थान बहुत आगे है। इस प्रकार से जो काम इस प्रदेश ने प्लानिंग के संबंध में किया है वह ऐसा नहीं है जिसको यह कहा जा सके कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में गिर गये हैं। वाकया यह है कि मार्च, १९५४ से मार्च, १९५५ तक काम बहुत आगे बढ़ा है। यह जो श्रमदान के संबंध में आप सब लोगों को अनुभव होगा कि जिलों में काफी रुपया पड़ा था खर्च होने के लिये, किसी माननीय सदस्य ने चर्चा की वहां इंजीनियर्स और ओवरसियर्स की कमी है। इसका एक कारण तो यह है कि एक तरफ़ इंजीनियर्स और ओवरसियर्स अवेलेबिल नहीं हैं, और दूसरी तरफ उनके न होने के कारण कम्पलीशन सर्टिफिकेट पड़े थे। दूसरी कठिनाई यह थी कि प्रदेश के भिन्न-भिन्न इलाकों में जो सेल्फ हेल्प का कंट्रीब्यूशन करने में समर्थ थी उस दिशा में काफी कर्मचारियों को कम्पलीशन सर्टीफिकेट देने के लिये अथराइज किया गया है। और जहां तक सहायता का रूप है, जैसे पीने के पानी के कुये के लिये खास-खास इलाकों में अब दो तिहाई रुपया दिया जाने लगा है। पहले कायदा यह था कि एक तिहाई सरकार देती थी और दो तिहाई जनता देती थी, लेकिन सरकार की तरफ से आधा कर दिया है और बहुत सी जगह काफी रुपया खर्च किया गया है, और मुझे आज पूरा विश्वास है कि हमारा प्लानिंग भारतवर्ष में एक ऊंचा स्थान रखता होगा।

समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं। श्री राजनारायण जी ने कुछ आंकड़ों की चर्चा की है कि क्रॉप एरिया कितना है और फूड ग्रेन एरिया कितना है? एक किताब मिली है यू० पी० थ्रू फिगर्स। इसमें यह लिखा है कि ५०-५१ में क्राप एरिया ४७६ लाख एकड़ था और वह ५३-५४ में ४८९ लाख एकड़ हो गया। इसी तरह से फूड ग्रेन एरिया ५१-५२ में ४१८ लाख एकड़ था जो ५३-५४ में ४५८ लाख एकड़ हो गया। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि क्राप एरिया कुछ कम हुआ है। घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही है इसलिये मैं श्री राजनारायण जी की दो तीन बातों की चर्चा किये देता हूं।

मुझे खेद है कि जो नोटिस मीटिंग का मिला वह देर में मिला। मैं अपने कर्मचारियों की तरफ से इसके लिये क्षमा चाहता हूं मेम्बरान से, और इस मुहकमे में रोज-रोज हेरफेर करना पड़ता है। आज यह योजना है कल दूसरी है और प्लानिंग विभाग के कर्मचारी इतने ओवर वर्क्ड हैं कि उनसे त्रुटि होने कि संभावना है, बल्कि आश्चर्य होता है कि त्रुटि बहुत कम होती है! तब भी हम अपने कर्मचारियों के साथ इस मामले में काफी सख्ती से व्यवहार करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि सदन के सदस्यों को कम से कम असुविधा हो। जो ब्लाक्स की चर्चा की उसके लिये मुझे खेद है कि उन्हें यहां यह बात कहनी पड़ी। मैंने यह निवेदन किया कि हमारे ब्लाक्स का हेडक्वार्टर कहां हो, इसको प्लानिंग कमेटी तय करे। माननीय राजनारायण जी ने कहा कि एक व्यक्ति तय कर दे ब्लाक्स के हेड क्वार्टर्स के बारे में।

श्री राजनारायण—यह गलत बात है। वहां के चेयरमैन की राय लेकर हेडक्वार्टर तय करें, यह मैंने कहा था।

श्री फूलसिंह—इसलिये मेरा बस नहीं, जब कि माननीय सदस्य किसी मेम्बर पर छोड़ दें और वह तय कर दें तो मैं कैसे बदल सकता हूं? दूसरी बात जो काशी विद्यापीठ के एन० ई० एस० ब्लाक के संबंध में कही गई। मैं तो यह आशा करता था कि विरोधी दल के नेता यह कहेंगे कि इन लोगों ने एक नया कदम उठाया है कि हमारी पार्टी के लोगों को भी

ब्लाक दिया। बजाय इसके यह कहना कि यहां किसी ब्लाक को यह अधिकार नहीं दिया कुछ सही नहीं है। आज तक प्रांत में किसी संस्था को हमने ब्लाक नहीं दिया सिवाय काशी विद्यापीठ को। काशी विद्यापीठ में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन काशी विद्यापीठ को वह सब सुविधा दी जायगी जो हम दूसरों को देते हैं। जो सुविधा और ब्लाक को प्राप्त है वही इस ब्लाक को देने के लिये हम तैयार हैं। जो ब्लाक का कार्य, काम निश्चित है उसके अनुसार सबको सुविधा दी जाती है। इसलिये यह गुंजाइश नहीं होती कि इस ब्लाक को हम कोई सुविधा देंगे या नहीं? जितनी दी जा सकती है वह उनको दी जायगी।

मैं तिवारी जी से भी एक बात निवेदन करना चाहता हूं जो कि उन्होंने वी० एल० डब्लू० के बारे में कहा कि उनकी तादाद बढ़नी चाहिये। मैं समझता हूं कि जितना रुपया खर्च हो रहा है उसके लिये तो यह कहा जाता है कि जितना रुपया खर्च हो रहा है यह सब कर्मचारियों पर ही खर्च हो रहा है। यह तो वही बात है कि पैदल चलूं तो मुश्किल और सवारी पर चलूं तो भी मुश्किल होती है। मैं तो इस बात को हल करने के लिये असमर्थ हूं। हां ट्रेनिंग सेंटर की बात जो कही गयी यह समस्या हमारे सामने है, और सारे स्टाफ को किस तरह से ट्रेनिंग दें इतने कम समय में यह प्रश्न हमारे सामने है। मैं तिवारी जी की इत्तिला के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में ८ लाख रुपये का अनुदान रखा गया है। हमारा अनुमान है कि हम जितने ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत समझते हैं उतने ट्रेनिंग सेंटर खोलकर इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम को चला सकेंगे जिससे हमारे ब्लाक का कार्य सुचारु रूप से चल सके। हमारे १२० एन० ई० एस० ब्लाक खुले हुये हैं उनमें हमने ट्रेंड आदमियों को नियुक्त कर दिया है। हमारे सामने रुपये की कठिनाई नहीं है, हमारी कठिनाई यह है कि ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेंड स्टाफ नहीं है। पिछले साल हमको १,२ ट्रेनिंग सेंटर इसी वजह से बन्द करना पड़े कि जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं कि ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिये वही हमारा भी लक्ष्य है। यदि अच्छे ट्रेंड होकर वहां से लोग न निकलें तो हम फिर पैसे को बेकार समझते हैं। मैं तो यह समझता था कि सदस्य महोदय कुछ चन्द शब्द उसकी प्रशंसा में कहेंगे किन्तु यह चीज नयी है। हमारे सामने समस्या यह है कि जो योजना चल रही है वह जिस रास्ते पर चल रही है उससे उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है या नहीं जो कि हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह सब नयी योजनायें हैं। यही हमारे सामने समस्या है और इस पर हमारा विचार लगा हुआ है

माननीय सदस्य ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में फरमाया कि वहां पर बहुत से अमेरिकन हैं। वहां पर इस समय केवल एक अमेरिकन है और जिस विषय के लिये उसको रखा गया है उस विषय का एक्सपर्ट भारतवर्ष में प्राप्त नहीं था। उसकी नियुक्ति केवल एक साल के लिये की गयी थी। आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि अब क्या किया जाय? वह एक साल समाप्त हो गया। अब यह प्रश्न हमारे सामने है कि उनका जो असिस्टेंट है अगर उसके सिपुर्द वह काम किया जाय क्या वह उसको कर सकता है या नहीं? मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की यह पूरी कोशिश है कि जहां तक हो अपने देशवासी को ट्रेनिंग देकर उसको ट्रेंड करके उसके हाथ से ही यह सब काम करायें। जो काम वहां पर होता है उसमें कोई ब्लाक के खोलने या न खोलने की बात नहीं है, वहां तो उन लोगों के सिपुर्द एक एक्सपेरिमेंट करने का काम है। सरकार उस पर पूरा अपना ध्यान रखती है। वहां पर कोई ऐसी बात नहीं होने जा रही है जिससे हमारे देश के हित में कुछ बाधा पड़ती हो। और मैं आशा करता हूं कि आप इसके काम से संतुष्ट होंगे। ९ महीने की अवधि में जितना काम हुआ है उतना थोड़ा नहीं मालूम पड़ता। ९ महीने की अवधि में एक आध काम ही मुश्किल से हो पाते हैं। जो क्वारे हैं उनको जल्दी बहुत है। मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ सदस्यों ने कुछ बातें कहीं शायद उनको उन बातों का ज्ञान न रहा होगा। हम इस बात की

[श्री फूलसिंह]

कोशिश करते हैं कि सब लोगों की तरफ ध्यान दें, और खासतौर से उन इलाकों की तरफ जिनको मदद की अधिक आवश्यकता है ।

माननीय जयपालसिंह जी ने अपनी कांस्टीटुयेंसी की चर्चा की। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वहां पर ढाई हजार रुपया केवल पानी के लिये दिया गया है और एन० ई० एस० ब्लाक का जो रुपया मिलता है वह अलग है । इसी तरह से जहाँ-जहाँ श्रमदान के कार्य हुये हैं, मैं यह नहीं कहता कि उनमें त्रुटियां नहीं हैं, त्रुटियाँ हैं और माननीय मेम्बरों ने जितनी बतायी हैं उससे अधिक होंगी । लेकिन हमने इस बात की कोशिश की है कि त्रुटियां न हों । जिन जिन गांवों में श्रमदान के काम हुये हैं, उन १५० गांवों में हमने यह प्रयत्न किया है कि वहां पक्के कुयें हो जायं, पक्की गलियां हो जायं, स्कूल पक्के हो जायं, और उनके लिये जितना रुपया रक्खा गया था उससे ७० हजार रुपया अधिक दिया गया । अब मैं नहीं जानता कि और क्या किया जाना चाहिये ? मुझे यह अफसोस नहीं है कि इतना सब कुछ करने पर भी साथियों ने उसको पसंद नहीं किया । मैं यह कोशिश करता हूं कि वे जो जो त्रुटियां बताते हैं वे न रहें । इसके अलावा जो साथी आलोचना करते हैं और बिला वजह करते हैं, मुझे उनका भी बुरा नहीं लगता, लेकिन बेगुनाह, बिला मतलब करते हैं और उसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं । मुझे बिला मतलब की आलोचना भी सिर माथे पर है, क्योंकि इन आलोचनाओं के द्वारा भी हम अपने विभाग को ऊंचा उठाना चाहते हैं ।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने मेरी स्पीच की चर्चा की । गालिबन वे उस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। उसके अध्यक्ष माननीय गुप्ता जी थे, उन्होंने ही कोई स्पीच दी होगी, मैंने स्पीच नहीं दी । इसलिये मेरे नाम से जो कमेंट उन्होंने किया वह निरर्थक है, लेकिन फिर भी मैं वहां बैठकर अपनी त्रुटियों को बड़ी से बड़ी होकर देखना चाहता हूं ताकि हमारे साथी अच्छे पैमाने पर पास हो सकें । इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि इन ४ सालों में इस मुहकमे ने देश की सेवा की है । और ज्यों-ज्यों यह मुहकमा बढ़ता जाता त्यों-त्यों उसके ऊपर बोझा बढ़ता जाता है और तमाम देश के सहयोग और सहानुभूति के बिना उस कठिन कार्य में कामयाबी मिल सकना कठिन मालूम होता है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों का यही प्रेम और यही भावना हमारे प्रति सदा बनी रहेगी ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४२ के अधीन एक रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--योजना और एकीकरण (लेखा शीर्षक ६३-क-युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३-ख-सामुदायिक राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य-विकास योजनायें) के अन्तर्गत ५,८२,७५,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल)

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५५ वितरित किया जाय ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५५ के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) उपस्थित करने की अनुमति दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ ठहर कर)

जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल पर विचार किया जाय ।

इस बिल में वह सब रूपया जो इस बजट के अनुदानों में रखा गया था, और जिस पर बहुत तफसील से इस ऐरुन में बहस हो चुकी है वह सब रूपया इसमें रखा गया है, इस गरज से कि इस सदन की इजाजत ली जाय कि यह रुपया गवर्नमेंट कंसोलिडेशन फंड से लेकर खर्च कर सके । तो इसके अलावा और किसी बात को कहे बगैर, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि यह इस विचार से यहां रखा गया है कि इसको मंजूर किया जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार तो एप्रोप्रिएशन बिल ५ बजे तक समाप्त हो जाना चाहिये, लेकिन मेरा यह प्रस्ताव है कि इस पर तब तक बहस जारी रहे जब तक कि यह पारित न हो जाय, लेकिन वह सीमा सवा ६ बजे से अधिक न होगी । इस सम्बन्ध में मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से भी परामर्श किया है ।

श्री अध्यक्ष--ग्रांट्स ५ बजे समाप्त होने पर यह हो सकता है कि बिल बाद में लिया जाय । इसके लिये ५ बजे के बाद भी समय तो लिया ही जाता है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जो व्यवस्था आप करें ठीक है, लेकिन मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि सीमा जो हो वह सवा ६ बजे से अधिक न हो, पहले अगर जल्दी से जल्दी पारित हो जाय तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं इसमें किसी को आपत्ति तो है नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि यह बिल जो मैंने यहां पेश किया है इसको ७ बजे कौंसिल के टेबिल पर ले ही जाना है, तो उसके लिहाज से जितना वक्त यहां लिया जा सकता है ....

श्री अध्यक्ष--वे सवा ६ बजे तक कह रहे हैं, उसमें आपका काम हो जायगा कि नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो बोलने वालों के अख्तियार में है, मेरे अख्तियार में तो है नहीं । मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करता हूं कि इसको वक्त तक पास कर दिया जाय । और ७ बजे इसे कौंसिल की टेबिल पर जाना है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सवा ६ बजे तक का समय ठीक है । आपको विधेयक को दूसरे सदन में ले जाने में तो बहुत थोड़ा सा समय लगेगा, और हमारे दफ्तर को भी उसमें कुछ कार्यवाही करना पड़ेगी इस सदन से पास होने के बाद । इसलिए सवा ६ बजे तक का समय मुनासिब है ।

मैं इस सम्बन्ध में इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वैसे तो प्रथा यही रही है कि एप्रोप्रिएशन बिल जब यहां उपस्थित हो तो उसके ऊपर कोई विशेष वाद विवाद न हो और वह शायद १५,२० मिनट में ही पास होता रहा है । नियम में यह दिया हुआ है कि इस बिल को भी अन्य बिलों की तरह उपस्थित किया जा सकता है । प्रथा आमतौर से यह पाई जाती है कि चूंकि बजट के सम्बन्ध में चर्चा करने का ३ बार मौका मिल जाता है, जनरल डिस्कशन के समय, कटमोशन्स के समय और उसके बाद इतना वाद विवाद हो जाने के बाद, इसके लिये बाद में तीसरी बार और अधिक समय क्यों लिया जाय ? इसलिये यह प्रथा ऐसी पड़ गई, लेकिन नियम तथा प्रथा इन दोनो का समन्वय भी हो सकता है । जब बिल के स्वरूप में यह आए तब आप खर्च की सम्मति देते हैं, तो थोड़ा बहुत मौका सदन के कुछ सदस्यों को मिलना

[श्री अध्यक्ष]

चाहिये कि इस अवसर पर विवाद कर सकें। मैं समझता हूं कि इस तरह का रिवाज या प्रथा हम डाल लें कि पबलिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन व एस्टीमेट्स कमेटी के चैयरमैन को कुछ अधिक समय दिया जाय क्योंकि वह खर्च के सम्बन्ध में सब पहिले से तरीके देखे हुए होते हैं, वह अपनी समितियों की रिपोर्टस् भी तैयार कराते हैं। इस तरह से उनके द्वारा उस पर बहुत गम्भीरता से और जिम्मेदारी से विचार हो सकता है। पर यह न होना चाहिए कि आम बिलों की तरह इसपर भी एक लम्बा विचार और विवाद होने लगे। इन सब बातों और दृष्टि कोणों का समन्वय करके मैं उक्त दोंनो समिति के अध्यक्षों को तो कुछ अधिक समय दूंगा और अगर गुंजाइश सवा ६ बजे के अन्दर हुई तो एक दो सदस्य और भी शायद बोल सकें। कुछ समय आखिर में माननीय वित्त मंत्री जी भी उत्तर देने के लिए लेगें, इस लिये मैं यही चाहता हूं कि इससे अधिक माननीय सदस्य इस पर बोलने की कृपा न करें, और इस तरह से जैसा मैंने कहा मैं तीन चार सदस्यों को ही बोलने की इजाजत दूंगा। पहले मैं श्री मदनमोहन जी से जानना चाहूंगा कि वह कितना समय लेना चाहते हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मुझे ४५ मिनट दे दिए जायं।

श्री अध्यक्ष--इतना तो ज्यादा होगा लेकिन आधा घंटा मैं आपको दे दूंगा क्योंकि आपके बाद चेयरमेन एस्टीमेट कमेटी को भी बोलना है, और भी एक दो सदस्य बोल सकेगें, इसलिए आधा घंटा सिर्फ आप ले लें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--ठीक है, लेकिन कुछ कहने को रह जाय तो थोड़ा सा समय आप और देने की कृपा आखिर में कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एप्रोप्रिएशन बिल अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सम्मुख रखा है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो अनुदान सदन के सामने रखे गये उन पर काफी बहस हो चुकी है लेकिन कंसालिडेटेड फंड से जो रूपया निकाल कर प्रदेश में खर्च करने की अनुमति मांगी जा रही है उस पर मुझे आपत्ति है और वह इसलिए है कि बहुत सी ऐसी फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज हो जाती हैं जिनको हमें दूर करना है। इससे पहले कि मैं उनकी ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करूं सभी माननीय सदस्यों को चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और जब सदन से रुपया पास हो जाता है और खर्च करने का अधिकार मिल जाता है तो फिर हमें यह देखना होता है कि जो रुपया यहां से मंजूर हुआ वह ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं। मैं इस बजट के बारे में भी कुछ ऐसी बात आज करना चाहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि इसका असर हमारे प्रदेश के बजट पर क्या पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं और वह कुछ सफाई करने की कृपा करें। यह जो बजट हमारे सामने है वह डेफिसिट बजट है और ५ करोड़ ५० लाख का डेफिसिट बजट दिखाया गया है, मैं यह दिखाने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कि मैं उसमें गलत हो सकता हूं। यह डेफिसिट बजट नहीं है। यह एक आर्टिफिशली डेफिसिट बजट तैयार किया गया है और यह फायनेंस डिपार्टमेंट की जगलरी है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का ध्यान इर्रीगेशन रेट्स की ओर ले जाना चाहता हूं। सन् १९५२ में यह फैसला हुआ था कि जो इर्रीगेशन रेट्स में एक्सेस होंगें, जो आमदनी होगी वह सब रूपया डेवलपमेंट फंड में जमा कर देगें। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि :--

"On the other hand the net irrigation receipts were lower by 236 laks because in the original budget the increase on account of extra receipts from the revision of irrigation rates for one full year was taken into account while the extra receipts were realised only in receipts of kharif dues."

उनका कहना यह है कि १९५३ में हमारे इर्रीगेशन रेट्स बहुत कम वसूल हुए। तो जब १९५३ में कोई एक्सेस इनकम इर्रीगेशन रेट्स से नहीं मिली थी जब उन्होंने २ करोड़ ३० लाख रुपये डेवलपमेंट फंड में जमा कर दिये। इसी प्रकार उन्होंने १९५४ में अपनी बजट स्पीच में कहा था कि कुछ इरीगेशन रेट्स में एक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी २ करोड़ ७३ लाख ४० हजार रुपये डेवलपमेंट फंड में डाल दिये। इसी प्रकार इस साल भी जब उनके पास एक्सेस रेट्स के आने की उम्मीद नहीं है तब उसके न होते हुए भी २ करोड़ ८२ लाख रुपये डेवलपमेंट फंड में डाल दिये हैं। मुझे खुशी है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी आ गये हैं, वह भी जरा इसकी सफाई कर दें क्योंकि वह तो फीगर्स को जबानी कहते हैं, लेकिन मुझे तो इतने याद रहते नहीं हैं। तो जैसा मैंने कहा यह २ करोड़ ८२ लाख रुपये डालकर आर्टिफिशल डेफिसिट बजट क्रियेट किया गया, क्योंकि इर्रीगेशन रेट्स के लिये जो रुपया खर्च होता है वह कैपिटल आउटले से खर्च होता है। तो खर्चा तो ले लिया कैपिटल आउटले से और जो आमदनी होगी वह सारी की सारी डाल दी डेवलपमेंट फंड में? हो सकता है यह मेरी गलती हो और इसके लिये माननीय मंत्री जी जरा इसकी सफाई कर दें।

दूसरी बात सीमेंट फैक्टरी की है। जो हमारी मिर्जापुर की सीमेंट फैक्टरी है उसमें २० लाख का रेविन्यूज के अन्दर राइट डाउन कर दिया है। तो २० लाख की वह कमी कर दी और इस प्रकार से एक आर्टिफिशल डेफिसिट क्रियेट कर दिया है। उसके अलावा जब मैं मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी के बारे में पढ़ता हूं तो ३८ लाख रुपया रेलवे फ्रेट में रखा गया है। एक साल के अन्दर मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी में ३८ लाख रुपये रेलवे फ्रेट क्या हो सकता है, लेकिन ज्यादा खर्च रख दिया है। इसी तरह से पैकिंग के लिये, बोरे वगैरह के लिये १६ लाख रुपये रखे गये हैं। इसी तरह से करीब ४० और ५० लाख रुपये के करीब जो इस साल नहीं होने वाला है, उसको भी रख कर आर्टिफिशल बजट क्रियेट करने की कोशिश की गई है। फिर इसके अलावा एक ग्रांट और है। २० लाख रुपया वहां मिसलेनियस ग्रांट के लिये रखा है। बजट वाल्यूम के पेज ११४ पर उन्होंने लिखा है 'डाइरेक्ट ग्रांट टु नान गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स और ग्रांट्स टु लोकल बाडीज'। और प्राइमरी ऐजूकेशन के लिये उन्होंने रुपया रखा है ४ लाख १७ हजार रुपये। फिर ग्रांट्स नम्बर ३३ पर फिर २० लाख रुपया रखा है जो किसी साल खर्च नहीं हुआ। ५३ में २० लाख रुपया रखा गया है वह भी खर्च नहीं हुआ। लेकिन फिर भी रखा गया, तो इस तरह से इस बात की कोशिश की गई कि आर्टिफिशल बजट क्रियेट किया जाय और साल के अन्त में यह कोशिश की जायगी कि इस डेफिसिट को सरप्लस में टर्न किया जाय। मुझे खुशी होती अगर जगलरी करके फाइनेंस डिपार्टमेंट इतना रुपया बचा सकता लेकिन बड़े घमंड के साथ माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह डेफिसिट बजट है, लेकिन फिर भी हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसमें टैक्सेशन की बात है वह न कहें और अगर उन्होंने इस तरफ से आर्टिफिशल बजट क्रियेट कर लिया तो इसमें कौन सी तारीफ की बात हो गई? इसके लिये उन्होंने यह भी कहा कि डेफिसिट बजट है इसमें इकनामी की जाय। ठीक है, इकनामी अवश्य होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आज जरूर मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में एक हाई पावर एकनामी कमेटी बैठाने की बात की है और यह कमेटी तमाम विभागों में किस तरह से इकनामी की जा सकती है विदाउट ऐफेक्टिंग दि एफीशियेंसी। यह बड़ी खुशी की बात है और इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना अवश्य करूंगा कि यह रुपया जब पास होता है तो समय से खर्च हो जाय, यह नहीं कि जब मार्च का महीना आवे तो रुपया खर्च नहीं हो पावे और उसको खर्च करने के लिये तब रश किया जाता है, और उस वक्त सारे रुपये को खर्च करने के लिये कहा जाता है चाहे उसकी सैंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट से न भी आये, लेकिन खर्च करने की ओर रश किया जाता है। फायनल सैंक्शन नहीं आई तो एक छोटी सी बात के लिये फायनेन्स डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। तो मैं यह चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आज इस एप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद १५ दिन

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

के अन्दर जितने डिपार्टमेंट्स का यह रुपया मंजूर किया है डिपार्टमेंट्स के पास उसका खाका पहुंच जाना चाहिये, और डिपार्टमेंट्स को अधिकार होना चाहिये कि उन्होंने जो भी स्कीम्स बनाई हैं उस पर खर्च करना शुरू कर दें। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस, टेक्निकल सैंक्शंन दुनिया भर की फार्मेलिटीज चलती हैं उन्हें खत्म करना चाहिये। अफसोस इस बात का है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने जब डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं तो वे फाइनेंस डिपार्टमेंट से डरते हैं क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हमारे साथ बैठे रहते हैं, उन्होंने जरा भी शिकायत उनके खिलाफ की तो वे आंखे दिखाना शुरू कर देतें हैं कि फिर तुम्हारा पाला पड़ेगा ही और तुम्हारा बजट पास होना मुश्किल हो जायगा क्योंकि सैंक्शन हमें ही करना है। लिहाजा जो पुराने मैनुअल्स हैं फानेन्शियल हैंडबुक हैं, कूड़ा कवाड़ डालने लायक हैं। उनकी जरूरत ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में होती थी, लेकिन वेलफेयर स्टेट के अन्दर इनकी जरूरत नहीं है। नई मैनुअल्स या फाइनेन्शिअल्स हैंडबुक बननी चाहिये। इसलिये भी एक कमेटी माननीय मंत्री जी ने बना रक्खी है। मुझे आशा है कि वह इस पर सुझाव देगी।

शेड्यूल आंफ न्यु डिमांड्स की एक सबसे बड़ी दिक्कत है। जुलाई के महीने में शेड्यूल आफ न्यु डिमांड्स अगले साल के लिये लाइये। ऐसा आदेश, अगर किसी डिपार्टमेंट को टाइपराइटर खरीदना है और आज जरूरत पड़ गई कि और टाइपराइटर किसी डिमांड में नहीं है तो शेडयूल आफ न्यु डिमांड्स में न होने की वजह से वह टाइपराइटर नहीं खरीद सकता। सारा काम उस डिपार्टमेंट का रुक जाता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह शेड्यूल आफ न्यु डिमांड्स की जो बड़ी भारी कैद है इसे थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चाहिये। छोटी मोटी चीजों के लिये शेड्यूल आफ न्यु डिमांड्स का होना जरूरी न समझा जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट के मातहत स्कीम्स होती हैं। जब फायनेंस कमेटी से वे पास होती हैं और फायनेंस कमेटी ने उसके डिटेल्स को देख लिया है और विचार कर लिया है, तो फिर कौन सा कारण है कि वे फायनल एप्रूवल के लिये फायनेंस डिपार्टमेंट के पास जाती हैं ? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर यदि इलेक्ट्रिसिटी पर कोई लम्बी चौड़ी स्कीम बनाता है और वह उसके लिये रुपया चाहता है, और उसके लिये उसे सैंक्शन मिलनी चाहिये लेकिन उसके लिये वह स्कीम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है और वहां एक साधारण क्लर्क उस स्कीम को खत्म कर देता है कि इसमें यह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता इस तरह की सैकड़ों बातें वह लगा देता है। तो इस तरह से मेरा कहना यह है कि जब तक इसमें कोई सब्स्टंशियल चेंज न हो, जब कोई स्कीम किसी डिपार्टमेंट से आती है तो फिर उसे दूसरी मर्तबा फायनेन्स डिपार्टमेंट के पास भेजना टैक्निकल फार्मेलिटीज के लिये, यह ठीक नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी मिसालें देखी हैं कि २८ मार्च को एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन फायनेन्स डिपार्टमेंट देता है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट से जी० ओ० जाता है कि रुपया खर्च कर लो, और ३१ तारीख तक रुपया खर्च होना है जब कि किसी भी हालत में ३१ तारीख तक कागज ही नहीं पहुंच पाता है और जितना रुपया खर्च होने को होता है वह लैप्स हो जाता है। इसलिये प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर काफी ध्यान देने की कृपा करेंगे।

एक चीज सेविंग्स और एक्सेसेज की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो रुपया हम सैंक्शन कर देते हैं उसमें से रुपया बच जाता है उसे भी बहुत भारी फायनेन्शियल इर्रेगुलेरिटी समझा जाता है कि इतना रुपया क्यों बचा, खर्च क्यों नहीं किया, तुम्हारी बजटिंग ठीक नही थी। लेटेस्ट एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट यह है कि १९ केसेज एक्सेसेज के हुए हैं और १७ केसेज सेविंग्स के हुए हैं। और सेविंग्स किस में होती ह ? सरकारी अफसरों के खर्च में अगर सेविंग्स होती, अगर उनके टी० ए० में बचत होती, उनकी तनख्वाहों का रुपया बचता, तो हम लोग उसको पसन्द करते, लेकिन सरकारी अफसरों की तनख्वाहें तो पहली तारीख को ही मिल जाती है और सेविंग्स होती है तकावी में, डेवलपमेंट में, पी० डब्ल्यू० डी० में, ईर्रीगेशन में, जितने हमारे डेवलपिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सेविंग्स होती है। यह बुरा है। इस लिये

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कि डिपार्टमेंटों को इस बात की हिदायत दी जाय कि वे इस बात की कोशिश करें कि जो यह सोचा जाता है कि हमारी सेविंग्स हो जाय और जो डेफिसिट हैं वह पूरा हो जाय और बहादुरी में हमारा नाम हो जाय, इस बात को रोका जाय और हमारी सेविंग्स किसी भी तरह डेवलपमेंट के काम में न होनी चाहिये ।

अब रही एक्सेस की बात । एक्सेस जो हुआ है एप्रोप्रिएशन एकाउन्टस में उसका कोई जवाब गवर्नमेंट के पास नहीं है । हमारे ट्रांन्सपोर्ट कमिश्नर साहब एक साल में ३८ लाख रुपये के स्पेयर पार्टस् खरीद लेते हैं । कोई पूछने वाला नहीं है आप अन्दाजा लगाइये, अध्यक्ष महोदय, ट्रांन्सपोर्ट कमिश्नर साहब को कोई कहने वाला नहीं है । कानपुर में रोडवेज वर्कशाप का जो इंचार्ज है वह ३८ लाख रुपये के स्पेयर पार्टस् खरीद सकता है जिसकी इत्तला ट्रांन्सपोर्ट कमिश्नर साहब को है और वह इजाजत दे देते हैं लेकिन जिसका बजट में कोई सैंक्शन नहीं है । होता क्या है ? वह स्पेयर पार्टस् सन् ५२ से खरीद रहे हैं और बिना इजाजत के खरीद लिया । और मिलता तो और ज्यादा खरीद लेते और इस रुपये का कोई लेजिस्लेशन नहीं, कोई सैंक्शन नहीं । अब १९५४ में जाकर उसको रेगुलराइज कराया जा रहा है । सन् १९५४ में रख कर इसको लेजिस्लेचर से पास कराया जा रहा है । अगर यह एक्सेस तकावी में होती, डेवलपमेंट मे होती तो कंडोनेबिल होती, उसको कंडोन किया जा सकता था कि देश के रचनात्मक कार्य के लिये यह बात हुई , लेकिन सारे देश में जितने स्पेयर पार्टस् मिल सके वह सब कानपुर में लाकर जमा कर लिये गये, और वह अब काम भी आने वाले नहीं हैं क्योंकि सरकार ने फैसला कर लिया कि बसों में सारे इंजन डिजिल के लगाये जायेंगे । तो इस तरह की जो एक्सेस होती हैं उनके लिये काफी कार्यवाही होनी चाहिये ।

यह भी देखा गया है कि बहुत सी सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स मांग ली जाती है और अनेसेसरी भी मांग लेते हैं और खर्च नहीं करते । १९ ऐसी सप्लीमेंट्री हमारे सामने हैं कि जिनमें सप्लीमेंट्री मांगा गया था वह खर्च नहीं होने पाया । इसलिये मैं समझता हूं कि यह भी एक ऐसी चीज है कि जिस पर सरकार को अपने डिपार्टमेंटों को हिदायत जारी करनी चाहिये ।

अब, अध्यक्ष महोदय, जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, मैंने इंडस्ट्रीज के बजट के वक्त भी यह कहा था कि जितनी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट वाले चला रहे हैं उनमें फायदा नहीं होता है । हैंडी क्रैफ्ट में ही १ लाख ४५ हजार का नुकसान है, जब पूछा जाता है कि यह नुकसान कैसे ? यह तो बिजनेस कंसर्न है, तो कहते हैं कि हम तो डेवलपमेंट करते हैं, प्रोपैगेन्डा करते हैं जहां कि जाकर लोग देखते हैं, हजरतगंज में आते हैं और लोग देखते हैं, और इससे उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम होता है । अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का नाम का सवाल है मैं सबसे पहले आगे हूं, मुझमें प्रांविशियल स्प्रिट कुछ ज्यादा आ गई है, मैं इसको बदनाम होने नहीं देना चाहता, लेकिन इसके लिये रुपया अलग कर दिया जाय लेकिन जितने हमारे इंडस्ट्रियल कंसर्न हैं वह सब बिजनेस लाइन पर ही चलने चाहिये, ताकि हमें मालूम हो सके कि यह बिजनेस लाइन पर चल रहे हैं या नहीं । और उनके ओवर हैड खर्चे के लिये जो ऐडीशनल उन्हें चाहिये, वह जो डेवलपमेंट प्रोपेगेंडा के नाम से लेते हैं आप सेपरेट दे दीजिये और उस पर खर्च करें । और यह खास कर उस समय जब कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का बड़ा भारी झगड़ा चल रहा हो । जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, हमारी मिलें होनी चाहिये, उस समय तो हमको और भी इस बात का खयाल करना होगा कि जिन कन्सर्न को हम चलावें उसको बिजनेस के ऊपर चलावें ।

इसी प्रकार सोडा ऐश का एक कारखाना खोला । ६ महीने के अन्दर ४३ हजार का नुकसान दे डाला, वह फैक्ट्री बन्द कर दी गई । एकाउन्टेंट जनरल ने उसके लिये कहा है कि वह स्कीम ठीक नहीं थी, ट्रान्सपोर्ट का कोई ठीक इन्तजाम नहीं था । लेकिन हमारे इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को एक ख्याल सा आ गया कि सोडा ऐश फैक्ट्री खोल दी जाय, खुल गई । अपने कुछ लोगों को प्रोवाइड करना होगा ६ महीने बाद बन्द कर दी गई । तो इस तरह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बदनाम होने का खतरा रहता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस ओर वे थोड़ा ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कानपुर में रोडवेज का वर्कशाप है। सन् १९४७ से वह चल रहा है। अब तक उसे ७, ८ साल हो चुके हैं चलते, विजनेस भी करता है, बाहर वालों की गाड़ियां बनती हैं, बाडीज बनती हैं। लेकिन अभी तक सरकार के सामने उसका प्रोफार्मा एकाउन्ट नहीं आया। मिर्जापुर के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि फैक्ट्री अभी हाल ही में खुली है उसका प्रोफार्मा एकाउन्ट एकदो साल के बाद आयेगा। लेकिन यह कारखाना तो इतने सालों से चल रहा है, उसका तो प्रोफार्मा एकाउन्ट आना चाहिये ताकि पता चल सके कि वर्कशाप प्राफिट पर रन कर रहा है या लास पर ?

इसके अलावा, श्रीमन्, और भी बातें हैं। जो इस पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश की गई है उसकी और सरकार ध्यान दे। अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है वह हमें पता नहीं लगा। मुझे आशा है कि सरकार बहुत जल्द उस कार्यवाही को रखेगी ताकि हम लोग सदन में विचार कर सकें।

आज प्लानिंग की बड़ी भारी बात हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि वेलफेयर स्टेट के लिये प्लानिंग सब से आवश्यक है, और यहां मैं यह भी कह दूं कि हम अपने देश के विकास के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं और हम अपने प्रदेश के विकास में सहयोग देने के लिये हमेशा तैयार हैं अगर हमसे सहयोग कोई चाहे। लेकिन जैसा राजनारायण जी ने कहा कि आज हमसे सहयोग चाहते ही नहीं हैं। कागजों या लेक्चर में आप कहते हैं कि और सबका सहयोग भी चाहते हैं लेकिन सहयोग सहयोग नहीं होता। मैं नहीं कहता कि हमारे यहां एन० ई० एस० ब्लाक खोल दिया जाय। लेकिन एक तरीका तो हो, मालूम तो हो हमको कि किस बेसिस पर आप प्लान कर रहे हैं ? कुछ नहीं, जहां जैसी मर्जी आयी हो गया। जिसकी पहुंच हो गई उसके यहां खुल गये। माननीय हरगोविन्द पन्त जी के अनुसार कोई जगह नहीं छूटी। हमारे यहां पिथौरागढ़ बिल्कुल छूट गया, और भी कई जगहें हैं, कहां तक बताऊं। अभी नरेन्द्र सिंह जी ने जैसा कहा कि विकास का कोई तरीका नहीं है। इनफ्लूएंस जिसका हो गया तो काम चल गया। इसीलिये हमको विरोध है। कोई प्लान्ड तरीका आपका हो तो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बजट के समय मैंने एक और नई बात पायी और यह समझता था कि कम से कम इस प्रदेश में इस प्रदेश के लोगों की ही किताबें पढ़ी जाती हैं। माननीय परिपूर्णानन्द जी अगर माननीय सम्पूर्णानन्द जी की किताब पढ़ लिये होते तो हमें ज्यादा कुछ मिलता। जब कभी झारखंडे राय खड़े हुए कि चीन और रूस की बात करते हैं तो माननीय परिपूर्णानन्द जी अमेरिका की बात करने लगते हैं। तो हमें बाहर की बातों से क्या लेना देना ? यहां का बजट हमें समझायें आप। माननीय सम्पूर्णानन्द जी के कोटेशन दीजिए, औरों की बात बताइये तो कुछ समझ में भी आये। लेकिन ये आंकड़े और यह किताबें किस लाइब्रेरी में हैं, यही हमें नहीं मालूम। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं कि एक महीने माननीय परिपूर्णानन्द जी के पास बैठ कर सबक सीखूं। पता नहीं कहां से उनको इतने आंकड़े, इतनी किताबें और किताबों के पन्ने तक याद रहते हैं मैं उनकी विद्वता पर कोई शक नहीं कर रहा हूं, मुझे उसमें तनिक भी शक नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं, आंकड़े तो मैं भी दे सकता हूं, और बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी हैं, बड़ी आसानी से मैं भी कह सकता हूं कि फलां किताब के ३१७ पेज पर, फलां के ४२० पेज पर, जिस तरह वह किताबों का सेट बता देते हैं, उस तरह मैं भी बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं अभी तो वित्त मंत्री आपके सामने हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--वह भी हैं, अध्यक्ष महोदय, बगल में हैं। आंकड़ों की बात आ गई, इसलिये कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। वरना वैसे तो आंकड़ों पर बोलने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन मुझे भी कितनी ही किताबों का नाम याद है, उसमें से किसी भी पेज को कह सकता हूं कि फलां पेज देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जब फाइनेंस कमेटी में बैठते हैं तो उस पर उनको विचार करना चाहिये। या तो यह फैसला कर दीजिये कि हर डिपार्टमेंट को कुछ रुपया पांच करोड़, दस करोड़ दे दीजिए, एजुकेशन को दस करोड़ दे दीजिए, पुलिस को दस करोड़ दे दीजिए, इर्रीगेशन को दस करोड़ दे दीजिये उनके डिपार्टमेंट पर विश्वास करिये, वह चाहे जैसे खर्च करें। अगर ऐसा हो जाय तो मैं जानता हूं फाइनेंस डिपार्टमेंट का सारा दफ्तर बन्द हो जायगा। वहां केवल चार क्लर्क से काम चल सकता है। फिर तो वह वही देखेंगे कि ग्रेड आंफ पे क्या है, ग्रेड आफ पे ठीक मिल रहा है या नहीं ? लेकिन मैं यह जानता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसा होने देने को नहीं है। यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यह मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट न हो, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी न हो तो यह डिपार्टमेंट वाले वह अंधाधुन्धी करें कि एकाउन्टेंट जनरल की जो रिपोर्ट आये वह सारी भरी हुई हो उनकी शिकायतों से।

एक सदस्य--आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं जो कहना चाहता हूं उसे सुनिये। अध्यक्ष महोदय, इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के नाम पर यहां एक डिपार्टमेंट चलता है। ४० लाख का बजट उसमें मांगा गया, और चालीस लाख में आप देख लीजिये ३० लाख कंटिजेंसी है। आखिर किस लिए ? इतने वर्षों से आप इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट चला रहे हैं। आपको यह पता नहीं है कि आपकी दावतों में कितना खर्च होता है, आपके रेडियोज में कितना खर्च होता है, सिनेमा दिखलाने में कितना खर्च होता है, लाउड स्पीकर में कितना खर्च होता है ? तो आखिर यह ३० लाख रुपया किसी डिपार्टमेंट में कंटिजेंसी के लिए रखना यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। इसका नतीजा क्या होता है कि हमारे जो एकाउटेंट जनरल या आडीटर जनरल होते हैं, वह आडिट कर ही नहीं सकते। जहां चाहे रुपया खर्च कर दिया, कोई रसीद नहीं, कोई कागज नहीं, क्योंकि कंटिजेंसी है, जिसमें चाहें खर्च कर सकते हैं। तो यह चीज बन्द होनी चाहिए। कंटिजेंसी कम रखनी चाहिए और वह रेगुलराइज होनी चाहिये। एक बात मैं, अध्यक्ष महोदय, और कहूंगा उसे भूल न जाऊं, इसलिये पहले उसे ही कहता हूं। इस प्रदेश की प्लानिंग तब हो सकेगी, जब कि इस प्रदेश के हम सब मिल कर यहां के अपने जो विरोधी दल के नेता हैं माननीय राजनारायण जी, उनको एक बार सिनेमा दिखा दें। उन्होंने आज तक कोई सिनेमा नहीं देखा है। सिनेमा टाकीज का नाम तक नहीं जानते। उनको अगर माननीय मंत्री जी एक बार सिनेमा दिखा दें तो बहुत जल्दी सारा विकास कार्य पूरा हो जायगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक दिन वह और हम सब लोग उन्हें पकड़ कर सिनेमा लेजाकर दिखला दें ताकि तसल्ली हो जाय कि उन्होंने भी सिनेमा देख लिया। एक बात और है। कभी-कभी बीच-बीच में भाषणों के दौरान में कटुता भी पैदा हो जाती है। उधर के भाई यह समझते हैं कि हम जो विरोध करते हैं तो इसलिये करते हैं कि किसी के ऊपर आक्षेप करें। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि हमारा यह मंशा कभी नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे ताल्लुकात में इस बहस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों में कुछ डीसेन्सी होनी चाहिये। अभी हाल ही में एक दिन बहस चल रही थी ट्रांसपोर्ट के बिल के ऊपर। उसमें माननीय राजनारायण जी के मुंह से शायद यह निकल गया था कि क्या आपके ऊपर कोई दावत का असर पड़ गया जो आज आप दो सौ रख रहे हैं,

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

और उस दिन जब मदनमोहन उपाध्याय ने कहा था तो नहीं रखा। उससे चरणसिंह जी को कुछ फील हुआ, और चूंकि दावत देने वाला मैं था तो मुझे भी कुछ फीलिंग हुई, मैंने उसे अपनी इन्सल्ट समझा और इसका मुझे दुःख है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैंने घूस दी। अध्यक्ष महोदय, मैं न तो घूस देता हूं और न लेता हूं। मैंने राजनारायण जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि कभी मेरा यह मन्शा नहीं था, मेरी इच्छा नहीं थी इस बात को कहने की और वह खुद कभी इस बात को कह देने वाले हैं। तो मैं मंत्री जी से यह जरूर कहूंगा कि हमने विरोध किया हो, हमने भाषण दिये हों, लेकिन उनसे हमारे परसनल ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ना चाहिये। मेरी तो दावत बन्द हो जायगी श्रीमन्। मुझे तो कभी दावत में बुलाने के नहीं हैं, अगर यह मामला हो गया और न मैं बुला सकूंगा। इसलिये हमारे जो रिलेशंस हैं उनमें कमी नहीं आनी चाहिये। और मैं हर डिपार्टमेंट पर वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि वह जरूर कंट्रोल रखें और जो रुपया हमने पास किया है उसे खर्च किया जाय जिससे प्रदेश का डेवलपमेंट हो, विकास हो। अपनी तनख्वाहों में अगर रुपया कम खर्च करें तो हमारे देश की भलाई हो सकती है। इस शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—श्रीमन्, इस वर्ष का बजट पास हो गया और अब हमारे सामने अपोप्रिएशन बिल है। जितनी भी ग्राँट्स थी और उनमें जितने भी आइटम्स थे उन सभी को भवन ने पास कर दिया, और अब सरकार इस भवन से यह अधिकार चाहती है कि उसको कंसालिडेटरी फंड में से रुपया खर्च करने की आज्ञा दी जाय। श्रीमन्, मैं यह यह कहना चाहता हूं कि किसी भी बजट के लिए अच्छा होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके जो एस्टीमेट्स हों वह बहुत ही साइंटिफिक्स हों। इसके मानी यह हैं कि हम अपने एस्टीमेट्स को इस तरह से बनाएं कि उनमें न इस बात की गुंजायश हो कि ज्यादा सेविंग हो सके और न इस बात की गुंजायश हो कि उसके अन्दर सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स लानी पड़ें। हमारा अनुभव है कि हमारा जो तरीका एस्टीमेट्स बनाने का है उसके सम्बन्ध में या तो हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं वह ज्यादा संजीदगी से काम नहीं लेते, मैं तो समझता हूं कि हमारा तरीका ज्यादा ठीक नहीं है। हम जो एस्टीमेट्स बनाते हैं उसमें मुझको ऐसा लगता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स से जो एस्टीमेट्स आते हैं उनमें आपस में एक किस्म की होड़ होती है कि किसका एस्टीमेट ज्यादा हो। खैर, इसकी भी कोई बात नहीं, होड़ तो होती है, लेकिन उसका नतीजा यह होता है आमतौर से कि हम देखते हैं कि बहुत से मुहकमों में पैसा बच जाता है और बहुत से मुहकमों में पैसे की कमी हो जाती है। पैसा बचाया जाय, यह अच्छा है चाहे फाइनेंशल डिफिकल्टी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस योजना के लिये वह पैसा मांगा गया है वह योजना मुकम्मिल हो जाय, कम्पलीट हो जाय तो कोई बात नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि या तो उसके ऊपर काम नहीं होता है या अगर काम होता है तो अधूरा हो पाता है, उसके अन्दर स्पीड नहीं हो पाती। श्रीमन्, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सारदा का प्रोजेक्ट है, इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, कैनाल्स की हैं, ट्यूबवेल्स की हैं, रोड्स एण्ड बिल्डिंग्स की हैं, जिसके एस्टीमेट्स लाखों में नहीं, करोड़ों में आते हैं। हम यह चाहते हैं कि आमतौर से जो एस्टीमेट् बन कर हमारे पास आता है उसमें यह होता है कि इतने समय के अन्दर हमारी यह योजना मुकम्मिल हो जायगी, और इतना रुपया खर्च होगा। मगर आम तौर से हम यह देखते हैं कि बिना किसी एक्सेप्शन के कि कोई योजना ऐसी नहीं होती जो उस टाइम के अन्दर कम्पलीट हो जाय और उसी

एस्टीमेट के अन्दर वह पूरी हो जाय। आमतौर से सभी का हमको एस्टीमेट बढ़ाना पड़ता है और ऐसी भी हमारे सामने मिसालें हैं कि जिनमें हमारे एस्टीमेट्स दूने से भी ज्यादा पहुच गये। मैं यह मान सकता हूं कि इंजीनियर साहबान के सामने ऐसी स्थिति आ सकती है कि विभाग की बहुत सी बातों का शुरू-शुरू में अन्दाजा न हो और ज्यों-ज्यों काम चलता जाय उनके सामने कठिनाइयां आ सकती हैं। लेकिन सभी कामों में कठिनाइयां आवें, इससे मालूम होता है कि चाहे हाइडेल की योजना हो, कैनाल की हो, ट्यूबवेल्स की हो, रोड्स की हो, बिल्डिंग्स के काम हों, लेकिन हम यह देखते हैं कि उनके एस्टीमेट्स के बनाने में कोई न कोई कमी अवश्य है।

दूसरी बात मुझे, श्रीमन्, यह कहनी है कि ग्रांट्स तो हमारी सब पास हो गयीं, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार का यह फर्ज है कि ग्रान्ट्स पास हो जाने के बावजूद भी उनके एस्टीमेट्स के ऊपर सख्त स्क्रूटिनी होनी चाहिये और जितने भी पैसे को बचा सकें उतना बचाना चाहिये। बजट जो हमारा पास होता है तो उसमें इतने आइटम्स होते हैं और सिर्फ एक महीने का समय हमारे पास होता है, अतः यह सम्भव नहीं है कि इस भवन के लिए कि ज्यादा स्क्रूटिनी इस टाइम के अन्दर कर पायें या उनको अच्छी तरह देख पायें। आमतौर से यह होता है कि बहुत सी योजनाएं हम देख भी नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते और वह वहां से पास कर दी जाती हैं। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि हमको पिछला ऐसा अनुभव है कि माननीय मंत्री जी और सरकार इस बात का ध्यान दें कि जो योजनायें पास हो गई हैं उनके ऊपर भी पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह उचित हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि हमने देखा कि पिछले सालों में जैसे गल्ले की कमी थी तो हमने एक स्कीम ऊसर को रिक्लेम करने की बनाई। उसमें यह था कि ३०,००० रुपया खर्च होगा और तीन साल में यह स्कीम पूरी हो जायगी और उस जमींन पर खड़े पेड़ों से भी कुछ आमदनी हो जायेगी। फिर तीन साल बाद आमदनी होना शुरू हो जायगी। इस स्कीम को आज ५ साल से अधिक हो चुके हैं और केवल एक तिहाई जमीन ही प्राप्त की है और उसके अन्दर नफे की बात तो दूर रही बल्कि हर साल घाटा होता है और वह घाटा बढ़ता ही जाता है। इस तरह की जो योजनायें हैं उन पर काफी ध्यान दिया जाय और इसके बाद उनको कार्यान्वित किया जाय।

यही नहीं हमने ट्रैक्टर्स के बारे में देखा है कि कई लाख के स्पेयर पार्ट्स बेकार पड़े हैं। लगभग २४ लाख के स्पेयर पार्ट्स बेकार पड़े हैं। हिन्दुस्तान में या इस प्रदेश में कहीं भी ट्रैक्टर्स में यह फिट नहीं हो सकते हैं। हमारे सरकारी कर्मचारियों ने कोशिश की कि यह केन्द्र में बिक जाय लेकिन नहीं बिक सके। मैं तो यह चाहता हूं कि इनको दान कर दिया जाय तब भी अच्छा है वरना यह बेकार ही पड़े हैं। इसलिये इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिस समय हम कोई परचेंजिंग करें तो हमारी परचेंजिंग हैफ हैंजर्ड नहीं होनी चाहिये।

फायनेंस डिपार्टमेंट की हमने एक अजीब बात देखी कि इसका कहीं-कहीं तो इतना सख्त कंट्रोल है कि हमारे जो कमर्शियल कनसर्न्स हैं, चाहे वह इंडस्ट्रीज हों या डेरी हों या मिकेनाइज्ड फार्म हों तो इतनी सख्ती है, श्रीमन्, कि जो उनके इन्चार्ज होते हैं उनको काम करना कठिन हो जाता है। मिसाल के तौर पर तराई-भावर के अन्दर एक १६,००० एकड़ का फार्म वहां है। उसके ऊपर जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वह टेम्पोरेरी बेसिस पर हैं। श्रीमन् यह तो सोचने की बात है कि जो १६,००० एकड़ का फार्म है वहां पर न जाने कितने हजार रुपया मजदूरी में ही खर्च हो जाता होगा। लेकिन ऐसी बात आ जाती है कि फायनेंस कहता है कि वह २५ रु० से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि आपको कमर्शियल कनसर्न्स को कमर्शियल बेसिस पर चलाना है और गवर्नमेंट चाहती है कि उनसे कुछ

[श्री नवल किशोर]

फायदा हो और पैसे की बरबादी कम हो तो उनको कामर्शियल ढंग से ही चलाना पड़ेगा।

दूसरी मिसाल सेंट्रल डेरी फार्म की है। हर साल उसको १९ लाख रुपया एडवांस किया जाता है और उसकी सब रिसोर्ट्स खजाने में जमा होती हैं। और इस डेरी को १९ लाख रुपये का सूद देना पड़ता है और हजारों रुपयों का नुकसान होता है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह ध्यान दें कि यह जो फायनेंशयल कंट्रोल है इसको कुछ हद तक ढीला कर दें ताकि गवर्नमेंट के जो कमर्शियल कन्सर्न्स हैं उनके चलाने में कुछ सुविधा हो सके।

एक चीज मुझे इस सिलसिले में यह भी निवेदन करना है कि हमारी एक नई ग्रान्ट है एक्सपेंशन आफ कम्यूनिटी लिसनिंग स्कीम। उसके तहत में रेकरिंग ग्रांट २,६९,३०० रुपये की है और नान रेकरिंग ग्रांट ८,३०,७०० रुपये की है। यह बहुत ही सुन्दर स्कीम है। लेकिन पहले भी हमने रेडियो दिये थे उसका अनुभव हमें बहुत ही कटु हुआ और हमने देखा कि किस तरह से उनका दुरुपयोग हुआ। मैं चाहता हूं कि यह जो टोटल है दस लाख रुपये से भी ऊपर पड़ता है। यह स्कीम पास तो हो गई है लेकिन इसके ऊपर रुपया खर्च करने से पहले गवर्नमेंट एक्जामिन कर ले कि यह उचित है या नहीं और इसका उपयोग मिल सकेगा या नहीं।

एक बात हमने यह भी देखी और मैं चाहूंगा कि भवन जब कोई कमेटी बनाता है, चाहे वह फायनेंस कमेटी हो चाहे ऐस्टीमेट कमेटी हो, इन कमेटीज का फंक्शन है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडीचर हैं उस पर कंट्रोल किया जाय। हमारा मन्शा भी यही है कि पैसे का खर्च जो किया जाय वह कंट्रोल के साथ किया जाय। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार २०, ३० करोड़ रुपया किसी विभाग पर व्यय करती है किन्तु उस समय हमारी परेशानी बढ़ती है जिस समय हम यह देखते हैं कि हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और उसकी बरबादी हो रही है। यह फीलिंग जिस समय होती है तब खेद होता है। इस बात से हमको आपत्ति नहीं है कि आप कितना पैसा ले रहे हैं और कितना उसके अन्दर खर्च किया जा रहा है। इस सिलसिले में मैं यह कहूंगा कि एक कोआपरेटिव मिल्क यूनियन अल्मोड़ा में खोलने की बात थी जिसको ९६ हजार रुपया मंजूर हुआ। मैं यह मिसाल इसलिये दे रहा हूं कि हम आगे के लिये सतर्क हो जायं। जिस समय यह स्कीम हो रही थी उसमें कुछ मतभेद था लेकिन विभाग ने उस यूनियन को ९६ हजार रुपया मंजूर किया। उस यूनियन को नुकसान हुआ और फिर वह रुपया उसके अन्दर ही किसी तरह से एडजस्ट हुआ। जब मैं इस्टीमेट कमेटी की सिफारिशों को देखता हूं तब उन पर भी विशेष अमल नहीं पाता हूं। मैं उसकी सभी सिफारिशों पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैंने यह महसूस किया कि बहुत से महकमे बढ़ रहे हैं। उनकी कमी होनी चाहिये लेकिन कमी नहीं हुई। हमने यह महसूस किया कि इंजीनियरिंग विभाग के अन्दर डिवीजन कम होने चाहिये थे लेकिन अब इस साल के बजट में देखा कि उनको कम करने के बजाय और बढ़ा दिया गया है। एल० एस०जी० के अन्दर आप देखेंगे कि दो इंजीनियरिंग डिवीजन को जो अभी तक टेम्पोरेरी थी उन २ डिवीजन को परमानेंट कर दिया गया और उनको २,१०,६०० रुपया दिया गया है। हम यह देखते हैं कि एक तरफ जब हम यह चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन में कमी हो और जो विभाग हमारे पास हैं उनसे हम मैक्सीमम काम ले सकते हैं लेकिन इसके बाद भी किसी वजह से ये विभाग बढ़ते जाते हैं और कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ बढ़ता जाता है। तो श्रीमन्, एक परेशानी होती है विभाग में कि हमारी इन तीन कमेटीज के होते हुये भी हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि हम

अपनी सरकार के खर्चे में कमी करें और उसके पैसे का दुरुपयोग न होने दें । हमको यह महसूस होता है कि हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते।

इसके बाद बहुत से हमारे भाइयों ने जब यहां पर अनुदान रखे गये उन पर अपने विचार प्रकट किये और उन्होंने अपने-अपने प्रस्ताव भी रखे। मुझे आशा है कि सरकार उन सब सुझावों पर ध्यान देगी। लेकिन जो मैं जोर देना चाहता हूं वह इस बात पर कि जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है मैं उसकी चीज को फिर दोहराना चाहता हूं कि आप उसमें दो बात कर दें। एक तो जो शिड्यूल रेट्स हैं उनको तरमीम कर दें और जो कंट्रेक्ट देने का तरीका है उसमें भी आप तरमीम कर दें तो मुझे उम्मीद है कि इसके अन्दर बहुत बड़ी बचत हो सकती है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने देखा कि इस बजट के अन्दर सरकारी कर्मचारियों के लिये मोटरें खरीदने के लिये ७ लाख रुपये के लगभग रखा गया है । तो मैं यह चाहता हूं कि यह एक अच्छी खासी रकम है, जो इस काम के लिये रखी गयी है। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार इस बात को मान ले कि सरकारी कर्मचारियों को मोटर न देकर पैसा एडवान्स कर दे और वह अपनी कार खरीद लें तो इससे कई लाख रुपये की बचत हो सकती है। मैं तो यहां तक जाता हूं कि जो टी० ए० नियम आदि बने हुए हैं उनमें अधिक सुविधा करने के लिये संशोधन किया जा सकता है ताकि उनको अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इसमें यह होता है कि ३, ४ साल में मोटर मिट्टी हो जाती है और वह रुपया बरबाद हो जाता है। मैं सरकार से चाहता हूं कि अगर नीति की यह बात हो तो इसके तय करने की चेष्टा करें। इस साल मोटर न खरीदी जायें तो इससे कई लाख की बचत हो जायगी।

अन्त में मैं फिर यह बात कहना चाहता हूं कि इकनामी कमेटी बैठी है और एस्टीमेट कमेटी भी ह लेकिन इन सब का एक ही ध्येय है और वह यह कि वह अपनी सरकार के पैसे का दुरुपयोग न होने दें ताकि कम पैसे में ज्यादा से ज्याद काम हो सके। यदि हम इस ध्येय को सामने रक्खेंगे तो जो बजट हमने आज पास किया है उसके अन्तर्गत हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे ।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय, अध्यक्ष महोदय, जिस बजट पर अभी यहां विचार हुआ है, जैसा माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि जितना रुपया आय और व्यय के लिये रखा जाय उसी के अनुसार व्यय हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस काम के लिये रुपया रक्खा जाता है अगर उसी काम में खर्च कर दिया जाय तो परेशानी की कोई बात नहीं हो सकती। इस बारे में मैं सरकार के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

मैं देखता हूं बजट में बहुत सी बातें रक्खी गयी हैं। उनमें निषिद्ध पादार्थों को भी रखा गया है, जब कि नैतिक रूप से, सिद्धांत रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि उनको नहीं होना चाहिये, लेकिन केवल आमदनी के खयाल से उनको रक्खा गया है। मेरे विचार से सरकार की यह नीति ठीक नहीं है। चाहे कुछ भी हो लेकिन किसी भी कुत्सित कार्य से हमें धनोपार्जन नहीं करना चाहिये क्योंकि इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उससे उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। हमारे प्रांत में बहुत से उदार दानी सज्जन अभी हैं, यदि उनका सहयोग लिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह कठिन परिस्थिति दूर हो सकती है। यद्यपि मध्यवर्ती लोग कठिन आर्थिक परिस्थिति में हैं लेकिन फिर भी उनके पास ऐसे स्थान हैं ऐसे साधन हैं, ऐसी इमारतें हैं जो या तो उनकी परेशानी का कारण हो रहे हैं या किसी न किसी प्रकार से उनको वे बेच रहे हैं अथवा उनके लिये अब अनावश्यक हो गये हैं ऐसे समय में इन लोगों का सहयोग सरकार को प्राप्त हो सकता है। अगर उनको समझा बुझा कर प्रेम के साथ कहा जाय तो सरकार को अच्छे-अच्छे कार्यों के लिये इमारतें मिल सकती हैं। मैं समझता हूं कि अगर वे मूल्य भी लेंगे तो बहुत ही कम लेंगे। संभव है अगर उनके नाम से सरकार उसमें संस्था खोल दें तो उस इमारत

[श्री रणंजय सिंह]

को वह वैसे ही दें दें। लेकिन जो भावना है वह दलगत भावना मालूम पड़ती है। मैं स्वयं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं, विकास की इतनी योजनायें हैं कहीं भी हों लेकिन उधर तो कोई दिखाई नहीं पड़ती है। यह बात नहीं होनी चाहिये। हम चाहे किसी दल के भी क्यों न हों, पक्षपात से कार्य नहीं करना चाहिये। सब से कर लिया जाता है इसलिये सबको ही उसका रिटर्न मिलना चाहिये। यहां मतभेद हो सकता है लेकिन सरकार को सब का खयाल रखना चाहिये। बजट में जो धन रक्खा जाता है वह खूब सोच विचार कर रक्खा जाना चाहिये, यह नहीं कि दो-दो तीन-तीन बार बजट लाया जाय। अगर कोई आकस्मिक बात हो जाय तब तो ठीक है। तो सरकार को ऐसी इमारतें ले लेनी चाहिये और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं अपनी बड़ाई तो नहीं करता, जैसा बुरा या भला बचपन से हूं वैसा हूं और आगे रहूंगा लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जनता की इच्छा थी इसलिये मैंने आयुर्वेदिक अस्पताल के लिये एक इमारत दे दी। बरसों के बाद हेल्थ आफीसर साहब ने कहा कि इसकी मरम्मत करा दीजिये। यह बात तो तय हो गयी थी कि पिता जी के नाम से उसको खुलवाया जायगा लेकिन मैंने कहा कि मैं मरम्मत तो कराने के लिये तैयार हूं लेकिन एक तिथि निश्चित कर दी जाय कहीं ऐसा न हो कि फिर थोड़े दिन बाद मरम्मत की बात फिर उठे। उसका कोई उत्तर आज तक नहीं मिला है। इस प्रकार से सहयोग द्वारा बहुत सी इमारतें मिल सकती हैं।

मैंने कई स्कूलों के लिये भी इमारतें दी हैं और इस तरह से बहुत काम हो सकता है लेकिन हमारी भावना होनी चाहिये कि हम दलगत विचारों को छोड़ कर सहयोग से काम करें। इससे सरकार की भी बचत हो सकती है और सब प्रकार से लाभ हो सकता है। जब मैं इस प्रकार की चीज देखता हूं तो मेरी समझ में बात नहीं आती है कि आखिर इसका कारण क्या है मैंने कई बार व्यायामशालाओं के लिये भी प्रश्न उठाया था और उसके लिये मैं सहयोग देने चाहता हूं और मुझे आशा है कि सरकार भी सहयोग देने की कृपा करेगी। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक बहुत बड़ी इमारत है जो मेरी निजी है जिसे मैंने व्यायामशाला के लिये दे दिया है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार सहयोग देगी तो लगभग ५० हजार रु० की इमारत मिल जायगी और उससे सरकार का भी काम होगा और देश का भी काम होगा। मैं आपको बतलाऊं कि अमेठी तहसील है और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं वहां का प्रतिनिध हूं। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं कि और जगह तमाम न मालूम मैटरनिटी सेंटर और क्या क्या सेंटर खुल रहे हैं लेकिन वहां इस समय कोई मिडवाइफ तक नहीं है। इसके लिये कई बार प्रार्थना की गयी और प्रार्थनापत्र भी आये लेकिन आज तक वहां कोई मिडवाइफ नहीं भेजी गयी है। पहले वहां मिडवाइफ रहा करती थी लेकिन काफी दिनों से नहीं है। यह भी नहीं है कि वहां सन्तति निरोध हो और वहां कोई बच्चा ही न पैदा होता हो। तो ये सब बातें हैं जो सहयोग की भावना की है। अगर सरकार इस प्रकार से लोगों की सलाह लेती रहे और निष्पक्ष होकर प्रांत के कल्याण के लिये काम करे तो उसमें हम सब लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। अगर जनता का सहयोग प्राप्त हो और सरकार का भी सहयोग हो तो बजट के आंकड़े जो दिये गये हैं उनमें भी बहुत से पैसे की बचत हो सकती है और काम भी ज्यादा लिया जा सकता है। शब्दों के साथ यह सुझाव मैं यहां पेश करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी श्री मदनमोहन उपाध्याय के समान ही इस विधेयक का विरोधी हूं। श्रीमन्, जब हम इसके विरोध में खड़े होते हैं तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी और उनके दल के लोग कृपया अपने मन से यह बात निकाल दें कि विरोध करने के लिये ही हम विरोध करते ह। मैं, श्रीमन् अपने को बिलकुल असमर्थ पाता हूं। मन तो हमारा कभी कभी करता है कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करूं, मगर जब मस्तिष्क कुछ काम लेने की ओर बढ़ता है तो देखता हूं कि हमारा इस समय विरोध करना ही समाज के लिये कल्याणकारी होगा। श्रीमन्, जितने वक्ता सरकारी पक्ष के लोग और विरोध पक्ष के लोग थे, एक प्रकार से

सब लोगों ने जनकल्याण की बात कही सब लोगों ने समाजोत्थान की बात कही, सब लोगों ने विकास की बात कही। मैं निवेदन करूंगा खासतौर से माननीय वित्त मंत्री जी और उनके सन्निकट बैठे हुये माननीय परिपूर्णानन्द जी से कि आंकड़ों के जाल में जाने से जनता की कोई समस्या हल नहीं होती है। सही माने में यदि देखा जाय तो विकास का अर्थ हमारे समाज में क्या है? क्या आज भी सावरेन अथारिटी, सार्वभौमिक सत्ता जो है, हम मानते हैं कि वह जनता में सन्निहित है या नहीं? यदि सार्वभौमिक सत्ता जनता में ही सन्निहित है तो जनता और जनता के प्रतिनिधियों और उन प्रतिनिधियों में छांट कर एक बनी हुई सरकार, इन तीन चीजों में भी हमें फर्क करना पड़ेगा। यदि प्राचीन काल की अपनी भारतीय परम्पराओं का भी हम अध्ययन करें, श्रीमन्, तो जनसत्तात्मक समाज और प्रतिनिधि सत्तात्मक समाज इन दोनों में अन्तर किया गया है। जनसत्तात्मक समाज क्या होगा? जब कि जनता स्वतः तमाम योजनाओं के इनिसिएटिव में रहे और जनता स्वतः इन योजनाओं को कार्यान्वित कर सके, उनको संचालित कर सके और लाभान्वित हो सके और स्वतः इच्छा से यदि चाहे तो अपने प्रतिनिधियों को भी कुछ शक्ति दे देगी। हमें बड़े खेद के साथ कभी कभी माननीय परिपूर्णानन्द जी को सुनना पड़ता है। वह न मालूम कैसे कहीं रूस की बात, कहीं चीन की बात, कहीं अमरीका की बात और कहीं इंगलैन्ड की बात कह दिया करते हैं। भारत में ही यदि देखें तो यहां इतनी मान्यतायें हैं कि अब केवल सेलेक्शन का ही काम रह गया है, हमारे यहां इतनी विद्यायें और उन का इतना स्वरूप पहले से ही निर्धारित हो चुका है कि यदि आज के इनटेलेकचुअल्स इतना ही गुण अपने में ले आवें कि उनमें से सेलेक्ट कर सकें तो इतने ही से हमारा बढ़िया समाज बन सकता है। लेकिन वह न जाने कहां से दिमाग लड़ाते हैं और रूस और चीन की न मालूम कहां कहां की बातें ला कर कहते हैं। आज तो मुझे बहुत अफसोस हुआ जब कि उन्होंने चीन की चर्चा की और कहा कि प्लानिंग जो होता है वह तो एक मिसफारचून है और कहा कि यह बदकिस्मती का तकाजा है कि प्लानिंग हो। तो मैं उन से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे माननीय मंत्री जी गुप्ता जी जो यहां विराजमान थे वह किसी बदकिस्मती से प्रेरित हो कर यह प्लानिंग यहां पेश कर रहे थे। जरा उसके भाव को देखा जाय। हम शब्दों में नहीं जाते, हम उस के भाव में आ रहे हैं। उन का भाव यह था और तर्क उनका यह था कि अथारिटी डेमोक्रेटिक यानी जनतंत्र प्रणाली की जो बनेगी उसमें यह दोष सन्निहित होगा कि उस की योजना अच्छी तरह से कार्यान्वित न होगी। यह अर्थ उनके तर्क का निकलता था। हो सकता है कि यह जोखिम उठाना पड़े और किसी शुद्ध लक्ष्य के लिये अक्सर जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है और .....

श्री अध्यक्ष—इस समय वह विषय नहीं है, उन की बातों को आप न कहें क्योंकि वह यहां हैं भी नहीं इसलिये आप अपने को बजट तक ही सीमित रहने दें। इस का मतलब तो यह होगा कि आपके द्वारा जो उन्होंने पहले कहा है उस पर टीकाटिप्पणी हो रही है।

श्री राजनारायण—मैं चाहता हूं कि हम इस को सोच लें कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं और हमें यह देखना है कि जैसा समाज हम बनाना चाहते हैं उसके बनाने में यह बजट सहयोगी है या नहीं। हमारा देश कुछ मानों में निर्बल रहा है और मैं आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि जो कमजोर होता है, जो निर्बल होता है वही आदर्शों की प्रतिष्ठा करता है। अगर हमारा देश पहले से सशक्त होता और सशस्त्र होता तो हो सकता था कि पूज्य महात्मा गांधी भी अहिंसा का प्रयोग इस देश में इतने बड़े पैमाने पर न करते लेकिन चूंकि परिस्थिति ऐसी थी कि देश सशक्त या सशस्त्र नहीं था और हम अपने उद्देश्य और इच्छाओं की पूर्ति के लिये बलिदान के भाव से प्रेरित हो कर ही सफल हो सकते हैं और उस दशा में महात्मा गांधी को यही अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने बड़े पैमाने पर अहिंसा के प्रयोग की शिक्षा हमको दी। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जोखिम अगर हमें उठाने पड़ें तो हमें सहर्ष उठाने चाहिये। अगर हमें विश्वास हो कि सत्ता बिखरे और बटे और सार्वजनिक सत्ता मूल रूप में जनता में सन्निहित हो तो उस के अनुसार हमें प्लानिंग करना होगा और बजट भी बनाना होगा लेकिन जब हम गौर करते हैं तो सरकार को चारों ओर से असफल पाते हैं, चाहे वह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो उस में भी डिसेंन्ट्रेलाइजेशन की बात कही

[श्री राजनारायण]

जाती है लेकिन वह है कहीं नहीं, चाहे वह प्लानिंग हो उस में भी बात विकेंद्रीयकरण की जाती है लेकिन डिसेंट्रेलाइजेशन है कहीं नहीं, शिक्षा के संबंध में अगर आप देखें तो उस में इतना केंद्रीयकरण है कि सरकार सारे रुपये को इस तरह से खर्च करना चाहती है जिस तरह से शायद अंग्रेजी साम्राज्यशाही सरकार भी नहीं सोच सकती थी।

माननीय सदस्य यदि सोचें रूस है, तो रूस में भी विचार विनिमय हो रहा है। रूस में भी, जैसा मैंने एग्रिकल्चर के बारे में कहा और चीन के बारे में भी कहा, हर देश की आन्तरिक परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों से जो स्थिति पैदा होती है उस स्थिति से प्रादुर्भाव होता है वहां का समाजिक ढांचा, सामाजिक शक्तियां। लेकिन हमारे यहां किस तरह का सामाजिक ढांचा है, किस तरह की सामाजिक शक्तियां हैं, यह मैं माननीय मंत्रीजी को बतलाना चाहता हूं कि आज जो उनका बजट है उन सामाजिक शक्तियों को उपयोग करने में वे बिलकुल असमर्थ रहे हैं, कर नहीं सकते थे। मैंने कई बार पातांजली का नाम लिया है, कई बार गौतम बुद्ध का नाम लिया है, कई बार राम की चर्चा होती है, कई बार कृष्ण की चर्चा होती है और कुछ सम्मानित सदस्य तो समाचार पत्रों में लेख भी लिखने लगे हैं मानो वे अपने को बहुत बड़ा विशाल पंडित समझते हैं। मैं उसका जिक्र इसलिये नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि व्यर्थ में किसी के ऊपर क्यों बार-बार प्रिविलेज का प्रश्न उठे। अगर आप उस लेख को पढ़ेंगे तो आप स्वतः सोचेंगे कि प्रिविलेज का सवाल हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्तिपूर्ण हो या सरकारपूर्ण हो, यदि व्यक्तिपूर्ण होगा और व्यक्ति की पूर्णता से हो कर कुछ चीजें सरकार में आयेंगी तो सरकार जनतंत्र प्रणाली पर चल सकती है लेकिन अगर व्यक्ति निर्बल हो जाय और सरकार ही सबल हो जाय तो चाहे कितनी ही बात कहीं जाय दुहाई दी जाय वहां जनतंत्र नहीं पनप सकता। हमको आज सरकार बतलाये कि उसके जमाने में व्यक्ति निर्बल हुआ है या सबल हुआ है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---सबल।

श्री राजनारायण---कहा गया कि सबल हुआ है। श्रीमन्, मैंने एक माला तैयार की और आपके द्वारा मैं बतलाना चाहता हूं कि जब हमारे राष्ट्रपति मान० राजेन्द्र प्रसाद जी बनारस गये हुये थे तो वह मल्लिका उनकी सेवा में प्रस्तुत की कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ये-ये काम हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और माननीय जवाहर लाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बने हुये कानूनों से साबित करें कि अंग्रेजी जमाने से सेंट्रलाइजेशन की बात अब ज्यादा है या नहीं। एक भी कानून ऐसा नहीं है चाहे म्युनिसिपैलिटी संशोधन विधेयक है, चाहे एजूकेशन से संबंध रखने वला विधेयक हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की चीज हो, चाहे गवर्नमेंट सरवेंट कंडक्ट का विधेयक हो हर बात में सरकार सारी ताकत को केंद्रित करती चली जा रही है अपने हाथों में। तो जनता कैसे सबल होगी ? जनता निर्बल होती चली जा रही है अपनी राजनैतिक सत्ता के बारे में भी और अपनी आर्थिक सत्ता के बारें में भी। तो जब जनता निर्बल होती चली जा रही है और सरकार का खजाना बढ़ता चला जा रहा है तो क्या यही विकास का उद्देश्य है ? यदि हम गांधी जी का नाम लेते हैं, यदि हम सार्वभौमिक सत्ता जनता में सन्निहित करने की बात करते हैं और यदि हम जनतांत्रिक प्रणाली को प्रतिष्ठित करने की बात करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे इस सदन में जितने समय तक विवाद कर लिया जाय एक-एक कानून को रखकर मैं साबित कर सकता हूंकि आज यह सरकार बिलकुल रूसी तरीके पर चल रही है, बिलकुल कम्युनिस्ट तरीके पर चल रही है और मैं कभी कभी कहा करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अब कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आप, श्रीमन्, देखेंगे कि देश के महान नेता जवाहर लाल नेहरू कहते हैं कि देश के कम्युनिस्ट खराब हैं और बाहर के कम्युनिस्ट अच्छे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि पंडित नेहरू की देशी नीति खराब है और विदेशी नीति अच्छी है। दोनों का मूल्य बिन्दु एक है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में सामान्य वादविवाद के अवसर पर जोरदार चर्चा की और माननीय मुख्य मंत्री

जी ने चर्चा की और मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि आज इकुई डिस्टेंट की थ्योरी कहां चली गई; कहीं भी सोशलिस्ट पार्टी के लिट्रेचर में इकुई डिस्टेंस का शब्द नहीं आया वह शब्द है इक्वी इर्रेलीवेंस तो वह शब्द इक्वी इर्रिलिवेंस है जो कि हम कांग्रेस के लिये भी इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिस्टों के लिये भी। मगर कुछ अमरीकन प्रेस इक्वीडिस्टेंस का नारा लगा दिये और समाचार पत्रों में भी इसके बारे में पढ़ा गया.....

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—मैं निवेदन करूंगा कि राजनीति शास्त्र की तो बड़ी सुन्दर व्याख्या है लेकिन एप्रोप्रियेशन बिल से इसका क्या संबंध है?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मैं चाहूंगा कि समय का निर्धारण भी हो।

श्री अध्यक्ष—समय का निर्धारण तो मैं करूंगा। लेकिन ऐसा स्पष्ट मालूम होता था कि आप माननीय राजनारायण जी की जो बातें सुनना चाहते थे, वे इससे संबंधित हैं। जितना बजट का डिस्कशन हो गया है और उनमें जो अनुदान हैं, उनकी नीतियों के बारे में सचेत करने के लिये अगर वे सिद्धान्तों की कुछ बातें कहना चाहें तो कह सकते हैं। (श्री राजनरायण से) आप जारी रखें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जैसा कि आपने बताया स्वयं मुझे भी साहस हुआ था कि जब माननीय परिपूर्णानन्द जी ने मुझको कहा था कि तुम कुछ बोलो। मैं जरूर चाहता था क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर मैं यहां उपस्थित नहीं था। मैं चाहता था कि मैं अपने कुछ विचारों को व्यक्त करूं और इसलिये मैंने जानकारी के लिहाज से कह दिया। हमने जब कोई बात की है तो इक्वीइर्रिलिवेंस की बात की है और जिसका कि मैंने एक उदाहरण दिया। मैं फिर सदन से कहना चाहता हूं कि सदन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये १० करोड़ या ९ करोड़ रुपया क्यों दें? क्या आज ग्रामीण जनता शासन के प्रबन्ध में, शासन के इन्तजाम में अपना कोई दावा रखती है? नहीं रखती है। बार बार इस सदन में मैंने निवेदन किया है कि क्यों नहीं ग्राम पंचायतों के मातहत सादी पुलिस कर दी जाती और मैंने इंग्लैन्ड का उदाहरण भी दिया कि वहां पर पुलिस पर ७ परसेंट बजट का खर्च होता है। यह बात नहीं कि वहां कम रुपया खर्च होता है। वहां की पुलिस का इन्तजाम वहां की लोकल बाडीज के हाथ में भी है और वह ज्यादा खर्च करती हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कम खर्च करना पड़ता है। यदि सरकार यहां यह चाहती है कि शासन प्रबन्ध में भी ग्रामीण जनता का हाथ हो तो उस के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है? यह हमें माननीय मंत्री जी बता दें, सहर्ष मैं उन्हें खर्च करने के लिये ज्यादा रुपया दे दूंगा।

आप ग्राम पंचायतों को ही ले लीजिये। आपके सामने, श्रीमन्, कितनी बार इस सदन में घोषणा हो चुकी और अभी भी इस सदन में इस बजट के दौरान में घोषणा हुई कि अब की गरमी में ग्राम पंचायतों का चुनाव कर देंगे। एक-एक समाचार पत्रों में पढ़ा कि अब की गरमी में चुनाव न होगा बल्कि चुनाव होगा अक्टूबर और नवम्बर में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर बार-बार सरकारी मंत्री घोषणा करते हैं और अब की यह कौन सी बात आ गई कि फिर चुनाव टल गया। यहां आकर सोरसेज से पता चलाया तो मालूम हुआ कि किसी मंत्री ने कहा है और आज यहां साफ हो गया, तो क्यों? कोई सम्मानित सदस्य हमें बता दे कि सरकार घोषणा करती है, उस के लिये तैयारी होती है कि पहली ही अप्रैल को चुनाव होगा, फिर जून में चुनाव खत्म होने की बात हुई और फिर कोई कारण नहीं बताया गया और यह कह दिया गया कि अक्तूबर और नवम्बर में चुनाव होंगे। क्यों? क्या इसी मस्तिष्क से चलने वाली सरकार को हम ९१ करोड़ रुपया खर्च करने की इजाजत दे दें? नहीं देना चाहिये। श्रीमन्, लाल बत्ती हो गई है इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा और सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि जब तक वह जनता जन प्रतिनिधियों और सरकार की बात करते हैं तो जो शब्द मैंने कहे हैं उनका जरा खयाल रखें कि जन प्रतिनिधि सत्ता और प्रतिनिधि सत्ता दोनों में फर्क होता है और इसको कहते हुये मैं फिर निवेदन करूंगा कि जब हम बुद्धि से काम लेने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि अब इस सरकार को प्रदेश का पैसा खर्च करने की इजाजत ही देना जनता के साथ अन्याय करना है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--श्रीमन्, इस ऐप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में माननीय उपाध्याय जी ने इस सदन के समक्ष जो बातें रखी थी, मुझे सन्तोष इस बात को देख कर होता है कि इतने लम्बे प्रबचन में माननीय राजनारायण जी ने एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में वैसा एक शब्द भी नहीं कहा। राजनीति पर उनका बहुत अनोखा प्रवचन हुआ। मुझे खेद है कि इस समय प्रेस उपस्थित नहीं है, वरना उसके सामने और लिटरेचर के सामने एक बहुत सुन्दर सामग्री उपलब्ध हो जाती। निस्सन्देह यह नियोजन का बजट है, और एक प्लान्ड एकोनोमी का बजट है, इस लिए प्लानिंग के विषय की चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। प्लानिंग के बारे में सर्व-सम्मत सिद्धान्त है कि 'प्लानिंग इज ए प्रोडक्ट आफ मिसफारचून' यह मैंने कहा था। पहले युद्ध के बाद, दूसरे युद्ध के बाद या और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद या क्रान्ति के बाद ही प्लानिंग होती है और इसके अतिरिक्त किसी कारण से संसार के किसी राष्ट्र की प्लानिंग नहीं हुई। लेकिन इसके साथ आंकड़ों का उत्तर आंकड़ों के साथ दिया जाता है, सदन में कुछ आंकड़े दिये जाते हैं, तो पता नहीं, उन आंकड़ों का उत्तर दिये बिना कैसे छोड़ दिया जाय। लेकिन सब कुछ किया जा सकता है, यह नहीं साबित किया जा सकता है कि कोई रूसी अमेरिकन का रुप धारण कर गया। इस सदन में बार बार रूस व चीन की चर्चा चल रही है। विरोधी कभी चीन का उदाहरण देते हैं, कभी रूस का उदाहरण देते हैं, और मैं ने रूसी पुस्तक को उद्धृत कर दिया तो हमारे माननीय उपाध्याय जी ने पता नहीं कहां से सोच लिया कि अमेरिकन उदाहरण दे दिया। इतना जरूर जानता हूं कि अगर आंकड़ों को कोई पेश करे, तो समझ कर पेश करे। अभी उदाहरण के लिए यह दिया गया कि इंग्लैन्ड में पुलिस के बजट पर .७ खर्चा होता है, कुल बजट का। मुझे दुख हुआ माननीय राजनारायण जी की बात को सुन कर। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे उनसे स्नेह है, उनके समाजवाद से स्नेह है और कई बातें बड़ी सही भी वे कहते हैं। समाजवाद में उनकी रुचि है, मैं भी चाहता हूं कि उन जैसी रुचि मेरी भी हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि किसी चीज के पढ़ने समझने में ज्यादा समय वे क्यों न लगायें ताकि इस सदन का कल्याण हो। .७ कह देने से ऐसा लगता है कि वास्तव में .७ खर्च होता होगा। मैं बहुत दिनों से इस बात की चेष्टा में हूं कि इंग्लैन्ड में पुलिस के खर्च का प्रतिशत निकाल सकूं, लेकिन न निकाल सका। बात यह है कि वहां की म्युनिसिपैलिटीज को, वहां की लोकल कमेटी को भी पुलिस रखने का अधिकार है, उनका अलग पुलिस का बजट होता है, वह पुलिस का बजट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में शामिल होता है। अगर वह सब रकम निकाल कर इस सदन में रखी जाय, तो एक चीज जो मैंने कही थी, पुलिस बजट के सम्बन्ध में उस अकाट्य सत्य को नहीं छू पाया जा सकता है। इंग्लैन्ड में २१९ आदमियों के पीछे एक कांस्टेबलि है और हमारे उत्तर प्रदेश में २०६९ आदमिओं के पीछे एक कांस्टेबिल है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे हमारे उत्तर प्रदेश का पुलिस का बजट ज्यादा है और इंग्लैन्ड ऐसे महान देश में कम है।

जहां तक कि अभी हमारी प्लान्ड एकोनोमी के बारे में तथा एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता के बारे में कहा गया मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि बहैसियत एक कांग्रेस का आदमी होने के नाते मैं यही व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता हूं। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मुमकिन है यह सरकार कम्युनिस्टों की नीति पर चलती हो, लेकिन राजनीति के अखाड़े में कांग्रेस का नहीं प्रजासमाजवादी का कम्युनिस्ट साथ होता है। लेकिन एक बात और भी है, जहां तक कांग्रेस का इन्डिविजुअल लिबर्टी का सिद्धान्त है, शायद वही कांग्रेस की सब से बड़ी शक्ति है जो कि आज समाजवाद और कम्युनिज्म के बीच के अन्तर को अपनाकर कांग्रेस चल रही है।

मुझ से कहा गया कि मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी के लेखों को नहीं पढ़ता। मैं भी पढ़ता हूं और मैं जानता हूं कि किस कन्टेक्स्ट में क्या चीज कही जाती है और मैं यह भी जानता हूं कि बुद्धि रखने के कारण उसका इन्टरप्रिटेशन क्या हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही जब, लास्की, बैवरिज का नाम भी सुना होगा जिन्होंने समाजवाद के सिद्धान्त को बहुत ऊंचा चढ़ा दिया है, और इन लोगों ने शायद इसी बात का प्रतिपादन किया है कि समाजवाद में व्यक्ति को,

लास्की के शब्दों में, बड़ा ही गौड़ स्थान देना होगा। समाज के हित में, व्यक्ति के हित का हनन करना होगा। मेजारिटी बिल, दी बिल आफ दी मेनी। इस एक सिद्धान्त को शायद लास्की गलत लिख गया हो, मुमकिन है माननीय राजनारायण जी जब अपनी पुस्तक लिखें, तो वह समाजवाद का कोई नया सिद्धान्त बतावें। लेकिन व्यक्ति का केन्द्रीयकरण, शासन का केन्द्रीयकरण, ब्योरोक्रैसी, कन्ट्रोल्ड एकानोमी, केवल समाजवाद की विभूति है, जो कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में प्रारम्भ हुई है। यह मानना पड़ेगा कि जितना अधिक समाजवाद दृढ़ होगा, जितना अधिक वह फंक्शन करेगा, उतनी ही अधिक ब्योरोक्रैसी की शक्ति बढ़ेगी, उतनी ही अधिक नौकरशाही की शक्ति बढ़ेगी। यह एक सर्वसम्मत सिद्धान्त है। हां, उसमें एक जगह अन्तर पड़ता है, और वह अन्तर वहां पड़ता है, जहां कम्युनिज्म आता है। कम्युनिस्ट यह कहते हैं कि व्यक्ति किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं रखता, लेकिन समाजवादी कहते हैं कि व्यक्ति का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। कम्युनिज्म उसको बिलकुल समाप्त कर देता है। यही उस अधिनायकवाद में और प्रजातन्त्रीय समाजवाद में थोड़ा सा अन्तर है। उस अन्तर को मानने वाले पता नहीं कैसे किस सिद्धान्त के जरिये, किस लेखक के द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कन्ट्रोल्ड इकानोमी के अलावा और कोई सिद्धान्त होता है। माननीय उपाध्याय जी ने कुछ और बातें कहीं। उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि उनको इस बात की शंका थी कि जो स्पेशल डेवेलप्मेंट फन्ड है, उसके आंकड़े कैसे डिफर हो गये। सन् १९५३-५४ में उन्होंने देखा होगा ३ करोड़ ३० लाख रुपया था। ५४-५५ में २ करोड़ ७३ लाख और २ करोड़ ६५ लाख; इस प्रकार से उनको इतना जो अन्तर प्रतीत होता है, उसमें श्रीमन्, एक बात बड़ी स्पष्ट है। यह स्पेशल डेवेलप्मेंट फन्ड में जो रुपया रखा जाता है, वह इस अनुमान पर रखा जाता है कि यह इरिगेशन फन्ड में जो एक्सेस टैक्स की वसूली होने वाली है, वह डेवेलप्मेंट के काम में लगेंगी। यह सोचकर वह रुपया अलग रखा जाता है। और अनुमान से मद बता दी जाती है। उसमें कभी कमी हो सकती है और कभी अधिकता भी हो सकती है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि डेफिसिट बजट डेफिसिट नहीं हो सकता तो अब मैं क्या बताऊं श्रीमन्—सन् ३७ में आल इन्डिया स्टैटिस्टिकल कांग्रेस हुई थी। उसमें मिस्टर ग्रेगरी जो कि फाइनेंश्यल ऐडवाइजर टु दि गवर्नमेंट आफ इन्डिया थे, वह उसके सभापति थे। उस कांग्रेस के सामने इन्डिया गवर्नमेंट बजट पर मैंने यह निवेदन किया था कि यह गवर्नमेंट का जो सरप्लस बजट है, यह बिलकुल झूठा है। उस पर उन्होंने कहा था कि यह बात तो समझ में आ सकती है कि सरप्लस बजट झूठा हो। डेफिसिट बजट कभी झूठा नहीं हो सकता। डेफिसिट बजट कोई झूठा क्यों बनायेगा? तो वह तो उस समय की बात थी। इस समय ४ करोड़ का डेफिसिट पिछले साल कूता गया था। लेकिन लैन्ड रेवेन्यू की बकाया रकम प्राप्त हो गयी। सेस से रकम प्राप्त हो गयी। इसलिए हमने उसको वाश आफ कर दिया। इस साल साढ़े पांच करोड़ रुपये का डेफिसिट कूता गया है। ईश्वर करे कि कोई चीज ऐसी हो जाय जिस से यह भी न रहे तो यह तो एक अच्छी चीज है।

एक और बात उन्होंने कही कि २० लाख रुपया एक जगह और ४ लाख १७ हजार डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को ग्राण्ट के रूप में अलग दिया गया है, यह भी एक समझने की चीज है। ग्राण्ट, रेगुलर ग्राण्ट, वास्तविक ग्राण्ट की चीज हुआ करती है, वह दे दी जाती है। वह देखेंगे कि जहां २० लाख रुपये का जिक्र है वहां डेफिसिट शब्द लिखा हुआ है। अगर डेफिसिट शब्द वहां न लिखा हो, तो माननीय उपाध्याय जी को शंका करने की गुंजाइश हो सकती थी। एक बात मैं और निवेदन कर दूं। वह एक बड़ी इम्पार्टेंट कमेटी के सदस्य हैं, इकानोमी कमेटी के। उनके सामने बहुत सी चीजें आवेंगी। मैं समझता हूं कि इस समय उन्होंने जो कुछ यहां कहा, उसके कहने की आवश्यकता नहीं थी। एक गवर्नमेंट का सरकुलर है कि हर एक विभाग अपनी स्कीमों को फाइनेंस विभाग को तुरन्त भेज दें, ताकि समय पर भुगतान हो जावे। पर कभी-कभी ऐन मौके पर मांग की जाती है जिसे स्वीकार तो कर लिया जाता है, पर इन्जामिन बाद में किया जाता है। जल्दी भेजा एस्टीमेट एक्सपर्ट के पास जाता नहीं है। २० अस्पतालों के लिए २० लाख रुपया चाहिए, उसका कोई ब्यौरा नहीं जाता। तो उस मौके पर यह

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

सोच कर कि प्लाण्ड इकानामी है, उन्नतिशील देश है, कल्याणकारी राज्य है, रुपया मंजूर कर दिया जाता है। बाद में उसका एग्जामिनेशन होता है, और मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्याय जी को इस विषय में और भी गहराई में जाने का मौका मिलेगा, इस लिए इसकी वास्तविकता को स्वीकार करेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब स्पीकर साहब, बात लम्बी और वक्त थोड़ा है। मैं इस लिए यह फैसला करता हूं अपने लिए कि जोबातें यहां कही गयीं, उनका मैं जवाब इस वक्त भी दे सकूं, अगर्चे उनमें से कई बातें ऐसी थीं कि जो बहुत सी दफा कही गयीं और बहुत सी दफा उनका जवाब दिया गया। मगर एक बात मुझको ज्यादा महसूस हुई, कि जिसको मेरे नजदीक इस सदन में उन लफ्जों के साथ जिनसे कि कहा गया, कहा जाना नहीं चाहिए था, और वह है डेफिसिट की बाबत। बात सामने यह लायी गयी कि डेफिसिट मसनूई तौर पर बनाकर गलत फिगर्स इनवेंट करके रखा गया और उसका मकसद जो बताया गया कि क्यों ऐसा किया गया, ऐसा वह यह कि इस लिए कि वित्त मन्त्री यह कह सकें कि अगर्चे टैक्स लगाने की तो बड़ी जरूरत थी, मगर हमने टैक्स लगाया नहीं। यह बात मेरे नजदीक एक बहुत ही ग्रेव बात है कि जो आनेस्ट आदमी के ऐक्शंस को इस तरीके से इन्टरप्रेट करके दुनिया के सामने रखते हों कि ऐसी लोग धोखेबाजी करते हैं। मुझको इस का अफसोस है। जवाब में उसका वक्त ज्यादा लगेगा, मगर . . .

श्री मदनमोहन उपाध्याय—समझ जायेंगे हम। आप समझाइये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—समझ सकते तो वह बात कहते नहीं, जो कही गयी। इस लिए मैं कभी तवक्को नहीं करता कि मैं समझा सकूंगा और कोई समझा सकेगा और मैं उसका भी बिलकुल जैसा कि मैंने और एतराजात की निस्बत कहा, मैं उसका भी जिक्र करता नहीं, लेकिन, मैं इस सदन के या जिन साहब ने उस बात को कहा, उनके ज्ञान में विशेष तौर से लाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, जवाब के तौर पर नहीं अर्ज कर रहा था, कि जरा हम जब किसी की निस्बत कुछ कहें, और तकरीर करें, तो हम को कुछ लिहाज और खयाल किसी बात का रखना है। जरा यह समझना है कि हम इस ऐवान के मेम्बरों की डिगनिटी एक मैन आफ दि स्ट्रीट के माने से नहीं लगावें, और उन आदमियों से बिलकुल उसको मिला जुला न दें कि जो दुनिया में शोबदे-बाजगियां और धोखे बाजगियां मुख्तलिफ किस्मों की करते फिरते हैं। अगर बजट इस मकसद से पेश करें, जिस मकसद से कि इसका जिक्र हुआ ऐवान में कि उसमें डेफिसिट इस लिए दिखला दिया है और वाकई में नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वह लोग हुकूमत की बाग एक मिनट के लिए भी सम्भालने के लिए काबिल नहीं हो सकते और अगर वह लोग १० वर्ष से हुकूमत करते रहे हों, तो उसका जवाब फिर यह है कि दुनिया उसको निस्बत कुछ और समझती है। मैंने तो यह पहले अर्ज कर दिया कि दुनिया तो समझाये से नहीं समझती तो मेरे समझाने से क्या समझेंगे और समझा सकता तो मैं समझा ही देता, और बहुतेरा समझाता हूं और हर मर्तबा और हर साल समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी तरह से समझा दूं, और समझाने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाता हूं। एक तो यह है कि पानी किसी ऊसर जमीन पर बरसे, तो उसमें कुछ उगेगा, नहीं उगेगा, क्योंकि पानी का उस पर कोई असर नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं कि इसकी जो फीलिंग है, उसको मैं समझाने की कोशिश करने में भी अपनी जिल्लत समझता हूं, उस चीज की निस्बत जिसके लिए कहा जा सकता है कि उसका कोई सर पैर नहीं है, इधर से कुछ फिगर्स पढ़ कर, उधर से कुछ फिगर्स पढ़ कर, जितने मेम्बरान इधर बैठे हैं, और जितने उधर बैठे हैं, मुझे यकीन है कि कोई भी नहीं समझा कि यह डेफिसिट मसनुई है, यह डेफिसिट फ्रडूलेंट है। अगर कोई समझा हो, तो मौका आयगा कि वह फिर से बतला दे कि मैं समझा था और इस तरीके से समझा था। कोई साहब दुहरा दें।

बहरहाल, डेफिसिट इसमें लिखा हुआ है कि कितना रखा गया था और कितना बाकी रह गया है और पिछले साल भी डेफिसिट रखा गया था, लेकिन यह इल्जाम नहीं लगाया गया था। (आवाजें--कहा गया था) इसलिए कि यह तो तबियत की ताजगी आज देखी है। उस वक्त यह इल्जाम नहीं लगाया गया था और इस बात को मैंने नहीं सुना। नहीं कहा गया, लिखा हुआ है मौजूद, अगर कहा गया होता, तो मुझसे जवाब में यही बातें सुनी जातीं जो इस वक्त कह रहा हूं। मेरे कहने का मकसद यह है कि जिस वक्त हम कोई बात कहें तो सोच समझकर और तौलकर कहें, और उसके अन्दर वजन हो और इस बात का लिहाज किया जाय कि हम कैसी बात कह रहे हैं, और दूसरों से इस किस्म की बात हमें कहनी चाहिए या नहीं।

एक सदस्य--हम सीखना चाहते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम--लेकिन यह लच्छन सीखने के नहीं हैं। जो इंसान सीखना चाहता है, उसको सिखाने के लिए दिल करता है। इसके अलावा चन्द बातें मेरे सामने आयी हैं जो मैंने मेम्बरों से सुनी हैं। उनको मैं इस काबिल समझता हूं कि गवर्नमेंट जरूर ध्यान दे और मैं भी ध्यान दूं और कुछ बातों की तरफ ध्यान दे रहा हूं। उनकी मैं इस वक्त तफसील नहीं करता। जब मैं अपनी गुजारिश खत्म करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इसको पास किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५५-५६ के लिए २,१४,३४,३७,१०० रु० का दिया जाना। विनियोग

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५६ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशि से, जिन सबका कुल योग २,१४,३४,३७,१०० रु० (दो अरब, चौदह करोड़, चौंतीस लाख, सैंतीस हजार, एक सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	कृषि आयकर (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय	२,३६,१००	..	२,३६,१००
२	मालगुजारी (भू-राजस्व)	४,९०,००,५००	..	४,९०,००,५००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज) ..	१,०२,५२,१००	..	१,०२,५२,१००
४	स्टाम्प ..	६,५४,७००	..	६,५४,७००
५	वन (फारेस्ट) ..	१,५७,७०,९००	..	१,५७,७०,९००
६	रजिस्ट्री ..	१४,३६,६००	..	१४,३६,६००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय ..	१,०९,००,०००	..	१,०९,००,०००
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय ..	२९,८०,९००	..	२९,८०,९००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य ..	३,५६,७३,४००	..	३,५६,७३,४००
१०	सिंचाई (इरिगेशन) स्थापना पर व्यय ..	२,९३,६१,०००	..	२,९३,६१,०००
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्व-विद्यालय ..	१४,९६,४००	..	१४,९६,४००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ..	२,७७,४५,४००	१०,५०,९००	२,८७,९६,३००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय ..	२,७५,२०,७००	..	२,७५,२०,७००
१४	गांव सभायें और पंचायतें	९९,१६,२००	..	९९,१६,२००
१५	न्याय प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस) ..	१,२८,०८,२००	२४,४४,८००	१,५२,५३,०००
१६	जेल ..	१,३०,७१,६००	..	१,३०,७१,६००
१७	पुलिस ..	७,७६,५३,०००	..	७,७६,५३,०००
१८	शिक्षा ..	१०,२१,१८,०००	..	१०,२१,१८,०००
१९	चिकित्सा (मेडिकल)	३,०३,८४,२००	..	३,०३,८४,२००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	१,४८,१६,४००	..	१,४८,१६,४००
२१	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट एण्ड रिसर्च) ..	१,६८,०२,४००	..	१,६८,०२,४००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एण्ड कालोनाइजेशन) ..	२,०६,९४,३००	..	२,०६,९४,३००
२३	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी)	१,२५,४०,०००	..	१,२५,४०,०००
२४	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	२,१३,१६,९००	..	२,१३,१६,९००
२५	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय ..	१,०६,८५,३००	..	१,०६,८५,३००
२६	सहकारिता के आधार पर ऋण ..	७०,३७,८००	..	७०,३७,८००
२७	उद्योग ..	४,२८,९३,४००	..	४,२८,९३,४००
२८	श्रम (लेबर) और संख्या	३६,४०,३००	..	३६,४०,३००
२९	परिवहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग	४,७९,५०,१००	..	४,७९,५०,१००
३०	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	४,०८,२२,५००	२,८४,४००	४,११,०६,९००
३१	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित) ..	५७,४५,२००	..	५७,४५,२००
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय ..	६०,६९,५००	- ..	६०,६९,५००
३३	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स) ..	८८,३४,१००	..	८८,३४,१००
३४	दुर्भिक्ष सहायता (फेमीन रिलीफ)	१७,८१,९००	१६,००,०००	३३,८१,९००
३५	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें और भारतीय शासकों को निजी खर्चे ..	७,६०,२००	..	७,६०,२००
३६	बुढ़ौती (सुपरिएनुएशन) भत्ते और पेंशनें ..	२,२५,८३,८००	१,६०,०००	२,२७,४३,८००
३७	लेखन-सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई ..	९२,४५,००००	..	९२,४५,०००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३८	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज) ..	६,५०,१७,८००	१००	६,५०,१७,९००
३९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	७४,२८,७००	..	७४,२८,७००
४०	समाज कल्याण ..	१९,९६,३००	..	१९,९६,३००
४१	असाधारण व्यय (एक्स्ट्राआर्डिनरी चार्जेज) ..	३३,९४,१००	..	३३,९४,१००
४२	योजना और एकीकरण	५,८२,७५,४००	..	५,८२,७५,४००
	ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लिगेशन्स) पर ब्याज ..		५,९१,०७,१००	५,९१,०७,१००
	ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस) ..		१७,६३,५०,५००	१७,६३,५०,५००
	प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान बन्ध		४८,००,००,०००	४८,००,००,०००
४३	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन ..	११,७७,०१,८००	..	११,७७,०१,८००
४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	२,९५,९५,०००	..	२,९५,९५,०००
४५	औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट) ..	६७,०४,५००	..	६७,०४,५००
४६	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	७,९२,३९,८००	..	७,९२,३९,८००
४७	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	१६,४३,३५,०००	..	१६,४३,३५,०००
४८	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐण्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	१,४१,६१,९००	..	१,४१,६१,९००
४९	पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ पेन्शन्स)	२३,२५,०००	२५,०००	२३,५०,०००
५०	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनायें ..	१२,८४,०००	..	१२,८४,०००
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (एडवांसेज) ..	११,७७,५६,०००	..	११,७७,५६,०००
	योग	१,४२,२४,१४,३००	७२,१०,२२,८००	२,१४,३४,३७,१००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

१९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग बिधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल).

---

३१ मार्च, १९५६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (ऐप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित विधेयक बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना, शीर्षक और खंड १ इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ६ बज कर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२९ मार्च, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८ पर)

पत्र सं० ब०—७५०७/१९—३१०—५४

प्रेषक,

श्री गोविन्द नारायन, आई० सी० एस०,
सचिव, सूचना विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला-अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक २० दिसम्बर, १९५४।

विषय—जिला सूचना-अधिकारियों के कार्य एवं कर्त्तव्य

महोदय,

सूचना विभाग

मुझे आपका ध्यान नियोजन विभाग के राजकीय आदेश संख्या ११०८५ आर०/३५—४७४—१९५४, दिनांक २३ अक्तूबर, १९५४ की ओर आकर्षित करने का आदेश हुआ है, जिसके अनुसार नियोजन अधिकारियों का प्रशासकीय नियंत्रण सूचना विभाग के अधीन सूचना-संचालक को हस्तान्तरित किया गया है। सूचना विभाग के बाद के राजकीय आदेश सं० बी० ७०७३/१९, दिनांक २९ नवम्बर, १९५४ के अन्तर्गत इन सहायक नियोजन अधिकारियों को जिला सूचना-अधिकारियों का पद पुनः प्रदान किया गया है तथा उनको सौंपे जाने वाले कार्य के सम्पादन की सुविधा के लिए उनको सीधे जिला-अधिकारियों के अधीन कर दिया गया है। यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिये कि जिला सूचना-अधिकारियों का कार्य मुख्य रूप से प्रकाशन तथा प्रचार ही होगा, जिसमें नियोजन तथा विकास सम्बन्धी कार्य करने वाले अन्य विभागों के कार्यों की प्रगति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा। अतएव उत्तर प्रदेश के विकास कमिश्नर को नियोजन विभाग के राजकीय आदेश सं० ४५१० आर०/३५-२२६/१९५३, दिनांक ५ फरवरी, १९५४, में जो निर्देश दिये गये तथा जिसकी प्रतिलिपि विकास कमिश्नर के पृष्ठ लेख सं० ११४६/जी० ओ०/डी० जी०, दिनांक १० फरवरी, १९५४ के अन्तर्गत जिला अधिकारियों को भेजी गयी, उसके संशोधन में श्री राज्यपाल निम्नांकित आदेश देते हैं :

(१) जब जिले के नियोजन कार्य का उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण जिला-अधिकारियों के ऊपर डाला गया है तो जिला सूचना-अधिकारियों के ऊपर जिला अधिकारियों के तात्कालिक नियंत्रण से जिला स्तर के नियोजन तथा विकास कार्यों में उचित समन्वय होना चाहिये तथा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में उचित रूप से उनका प्रचार होना चाहिए। अतः जिला सूचना-अधिकारी जिला नियोजन-अधिकारियों के कार्यालय से सम्बद्ध नहीं होंगे, वरन् वे अपना सारा समय अनिवार्य रूप से अपने काम में ही लगायेंगे। यद्यपि जिला सूचना-अधिकारी तथा जिला सूचना-केन्द्र सूचना विभाग के नियंत्रण में रखे जा रहे हैं। फिर भी जिला सूचना-अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे जिला नियोजन विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क रखें और उनके सभी कार्य-कलापों का समुचित रूप से प्रचार करें।

(२) यद्यपि जिला-अधिकारी जिला सूचना-अधिकारियों पर निकट नियंत्रण रखेंगे तथा उनके कार्यों का उत्तरदायित्व भी उन पर होगा, फिर भी विभागीय सलाह तथा अन्य निरीक्षण कार्य एवं जांच सूचना विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा भी

की जायगी। महत्वपूर्ण विषयों और नीति सम्बन्धी मामलों में पत्र-व्यवहार जिला अधिकारियों द्वारा किया जायगा तथा प्रतिलिपियां जिला सूचना-अधिकारियों को भी भेजी जायंगी, परन्तु प्रतिदिन के तथा सामान्य कार्यों में पत्र-व्यवहार सीधे जिला सूचना अधिकारियों से भी हो सकता है। जिला सूचना-अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जिला अधिकारियों को अपने कार्यों तथा प्रगति से पूर्णरूपेण परिचित रखें। समुचित समन्वय के लिए महत्वपूर्ण पत्रों की प्रतिलिपियां जिला नियोजन अधिकारियों को भी भेजी जा सकती है। जिला सूचना अधिकारियों पर जिला-अधिकारियों का नियंत्रण एवं उनका पथ-प्रदर्शन सूचना विभाग तथा संचालन-कार्यालय द्वारा निर्धारित नीति एवं सामान्य निर्देशों के अनुसार होगा।

(३) इस क्षेत्र में कार्य का पुनस्संगठन हो रहा है तथा इसे नवीन प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि जिला सूचना -अधिकारियों को इस पुन-संगठन काल में जिला स्तर की नियोजन समितियों जैसी समितियों के नियंत्रण एवं निरीक्षण के अधीन रखा जाये या इन्हें अपने कार्यों के लिये इन समितियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाये।

(४) यह सुझाव तो पहले राजकीय आदेश में दिया जा चुका है कि जिला सूचना-अधिकारी के लिए उन स्थानों में अलग से एक उपयुक्त कार्यालय खोला जाये, जहां अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कार्यालय के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के विषय में शीघ्र ही आदेश दिये जायेंगे। जिला सूचना-अधिकारी का यह कार्यालय जिले भर के लिए एक सूचना-केन्द्र के रूप में संगठित होना चाहिये। जिले के सभी प्रकार के आंकड़े सम्बन्धी विवरण वहां सुलभ होने चाहिए, जैसे, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वर्षा, खेती, सिंचाई, फसल, बाजार मेले, उद्योग, कुटीर, उद्योग, स्कूल, कालेज, अस्पताल, बीज-गोदाम, सहकारी समितियां, नहरें, नलकूप, सड़कें, बिजलीघर, तारघर, रेलें, पंचायतें, नगरपालिकाएं, टाउन एरिया, निरीक्षण-भवन, थाना आदि। सम्भवतः इनमें से कुछ चीजें तो उपयुक्त रूप से जिले के मानचित्र पर अंकित की जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त, जिले में विकास कार्य की अभी तक की प्रगति का विवरण मान-चित्रों, चार्टों आदि के रूप में दिखाया जा सकता है। 'श्रमदान' कार्य जैसे महत्वपूर्ण गैर-सरकारी कार्यों की भी प्रगति का रिकर्ड रखा जा सकता है। इस प्रकार की सारी सूचनाओं को अधिक से अधिक आकर्षक ढंग में उपस्थित करने से ही जिला सूचना अधिकारियों की स्थानीय प्रतिभा की स्वाभाविक रूप से जांच हो सकेगा। सूचना संचालन कार्यालय इनके पास प्रचार सम्बन्धी सभी प्रकाशनों को भेजता रहेगा और ऐसे साहित्य की प्रतियों को केन्द्र पर उचित रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जिले की गतिविधि के सम्बन्ध में स्थानीय तथा अन्य सम्वाद-पत्रों में प्रकाशित उपयुक्त टिप्पणियों को भी नियमित रूप से रखना तथा प्रदर्शित करना चाहिये।

(५) जिला सूचना-अधिकारियों की कुशल कार्य-प्रणाली के लिए यह अत्यन्त आवश्यक होगा कि वे न केवल पत्रकारों तथा प्रेस से अच्छे अच्छे एवं निकट सम्पर्क स्थापित करें, वरन् प्रमुख सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के भी उतने ही निकट रहें। यह सम्पर्क इस प्रकार स्थापित करें कि वे किसी भी प्रकार की दलबन्दी वा व्यक्तिगत मतभेद में न पड़ें अथवा किसी भी रूप में अवांछनीय ढंग से किसी दल या पार्टी से सम्बन्ध न जोड़ें। जिला अधिकारियों के स्तर पर समय समय पर होने वाले प्रेस सम्मेलनों के बारे में निर्देश पहले ही दिये जा चुके हैं। जिला सूचना अधिकारी को इस सम्बन्ध में सक्रिय भाग लेना चाहिए जिससे यह कड़ी (link) प्रशासन तथा जिले के लिए अधिकतम लाभप्रद सिद्ध हो सके।

(६) जिला सूचना-अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों के दौरों पर अधिक महत्व देना चाहिए। दौरों के समय उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में यथेष्ट संख्या में रात्रि विश्राम करना चाहिये। उन्हें उपयुक्त कार्यक्रम पहले से ही तैयार कर लेने चाहिये तथा जिला अधिकारियों द्वारा उन्हें स्वीकृत करा लेना चाहिये। जब तक किन्हीं महत्वपूर्ण या आवश्यक कारणों से जिला अधिकारी उनमें कोई परिवर्तन अनिवार्य न समझें, तब तक इन कार्यक्रमों के अनुसार अनिवार्य रूप से कार्य किया जाना चाहिये। इन यात्रा-कार्यक्रमों के बनाने में यात्रा क्षेत्रों के बाजारों और मेलों आदि की तिथियों का ध्यान रखना चाहिये। ये कार्यक्रम इस ढंग से तैयार करने चाहिये जिससे जिला सूचना अधिकारी उपयुक्त अवसरों पर अधिक से अधिक लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सकें। ऐसी यात्रा में यहां से भेजे गये साहित्य के आधार पर, जिले की गतिविधि तथा विशेषतः जिला अधिकारियों ने जिन बातों पर जोर दिया हो उनका प्रकाशन और प्रचार करना चाहिये। ऐसे सम्मेलनों में उपयुक्त व्याख्यानों एवं यहां की फिल्मों का प्रदर्शन भी होना चाहिये। इन यात्राओं के सम्बन्ध में सूचना विभाग के राजकीय आदेश सं० ९१७१/आई० डी० एफ० पी०-७२७-५१, दिनांक २४ नवम्बर, १९५१ के अन्तर्गत "यात्राएं, यात्रा कार्यक्रम तथा यात्रा भत्ते" शीर्षक में दिये गये आदेशों का पालन होगा, केवल इस अन्तर के साथ कि 'जिला नियोजन अधिकारी' के स्थान में 'जिला अधिकारी' शब्द रहेंगे तथा जिला नियोजन समिति का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जिला सूचना-अधिकारी यात्रा-डायरी रखेंगे एवं जिला अधिकारी उक्त राजकीय आदेशानुसार जिला सूचना अधिकारियों की यात्राओं का विवरण जनवरी तथा जुलाई में सरकार के पास सूचनार्थ भेजेंगे। इन यात्राओं में जिला सूचना-अधिकारी को 'सामूहिक श्रवण' योजना के अन्तर्गत दिये गये रेडियो सेटों तथा बैटरियों की दशा, उपयोगिता एवं कार्य सम्बन्धी सूचना स्वयं जाकर प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। ये सूचनाएं सूचना संचालन कार्यालय में समय समय पर रिपोर्टों में भेजी जानी चाहिये। यदि उक्त चीजों में कुछ त्रुटियां मालूम पड़ें तो इसकी सूचना क्षेत्रीय रेडियो इंजीनियरों तथा संचालन कार्यालय के पास भेजनी चाहिए।

यात्राओं के दौरात में इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए कि प्रधान कार्यालय से जो प्रचार-सामग्री भेजी जाती है, वह सुरक्षित रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों के पास पहुंच रही है और उसका सदुपयोग हो रहा है। विभागीय पत्र-पत्रिकाएं जैसे 'उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य', "इत्तलात" आदि चन्दे के आधार पर भेजी जाती हैं। जिला सूचना-अधिकारी को इस बात का पता लगाना चाहिए कि चन्दा नियमित रूप से भेजा जा रहा है और कोई पिछला चन्दा शेष नहीं है। इस सम्बन्ध में सूचना विभाग के राजकीय आदेश सं० ९१७१/आई० डी० एफ० पी० ७२७-५१, दिनांक २४ नवम्बर, १९५१, के अन्तर्गत 'प्रचार साहित्य वितरण' शीर्षक में दिये गये आदेशों का पालन होना चाहिये।

(७) जिला सूचना-अधिकारी को विभागीय गाड़ी, प्रोजेक्टर, लाउड स्पीकरों, फिल्मों आदि की पूरी देख भाल करनी चाहिये। ऐसे दोषों की सूचना संचालन कार्यालय में अविलम्ब भेजनी चाहिए जिनको स्थानीय रूप से दूर करना असम्भव है। किसी भी दशा में जिला अधिकारी को स्पष्ट आज्ञा बिना इन वस्तुओं का किसी अन्य काम के लिए प्रयोग वर्जित है। इस सम्बन्ध में अपवादों की सूचना समय समय पर रिपोर्टों में सरकार को भेजनी चाहिए।

(८) जिला सूचना-अधिकारी को सूचना संचालन कार्यालय में प्रतिमास प्रगति का ब्योरा भेजना आवश्यक है। इस ब्योरे को जिला अधिकारी द्वारा महीने के प्रथम सप्ताह में भेज देना चाहिए। इस ब्योरे में जिला सूचना-अधिकारी के कार्यों की गत मास की

गतिविधि का संक्षिप्त चिट्ठा, विशेषत: इस आदेश में वर्णित विभिन्न निर्देशों के सम्बन्ध में होना चाहिए। जिला अधिकारियों को इसमें अपनी यात्राओं के संस्मरणों के आधार पर या अन्य माल-अधिकारियों द्वारा की गयी यात्राओं के आधार पर जिला सूचना-अधिकारी के काम के बारे में अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। जिला अधिकारियों को जिला सूचना अधिकारी के कार्यों के बारे में अपनी सामान्य टिप्पणी भी देनी चाहिए। इन मासिक प्रगति सम्बन्धी रिपोर्टों के साथ साथ अथवा आवश्यक मामलों में अलग पत्रों द्वारा जिला सूचना अधिकारी-संचालन कार्यालय को यह भी बतलायें कि उनके क्षेत्र में कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसका प्रकाशन राज्य स्तर पर होना उचित है। असरकारी व्यक्तियों की उच्चकोटि की सार्वजनिक जन-सेवा या दानशीलता का भी उल्लेख संचालन कार्यालय की विभागीय पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए भेजना चाहिये। कदाचित संचालन कार्यालय के लिये यह सम्भव न हो कि वह अपनी पत्रिकाओं में इस प्रकार के सारे संवाद प्रकाशित कर सके, अतः केवल वास्तविक महत्व के संवाद ही भेजने चाहिए। जिला सूचना अधिकारी से ऐसी आशा की जाती है कि वे विकास कार्य करने वाले सभी विभागों से अपना सम्पर्क रखेंगे और उनके क्षेत्र की उल्लेखनीय घटनाओं से सूचना संचालन कार्यालय को अवगत करेंगे। ऐसे सभी मामलों में महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र भी भेजे जा सकते हैं। संचालन कार्यालय को जिले के निवासियों की उपयुक्त साहित्यिक प्रतिभाओं से पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। यदि उनमें से कोई उपयोगी रचनाएं भेजें तो वे विभागीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सकती हैं तथा उपयुक्त रचनाओं के लिए पारिश्रमिक भी दिया जा सकता है।

२—मुझे नियोजन विभाग के राजकीय आदेश सं० ९९९६ आर०/३५, दिनांक २१ अक्तूबर, १९५४, के अन्तर्गत हाल में दिये गये निर्देशों के बारे में इतना और कहना है कि समाचार पत्रों के क्रम के सम्बन्ध में तथा जिला अधिकरियों की स्वीकृति से आवश्यक मामलों के खंडन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का सतर्कता से पालन होना चाहिए।

३—इसके अतिरिक्त, सूचना विभाग के राजकीय आदेश सं० ९१७१/आई० डी० एफ० पी० ७२७–५१, दिनांक २४ नवम्बर, १९५१, के अन्तर्गत 'कार्यालय निरीक्षक' शीर्षक में दिये गये आदेशों का पालन सतर्कतापूर्वक करना चाहिये, केवल इस अन्तर के साथ कि निरीक्षण जिला-अधिकारी या उसके मनोनीत व्यक्ति द्वारा होगा तथा जिला अधिकारी द्वारा सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित होनी चाहिये।

४—अन्त में मैं इस बात को फिर दुहराना चाहता हूं कि सरकार इस कार्य को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझती है और आशा है कि अपने विभिन्न कर्तव्यों का पालन करते हुए जिला अधिकारी भी इस कार्य पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे। किसी भी क्षेत्र में कैसा भी उत्तम कार्य क्यों न किया जाय उपयुक्त प्रकाशन तथा प्रचार के बिना उसका यथार्थ मूल्य नहीं आंका जा सकता। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि जनता को उन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए जिन्हें सरकार जनता की भलाई तथा उन्नति के हेतु कर रही है।

हो सकता है कि कुछ जिला सूचना-अधिकारी नये एवं अनुभवहीन हों, अतः उनको जिला अधिकारियों की निरीक्षण एवं निकट पथ-प्रदर्शन की विशेष आवश्यकता होगी। सरकार को विश्वास है कि इस कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुये जिला अधिकारी उनके लिए यथेष्ट अवकाश निकाल सकेंगे।

ऐसा प्रस्ताव है कि प्रधान कार्यालय में योग्यता निरीक्षण की व्यवस्था की जाये, जिसके द्वारा जिला सूचना अधिकारियों में से अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए सुअवसरों की

सम्भावना बढ़े और काम से भागने वालों और सर्वथा अयोग्य व्यक्तियों को हटाया जा सके। अतः प्रत्येक कार्यकर्ता के कार्य के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों द्वारा सही मूल्यांकन तथा जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो या किसी प्रकार का स्पष्टीकरण आवश्यक हो अथवा अन्य सुधारों के लिए कोई सुझाव रखने हों तो सूचना विभाग को इस सम्बन्ध में अविलम्ब सूचना दें।

आपका विश्वासपात्र,
गोविन्द नारायन,
सचिव।

संख्या ब–७५०७ (१)/१९–३१०–५४

प्रतिलिपि सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(१) सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश।
(२) समस्त जिला नियोजन-अधिकारी।
(३) समस्त जिला सूचना अधिकारी।

आज्ञा से,
गोविन्द नारायन,
सचिव।

संख्या ब–७५०७ (२)/१९–३१०–५४

प्रतिलिपि सूचना हेतु प्रेषित :

(१) विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(२) समस्त कमिश्नरियों के कमिश्नर तथा कमिश्नरियों के अधिकारी कलेक्टर।
(३) समस्त विभागों के अध्यक्ष तथा विभिन्न कार्यालयों के मुख्याधिकारी।
(४) सचिवालय के समस्त विभाग।

आज्ञा से,
गोविन्द नारायन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१ पर।)

विवरण पत्रिका

१--सगड़ी तहसील के उन ७ नलकूपों की स्थिति जो प्रदेश की २०० नलकूप योजना के अन्तर्गत पहले ही बन चुके हैं :

(१) दुबरहन बुजुर्ग
(२) दुबरहन खुर्द
(३) मधुबन
(४) कतार
(५) बाबूपुर
(६) रौजा सैफपुर
(७) बुझिया

२--सगड़ी तहसील के उन २३ नलकूपों की स्थिति जो टी० सी० एम० १९५३ की योजना के अन्तर्गत बनेंगे :

(१) मतौना
(२) चाक चतेरसेन
(३) मन्झाडीह
(४) लंगरपुर
(५) खंड
(६) महादेवा
(७) मझुवा
(८) कलोपुर
(९) खालिसपुर
(१०) छेरी जमीन छेरी
(११) भदीन
(१२) इस्माइलपुर
(१३) इटौरा दयाल
(१४) इकबालपुर
(१५) टीकरपबान
(१६) बारहर गौह
(१७) जमालपुर
(१८) दुलौर
(१९) पुरुषोत्तमपुर
(२०) बनकट
(२१) मासला
(२२) पन्ती खुर्द
(२३) गलुआ गौरी

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१ पर)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY

Low-income Group Housing Scheme

1. *Introduction*.—This Scheme deals essentially with the disbursement of loans by the Central Government to State Governments for the purpose of enabling persons in the low-income groups to build and own their houses. The State Governments, in their turn, are expected to pass on the loans to individuals or to co-operative housing societies belonging to the low-income groups. They can also, if they so desire, loan the money to a Housing Finance Corporation for the entire state which will provide all the facilities to the low-income groups for the construction of houses.

2. *Scope of the scheme*.—Aid under this Scheme is envisaged primarily for persons who do not already own a house and whose income does not exceed Rs.6,000 per annum.There will, however, be no objection to a State Government advancing a loan to an individual even if he owned a house already, provided that the additional house is needed for his bonafide residential purposes.'

3. *Financial Assistance*.—(*a*) Central assistance to State Governments will be in the shape of loans at the usual rate of interest, recoverable in 30 annual equated instalments. The rate of interest will be 4½ per cent per annum during 1954-55; the rate of interest for subsequent years will be announced later. The loan will carry interest from the date on which it is advanced and repayment will commence from a date two years thereafter. The responsibility for the repayment of the loan and the interest on it to the Government of India will be that of the State Government.

(*b*) The loan assistance by the Central Government will not exceed 80 per cent of the actual cost of the houses including land for which the State Governments apply for aid, subject to a maximum of Rs.8,000 per house. In other words, the individuals, co-operative societies or the Housing Finance Corporations will have to raise at least 20 per cent. of the finances themselves, the cost of land already acquired by a party applying for aid being taken into account in computing the figures of 20 per cent. Normally, the houses built under this Scheme should not cost more than the figure of Rs.10,000 but there is no objection to houses being built at a cost higher than this figure. Central assistance will, however, in no case exceed the figure of Rs. 8,000.

If, however, the State Government intends giving loans to those who apply for them at a figure less than 80 per cent. of the cost of the house including land, Central assistance to the State Government will be limited to that figure.

(*c*) The State Government can in its discretion advance under such terms as it thinks fit and in such manner, it considers best, the money so received from the Central Government to individuals or Co-operative Housing Sccieties or the Housing Finance Corporations at reasonable rates of interest against suitable securities to be furnished by these parties. The State Government will however, in all cases be responsible for the repayment of the loan to the Government of India.

(*d*) The State Governments will send quarterly statements on the disbursement of loans to the Societies together with the progress reports on the construction of houses to the Government of India. If there is no substantial progressin six months after the date of advance of the Central loan or, if the progress made has no relation to the amount of money advanced, the loan may be withdrawn or suitably curtailed at the discretion of the Government of India.

4. *Assistance for the provision of land.*—As the provision of land is an important factor in the construction of a house, and as land prices are generally high, the State Government, should try to arrange, where possible, the allotment of land to intending builders, at as low a price as possible. In order to enable the State Governments to acquire suitable sites and sell them after development to parties applying for aid under this Scheme, the Government of India will be prepared to advance them loans, over and above what is mentioned in the preceding paragraph. This land can also include the requirements of a park or parks which the State Government desire to incorporate in a housing colony. These loans to be disbursed during the year 1954-55 will bear interest at 3 1/4 per cent per annum, and will be repayable within 3 years during which period the sites must be sold on a no-profitno-loss basis to the intending house owners. The State Governments should, however, acquire land only when they are certain that they can dispose of it, after development, within this period of three years.

5. *Agency for the construction of houses.*—Houses under this Scheme can be constructed by either or all of the agencies mentioned below :

(i) the individual himself :

(ii) the co-operative society ; and

(iii) the State Government or any authority designated by it ;

provided, however, that if it is the State Government or any authority designated by it which builds the houses, must be sold outright or on a hire purchase basis to co-operatives or individuals. The State Government cannot continue to be the permanent owners and rent these houses.

6. *Minimum and maximum standards of accommodation.*—the accommodation to be provided in each house, built under this Scheme, should not be less than 380 square feet of floor area and normally not more than 1,200 square feet of floor area. The State Governments are, however, expected to ensure that, as far as possible, 2-roomed houses at least are built and that costly structures are discouraged.

7. *Specifications and densities.*—(a) The specifications,designs, estimastes and layouts will be approved by the State Governments before they allow the construction of the houses. Copies of the approved plans (site plans, layout plan and building plan), detailed specifications and detailed estimates, etc. should be sent to the Ministry of Works, Housing and Supply Government of India for information.

(*b*) The State Government will ensure that before the last instal ment of loan is paid to the party building the house, the development of site, provision of water supply, street-lighting, drainage, sewerage, and laying of roads, etc., in the colony have been completed.

(*c*) It is recommended that the housing projects sanctioned by a State Government should not have densities higher than the following:

(i) Singly-storeyed development 20 to 25 houses per gross acre.

(ii) Double-storeyed development 30 to 35 houses per grossa cre.

(iii) Three-storeyed development 40 to 45 houses per gross acre.

(iv) Four or more storeyed development 50 to 60 houses per gross acre.

8. *Assistance to Local Bodies.*—Loans on the same terms as in paragraph 3(*a*) will also be made available by the Government of India to the State Governments for disbursement to local bodies for housing their low-paid staff. Loan assistance in this case will, however, be limited to 80 per cent. the actual cost of the house including land subject to a maximum of R.2,800.In other words, the State Governments or the local bodies will have to find the remaining 20 per cent. of the cost from their own resources. The ownership of these houses will vest with the local bodies which may rent them out to their low-paid staff. The local bodies are, however, free to sell these houses outright or on a hire purchase basis to their low-paid staff.

N.B.—The total amount of loans for local authorities under this paragraph will not exceed 25 per cent. of the total loan made available to the State Government under this Scheme.

9. *Applications for assistance.*—Applications for aid under this Scheme by Central Government employees or co-operatives of such employees will be entertained by the Ministry of Works, Housing and Supply direct, through the administrative ministries concerned. All other applications will be entertained by the State Governments concerned.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १० दल० ए० १९५५-७९६ ।